वार्षिक रिपोर्ट
1989-90

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
योजना आयोग

विषय सूची

		पृष्ठ
अध्याय 1.	1989-90—सिंहावलोकन	1
अध्याय 2.	भूमिका, संघटन और कार्य	13
अध्याय 3.	योजना की प्रगति	18
अध्याय 4.	मुख्य कार्यकलाप—एक परिप्रेक्ष्य	45
अध्याय 5.	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन	92
अध्याय 6.	अनुदान सहायता	94
अनुबंध 1.	अनुसंधान संस्थाओं/विश्वविद्यालयों की सूची जिन्हें 1989-90 के दौरान दिसम्बर, 1990 तक अनुदान सहायता की गयी।	95
अनुबंध 2.	अनुसंधान सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित अनुसंधान अध्ययनों तथा सम्मेलनों/संगोष्ठियों की सूची।	99
अनुबंध 3.	वर्ष 1989-90 के दौरान पूरे किये गये अध्ययनों तथा प्राप्त हुए प्रारूप रिपोर्टों की सूची।	101
अनुबंध 4.	योजना आयोग का संगठन चार्ट	103

1989-90—सिंहावलोकन

वर्ष 1989-90, जो सातवीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष है, कई दृष्टियों से उल्लेखनीय रहा है।

1.2 वर्ष के उत्तरार्द्ध में केन्द्र और विभिन्न राज्यों दोनों ही में आम चुनावों के पश्चात् नई सरकारों ने सत्ता संभाली। योजना आयोग के संघटन में भी परिवर्तन हुआ। योजना आयोग के नये सदस्यों ने जो विशिष्ट और एकाधिक विषय क्षेत्रों से सम्बद्ध हैं और अपने-अपने क्षेत्र में उपलब्धियों, विशेषज्ञता और अनुभव के धनी हैं, आयोजना प्रक्रिया को नया आकार देने का कार्य सम्हाल लिया है।

1.3 वर्ष 1989-90 में लगातार दूसरी बार, मानसून अनुकूल रहा। देश के अधिकांश भागों में सामान्य वर्षा रही। यह आशा की जाती है कि कृषि उत्पादन वर्ष 1988-89 के प्रचुर शस्य उत्पादन की तुलना में थोड़ा अधिक रहेगा (लगभग एक प्रतिशत)। इस वर्ष औद्यागिक उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग छः प्रतिशत बढ़ जाने से वर्ष 1989-90 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में जो अर्थव्यवस्था के समग्र निष्पादन को दर्शाता है; 4 से 4.5 प्रतिशत की वृद्धि की आशा है। सातवीं योजना अवधि के दौरान संवृद्धि की समग्र दर 5.3 प्रतिशत के आस-पास रहने की संभावना है।

1.4 वर्ष 1989-90 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र का निष्पादन अब तक कुछ धीमा रहा है। उपलब्ध सूचना से ज्ञात होता है कि अप्रैल-अक्तूबर, 1989 की अवधि के दौरान औद्योगिक संवृद्धि 4.4 प्रतिशत के आस पास रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह संवृद्धि 9.6 प्रतिशत थी। मांग की कमी और आयातित कच्चे माल की कमी के कारण इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, चीनी, मिलों के कपड़े, दुपहिये वाहनों और उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्र में उत्पादन कम रहा। हालांकि वर्ष की अन्तिम तिमाही में स्थिति में सुधार के लक्षण प्रकट हुए हैं और संवृद्धि दर बढ़ने की संभावना है।

1.5 विद्युत के क्षेत्र में, सातवीं योजना के अन्त में (1989-90) विद्युत उत्पादन 251 बिलियन के डब्ल्यू एच होने की आशा है, जबकि 1950 में यह मात्र 5 बिलियन के डब्ल्यू एच ही था। कोयले का उत्पादन बढ़ा है और देश 200 मिलियन टन के लक्ष्य को पार करने को कटिबद्ध है और आशा है कि सातवीं योजना के अन्त तक 207 मिलियन टन का उत्पादन हो जाएगा। देश में कच्चे तेल के उत्पादन में भी लगातार वृद्धि हो रही है और सातवीं योजना (1989-90) के अन्त तक स्वदेशी उत्पादन 34.31 मिलियन टन हो जाने की संभावना है।

1.6 परिवहन क्षेत्र भी अच्छा काम करता रहा है। वर्ष 1988-89 में रेलवे ने कुल 329.5 मिलियन टन का मूल यातायात ढोया जो 230.1 मिलियन टन किलोमीटरों के बराबर है। वर्ष 1989-90 में 345 मिलियन टन मूल यातायात (252 मिलियन टन किमी.) के लक्ष्य प्राप्ति की सम्भावना है।

1.7 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संबंध में यह आशा की जाती है कि 1.4.1990 तक समूचे देश में 1.39 लाख उप-सेन्टरों, 23220 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों और 2105 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का नेटवर्क स्थापित हो जाएगा।

1.8 यद्यपि सातवीं योजना अवधि के दौरान कई महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं तो भी यह मानना होगा कि कुछ चिन्ताजनक विषय भी हैं जो विकास की आविर्भावी स्वरूप में विवेचनीय हैं। संवृद्धि का प्रमुख भाग सेवाओं के क्षेत्र में रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के अंश में उत्तरोत्तर कमी आई है जिससे उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय के रूप में कृषि गैर-कृषि विषमताओं में वृद्धि हुई है।

अन्तर-प्रादेशिक विषमताएं और विभिन्न सामाजिक वर्गों जैसे शहरी और ग्रामीण; मजदूरों और सम्पत्ति मालिकों ; संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों, पुरुषों और स्त्रियों के मध्य विषमताएं बढ़ी हैं। बेरोजगारी के स्तर की स्थिति अधिक बिगड़ती जा रही है तथा पारम्परिक शिल्प और उद्योगों में रोजगार घट रहा है। संगठित उद्योग, निवेश के अनुरूप अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने में असमर्थ रहा है। कृषि उत्पादन की औसत दर साधारण और देश के कुछ भागों में केन्द्रित रही है। आठवीं योजना के लिए नए दृष्टिकोण को अंतिम रूप दिया जा रहा है उसमें निम्नलिखित उद्देश्यों का अनुसरण करते हुए इन विरूपताओं को सुधारने का लक्ष्य रखा गया है।

(1) संघीय संरचना का सुदृढ़ीकरण;
(2) प्राधिकार का विकेन्द्रीकरण;
(3) लोगों की सहभागिता;
(4) ग्रामीण क्षेत्रों का विकास;
(5) आर्थिक क्रियाकलापों में स्त्रियों की भूमिका पर अभिकेन्द्रण;
(6) रोजगार

1.9 आठवीं पचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण को नया रूप देने का कार्य, जनवरी, 1990 में योजना आयोग का पनर्गठन करने ही प्रारम्भ कर दिया गया था। विकास प्रक्रिया की मूल धारणाओं पर नए विचार बनाए जा रहे हैं ताकि आयोजना को सामाजिक न्याय, आर्थिक बन्धन मुक्ति, लोगों की सहभागिता और सांस्कृतिक पुनरूद्धार का साधन बनाया जा सके। विकास को, सम्पूर्णतावादी प्रयास के रूप में, विभिन्न आयामों, क्षेत्रों और विषयों को अन्त: सम्बद्ध करने, ऐसे विखण्डन से बचने, जो आधुनिक ज्ञान केसंगठन और हमारे समय की सरकार और जनता के ज्ञान के संगठन दोनों की विशेषता बनी हुई है, और हमारे सामाजिक ढांचे को कमजोर बनाने वाले बड़े अलगावों को कम करने के रूप में देखा जाना है।

1.10 "समाज परिवर्तन की ओर" नामक दृष्टिकोण दस्तावेज के प्रारूप पर 12.2.1990 को हुई पूर्ण योजना आयोग की बैठक में विचार-विमर्श किया गया। इस विचार-विमर्श में दृष्टिकोण-पत्र के मोटे रूप में समर्थन के साथ ये सझाव भी शामिल था कि विचार-विमर्श के दौरान उठाए गए विभिन्न मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में इस दस्तावेज में संशोधन किया जाय और केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के समझे प्रस्तुत किया जाये। इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की जा चकी है।

1.11 आठवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी के अंग के रूप में सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि की वैकल्पिक दरों के चनावों को नई प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के संदर्भ में आकलित किया जा रहा है।

1.12 निम्नलिखित के संदर्भ में विभिन्न संवृद्धि रूप रेखाओं के निहितार्थों का भी अध्ययन किया जा रहा है:

(1) जनसंख्या संवृद्धि को ध्यान में रखते हुए निजी उपभोग और प्रति व्यक्ति उपभोग; और
(2) निर्यात संवृद्धि-यह मानते हुए कि आयात प्रेक्षण आयात की लोचशीलता पर आधारित है।

1.13 ग्रामीण क्षेत्र के तीव्रतर विकास करने और सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय की 50 प्रतिशत मात्रा कृषि/ग्रामीण क्षेत्रों की ओर देना सुनिश्चित करने मे सम्बन्धित सरकार के निर्णय को ठोस रूप प्रदान करने के सन्दर्भ में, मंत्रालयों के बीच एक नोट परिचालित करने के कदम उठाए गए हैं। इस नोट में सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय के ग्रामीण-शहरी अभिभाजन संबंधी सुनिर्देश हैं। इसी प्रकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र योजना के परिव्यय के ग्रामीण घटक निर्धारित करने के मार्गदर्शी/सिद्धान्त राज्यों को इस

योजना आयोग के लिए सलाहकारों के पेनल की 1.3.1990 को हुई बैठक।

अनुरोध के साथ भिजवाए जा चुके हैं कि वे अपेक्षित सूचना भेजें और इस उद्देश्य के अनुरूप आगामी कार्रवाई करें।

1.14 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक योजना 1990-91 परिव्ययों को अन्तिम रूप देते समय कृषि तथा संबंधित क्रियाकलापों और ग्रामीण विकास क्षेत्रों के साथ-साथ न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों (जैसे ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़के, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामण जलापूर्ति, ग्रामीण आवास, ग्रामीण ईंधन लकड़ी, बुनियादी और प्रौढ़ शिक्षा पोषाहार इत्यादि) से संबधित विकास के शीर्षों/उपशीर्षों में परिव्ययों को बढ़ाने की आवश्यकता से ध्यान में रखा गया है। इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन को पर्याप्त प्राथमिकता देने का प्रयास किया गया है। परिव्ययों को अन्तिम रूप देते समय विकेन्द्रित आयोजना और प्रादेशिक असंतुलनों को दूर करने के कार्यक्रमों की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा गया है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अन्तिम कुल परिव्ययों से संबंधित आंकड़ें विकास के मुख्य शीर्षों के अनुसार अनुबंध 1.1 में दिए गए हैं।

1.15 मोटे तौर पर निम्नलिखित नीति प्राचलों अर्थात् प्रत्येक नागरिक को "काम का अधिकार" की गारंटी देने के लिए व्यापक रोजगार सृजन, आय की असमानताओं तथा प्रादेशिक असंतुलनों को कम करना, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में संसाधनों का वृहद्तर निवेश, ग्राम तथा लघु उद्योगों का विकास, सर्वाजनिक उद्यमों का बृह्द्तर दक्षता को सुनिश्चित करना, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर संसाधनों की बड़ी मात्रा देना, कृषि उत्पादन और उत्पादकता की उच्चतर दर प्राप्त करना, इत्यादि को केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक योजना 1990-91 परिव्यय को अन्तिम रूप देते समय ध्यान में रखा गया है। अनुबंध 1.2 में मंत्रालय विभागवार वार्षिक योजना-1990-91 परिव्ययों का उल्लेख है तथा इसमें इन परिव्ययों के अनुमानित ग्रामीण घटक भी बताए गए है।

1.16 योजना आयोग का विचार है कि आठवीं योजना में केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए अधिक चुनिंदा दृष्टिकोण होना चाहिए। इस समय चल रही ऐसी कई स्कीमों की यह निर्धारित करने की दृष्टि से समीक्षा की जा रही है कि किन स्कीमों को संसाधनों सहित राज्यों को कतई चलाए जाने की आवश्यकता है, जिन स्कीमों को अंतरित किया जाना है और किन स्कीमों को बनाए रखने की आवश्यकता है। अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है।

1.17 आयोजना के नए दृष्टिकोण में न केवल आयोजना के अभिकेन्द्र और प्रथमिकताओं बल्कि इसके यंत्राविन्यास और क्रियाविधि में भी पुनः अभिमुखीकरण की परिकल्पना की गई है ताकि एक ओर तो योजना आयोग और राज्य आयोजना संगठनों के बीच निकटस्थ सम्पर्क और दूसरी ओर लोगों की सहभागिता प्राप्त की जा सके। इसी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में योजना आयोग विभिन्न विषयों के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित करेगा ताकि आठवीं योजना में अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डों के संदर्भ में कार्यक्रम की विषय-वस्तु और उनके विचार प्राप्त हो सकें। इसी प्रकार प्रत्येक प्रदेश में आने वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रादेशिक बैठकें की जाएंगी ताकि राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए बहुमूल्य आदान एकत्र किए जा सके।

1.18 भारत सरकार के योजना आयोग, ने संकल्प संख्या एन-11011/1/90-पी सी, 1990 द्वारा सलाहकारों का एक पैनल गठित किया है।

1.19 इस पैनल से यह आशा की जाती है कि यह योजना आयोग के साथ नियमित आधार पर निकटता से कार्य करेगा ताकि विकास का जायजा लिया जा सके और विभिन्न नीति विकल्पों और कार्यक्रम नीतियों से सम्बन्धित सुझाव मिल सके।

1.20 इस पैनल की पहली बैठक, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 1 मार्च, 1990 को हुई।

अनुबंध

वार्षिक योजना 1990-91—अनंतिम रूप से सहमत

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	ग्रामीण विकास	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	ऊर्जा
1	2	3	4	5	6	7
	राज्य					
1.	आंध्र प्रदेश	5500.00	11950.00	2306.00	30000.00	37176.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2435.00	824.00	23.00	1020.00.	2905.00
3.	असम	11282.00	3365.00	270.00	7695.00	15614.00
4.	बिहार	14743.00	18948.00	1277.00	41600.00	41440.00
5.	गोआ	860.00	290.00	0.00	2863.00	795.00
6.	गुजरात	10050.00	4516.00	0.00	42341.00	42399.00
7.	हरियाणा	7522.00	1388.00	300.00	10870.00	18250.00
8.	हिमाचल प्रदेश	7189.00	1333.00	0.00	2760.00	7665.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	7461.00	1333.00	2767.00	4100.00	16780.00
10.	कर्नाटक	10076.00	9135.00	4000.00	21190.00	27735.00
11.	केरल	8597.00	4425.00	110.00	9395.00	13600.00
12.	मध्य प्रदेश	16153.00	12336.00	0.00	55427.00	73315.00
13.	महाराष्ट्र	12876.00	27122.00	200.00	45082.00	71400.00
14.	मणिपुर	1999.00	384.00	0.00	3360.00	2910.00
15.	मेघालय	2567.00	614.00	210.00	738.00	3590.00
16.	मिजोरम	1847.00	1730.00	0.00	277.00	1816.00
17.	नागालैंड	2202.00	1600.00	225.00	323.00	1045.00

1.1

परिव्यय– राज्य/संघ क्षेत्र (विकास के मुख्य शीर्ष)

(लाख रुपये)

उद्योग एवं खनिज	परिवहन	संचार	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	सामान्य आर्थिक सेवाएं	सामाजिक सेवाएं	सामान्य सेवाएं	कुल योग
8	9	10	11	12	13	14	15
6346.00	6318.00	0.00	92.00	450.00	31732.00	430.00	132300.00#
422.00	5433.00	0.00	13.00	369.00	4444.00	412.00	18300.00
5872.00	4927.00	0.00	180.00	1499.00	16221.00	575.00	67500.00
8496.00	13075.00	0.00	248.00	9144.00	28910.00	2619.00	180500.00
855.00	1850.00	0.00	67.00	244.00	4939.00	237.00	13000.00
7887.00	9125.00	150.00	86.00	4267.00	24229.00	50.00	145100.00
2000.00	3760.00	0.00	176.00	1868.00	23422.00	444.00	70000.00
1240.00	4751.00	0.00	65.00	1153.00	9104.00	740.00	36000.00
3623.00	4880.00	0.00	92.00	2508.00	20766.00	690.00	65000.00
7706.00	5664.00	0.00	115.00	514.00	23940.00	1925.00	112000.00
7636.00	5975.00	0.00	635.00	519.00	11988.00	620.00	63500.00
8206.00	6756.00	0.00	857.00	6123.00	40761.00	66.00	220000.00
8360.00	15350.00	0.00	180.00	5374.00	56846.00	2210.00	245000.00
853.00	2333.00	0.00	90.00	334.00	4312.00	425.00	17000.00
867.00	3274.00	0.00	40.00	347.00	4863.00	390.00	17500.00
815.00	1879.00	0.00	30.00	749.00	3187.00	170.00	12500.00
880.00	2360.00	0.00	30.00	1083.00	3992.00	760.00	14500.00

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	ग्रामीण विकास	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	ऊर्जा
1	2	3	4	5	6	7
18.	उड़ीसा					
19.	पंजाब	9050.40	4975.40	700.00	8506.00	35071.00
20.	राजस्थान					
21.	सिक्किम	1295.00	200.00	0.00	210.00	1415.00
22.	तमिलनाडु	16060.00	7383.00	0.00	7470.00	45710.00
23.	त्रिपुरा	4113.00	1558.00	1726.00	1620.00	1977.00
24.	उत्तर प्रदेश	32610.00	25434.00	2016.00	47847.00	95090.00
25.	पश्चिमी बंगाल	8466.00	9654.00	2051.00	13976.00	41018.00
	कुल (राज्य)	—	—	—	—	—
	संघ राज्य क्षेत्र					
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	772.30	71.60	0.00	120.00	1058.00
27.	चंडीगढ़	303.25	54.36	0.00	20.00	874.30
28.	दादरा एवं नागर हवेली	394.29	47.25	0.00	85.00	195.00
29.	दमन व दीव	144.20	15.79	0.00	20.46	151.10
30.	दिल्ली	878.00	153.00	0.00	2000.00	19955.00
31.	लक्षद्वीप	438.05	7.00	0.00	50.00	302.00
32.	पांडिचेरी	654.40	170.00	0.00	223.50	1221.00
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	3584.49	519.00	0.00	2518.96	23756.40
	कुल (राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र)					

* क्षेत्रवार आंकड़ों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

@ योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया।

(लाख रुपये)

उद्योग एवं खनिज	परिवहन	संचार	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	सामान्य आर्थिक सेवाएं	सामाजिक सेवाएं	सामान्य सेवाएं	कुल योग
8	9	10	11	12	13	14	15
4700.00	3870.00	0.00	156.50	2761.87	19191.56	1517.27	90500.00
							95600.00*
504.00	1380.00	0.00	55.00	145.00	2226.00	170.00	7600.00
9200.00	11179.00	0.00	215.00	156.00	46407.00	1220.00	145000.00
1425.00	1556.00	25.00	87.00	153.00	5635.00	125.00	20000.00
11492.00	31082.00	0.00	372.00	3303.00	69025.00	1729.00	320000.00
14359.00	7060.00	0.00	240.00	2528.00	31792.00	1656.00	132800.00
—	—	—	—	—	—	—	—
93.00	5266.91	0.00	37.00	111.50	1960.24	209.45	9700.00
68.00	318.00	0.00	10.00	106.00	3843.02	0.00	5596.93
41.00	158.00	0.00	5.00	34.20	320.74	19.01	1299.49
152.15	239.00	0.00	3.00	58.10	414.94	59.00	1257.74
920.00	13000.00	0.00	178.00	175.00	41651.00	1090.00	80000.00
33.00	782.08	0.00	11.88	45.00	480.89	50.10	2200.00
860.00	750.73	0.00	7.50	119.87	2800.35	192.65	7000.00
2167.15	20514.72	0.00	252.38	649.67	51471.18	1620.21	107054.16

* 1365 रु. का परिव्यय निर्धारित किया गया था। बशर्ते राज्य सरकार विशेष समस्याओं के लिए 65 करोड़ रु. के उपयोग के लिए राजी हो जाए। राज्य सरकार ने अब सूचना दी है कि वे 1990-91 में केवल 23 करोड़ रु. उपयोग कर पायेंगे। इस प्रकार योजना का आकार 1323 करोड़ रु. का हो गया है।

वार्षिक योजना 1989-90 और 1990-91 : केन्द्र (मंत्रालय/विभाग वार)
ग्रामीण घटक का अनंतिम अनुमान

(करोड़ रुपये)

	मंत्रालय/विभाग	वार्षिक योजना 1989-90						वार्षिक योजना 1990-91					
		परिव्यय	सकल बजट सहायता	अनुमानित ग्रामीण घटक				परिव्यय	सकल बजट सहायता	अनुमानित ग्रामीण घटक			
				परिव्यय	(%)	जी.बी.एस	(%)			परिव्यय	(%)	जी.बी.एस	(%)
	कृषि मंत्रालय												
1.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	770.00	770.00	770.00	100.00	770.00	100.00	905.00	905.00	905.00	100.00	905.00	100.00
2.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	110:00	109.00	110.00	100.00	109.00	100.00	155.00	154.00	155.00	100.00	154.00	100.00
3.	ग्रामीण विकास विभाग	3088.75	3088.75	3088.75	100.00	3088.75	100.00	3114.68	3114.68	3114.68	100.00	3114.68	100.00
4.	उर्वरक विभाग	495.00	171.00	495.00	100.00	171.00	1000.00	660.73	78.37	660.73	100.00	78.37	100.00
5.	नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय												
	(क) नागर विमानन	473.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.57	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ख) पर्यटन	69.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	वाणिज्य मंत्रालय												
	(क) वाणिज्य विभाग	62.84	53.00	37.05	58.96	34.35	64.81	81.25	66.32	50.50	62.15	42.97	64.79

	(ख) आपूर्ति विभाग	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	संचार मंत्रालय												
	(क) दूरसंचार सेवाएं	2958.00	222.00	88.74	3.00	6.66	3.00	3110.00	28.45	93.30	3.00	0.85	3.00
	(ख) डाक सेवाएं	55.00	55.00	27.50	50.00	27.50	50.00	60.00	60.00	30.00	50.00	30.00	50.00
8.	ऊर्जा मंत्रालय												
	(क) कोयला विभाग	2834.00	1504.00	340.08	12.00	180.48	12.00	2925.55	990.55	351.07	12.00	118.87	12.00
	(ख) विद्युत विभाग	4197.00	1773.00	1301.07	31.00	549.63	31.00	4612.61	2412.22	1429.91	31.00	747.79	31.00
	(ग) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग	115.00	115.00	92.00	80.00	92.00	80.00	125.38	125.38	100.30	80.00	100.30	80.00
9.	पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन मंत्रालय	202.00	202.00	101.00	50.00	101.00	50.00	232.00	232.00	116.00	50.00	116.00	50.00
10.	वित्त मंत्रालय												
	(क) वित्तीय संस्थानों को भुगतान	415.00	415.00	92.43	22.27	92.43	22.27	674.40	624.40	315.40	46.77	315.40	50.51
	(ख) व्यय विभाग	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय												
	(क) खाद्य विभाग	63.00	31.00	63.00	100.00	31.00	100.00	61.11	32.61	61.11	100.00	32.61	100.00
	(ख) नागरिक आपूर्ति विभाग	14.00	14.00	3.32	23.71	3.32	23.71	19.15	12.15	4.00	20.89	4.00	32.92
12.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	25 70	22.00	25.70	100.00	22.00	100.00	32.00	30.00	27.00	84.38	27.00	90.00

(करोड़ रुपये)

मंत्रालय/विभाग	वार्षिक योजना 1989-90						वार्षिक योजना 1990-91					
	परिव्यय	सकल बजट सहायता	अनुमानित ग्रामीण घटक				परिव्यय	सकल बजट सहायता	अनुमानित ग्रामीण घटक			
			परिव्यय	(%)	जी.बी.एस	(%)			परिव्यय	(%)	जी.बी.एस	(%)
13. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय												
(क) स्वास्थ्य विभाग	240.00	240.00	109.00	45.42	109.00	45.42	275.00	275.00	125.02	45.46	125.02	45.46
(ख) परिवार कल्याण विभाग	653.00	653.00	457.10	70.00	457.10	70.00	675.00	675.00	472.50	70.00	472.50	70.00
14. गृह मंत्रालय	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
15. मानव संसाधन विकास मंत्रालय												
(क) शिक्षा विभाग	832.00	832.00	382.72	46.00	382.72	46.00	865.00	865.00	397.90	46.00	397.90	46.00
(ख) युवा कार्य एवं खेलकूद विभाग	64.00	64.00	23.68	37.00	23.68	37.00	68.56	68.56	25.37	37.00	25.37	37.00
(ग) कला एवं संस्कृति	58.00	58.00	17.98	31.00	17.98	31.00	67.20	67.20	20.83	31.00	23.83	31.00
(घ) महिला एवं बाल विकास विभाग	261.00	261.00	182.70	70.00	182.70	70.00	329.60	329.60	230.72	70.00	230.72	70.002
16. उद्योग मंत्रालय												
(क) औद्योगिक विकास विभाग	342.41	342.00	180.00	52.57	180.00	52.63	382.23	382.23	243.35	63.67	243.35	63.67
(ख) लोक उद्यम विभाग	690.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.00	181.36	0.00	0.00	0.00	0.00
17. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	398.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.00	270.72	0.00	0.00	0.00	0.00
18. श्रम मंत्रालय	35.00	35.00	7.00	20.00	7.00	20.00	85.00	85.00	17.00	20.00	17.00	20.00

19.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन (प्रशिक्षण) मंत्रालय	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	पैट्रोलियम एवं रसायन मंत्रालय												
	(क) पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विभाग	3448.00	175.00	1034.40	30.00	52.50	30.00	4090.75	150.00	1227.23	30.00	45.00	30.00
	(ख) रसायन एवं पेट्रो-विभाग	467.90	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.45	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	योजना मंत्रालय												
	(क) योजना आयोग (एन आई सी, कृषि जलवायु क्षेत्र आयोजना एवं आई आर ई पी सहित)	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.22	49.22	6.00	12.19	6.00	12.19
	(ख) सांख्यिकी विभाग	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय												
	(क) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ख) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	इस्पात एवं खनिज मंत्रालय												
	(क) इस्पात विभाग	2316.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2734.70	267.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ख) खनिज विभाग	415.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.51	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	जल भूतल परिवहन मंत्रालय												
	(क) जल भूतल परिवहन	132.00	132.00	12.00	9.09	12.00	9.09	138.00	138.00	20.00	14.49	20.00	14.49

(करोड़ रुपये)

मंत्रालय/विभाग	वार्षिक योजना 1989-90						वार्षिक योजना 1990-91					
	परिव्यय	सकल बजट सहायता	अनुमानित ग्रामीण घटक				परिव्यय	सकल बजट सहायता	अनुमानित ग्रामीण घटक			
			परिव्यय	(%)	जी.बी.एस	(%)			परिव्यय	(%)	जी.बी.एस	(%)
(ख) सड़क	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ग) बंदरगाह, प्रकाशगृह एवं जहाजरानी	716.50	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1267.78	219.10	0.00	0.00	0.00	0.00
25. कपड़ा मंत्रालय	212.00	131.00	81.86	38.61	81.86	62.49	292.68	218.16	134.91	46.09	133.71	61.29
26. शहरी विकास मंत्रालय	239.15	239.15	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	20.35	7.48	20.35	7.48
27. जल संसाधन मंत्रालय	214.00	214.00	211.86	99.00	211.86	99.00	23.62	235.62	233.26	99.00	233.26	99.00
28. कल्याण मंत्रालय	300.00	300.00	270.00	90.00	270.00	90.00	364.45	364.45	328.01	90.00	328.01	90.00
29. परमाणु ऊर्जा विभाग												
(क) परमाणु ऊर्जा	390.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	364.66	0.00	0.00	0.00	0.00
(ख) न्यूक्लीयर विद्युत स्कीमें	725.00	240.00	224.75	31.00	74.40	31.00	825.62	195.00	255.94	31.00	60.45	31.00
30. इलेक्ट्रानिकी विभाग	130.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31. महासागर विकास विभाग	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32. अंतरिक्ष विभाग	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33. रेल मंत्रालय	4450.00	1434.00	934.50	21.00	301.14	21.00	5000.00	1420.00	1050.00	21.00	298.20	21.00
कुल योग	34788.72	17306.37	10765.19	30.94	7643.06	44.16	39329.26	17343.82	12222.38	31.08	8465.51	48.81

अध्याय-2

भूमिका, संघटन और कार्य

योजना आयोग राष्ट्रीय स्तर पर सलाहकार निकाय है, जो केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाएं तैयार करने, इनकी देखरेख, कार्यान्वयन और इनके प्रभाव के मूल्यांकन के लिए नीति और कार्यक्रम संरचना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।

2.2 भारत में विकास योजना, राष्ट्रीय विकास परिषद के समग्र मार्ग निर्देश के अंतर्गत तैयार की जाती है। इस परिषद के अध्यक्ष प्रधान मंत्री हैं और केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, राज्यों के मुख्य मंत्री, योजना आयोग के सदस्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक इस परिषद के सदस्य हैं। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिवालय भी है और यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित समग्र संरचना और दृष्टिकोण के भीतर क्षेत्रकीय प्रेक्षणों, कार्यक्रमों परियोजनाओं और स्कीमों के संबंध में विस्तृत कार्यों को भी चलाता है। इस प्रक्रिया में यह केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ परस्पर सम्पर्क रखता है और पंचवर्षीय योजनाएं तथा वार्षिक योजनाएं तैयार करता है। यह योजना कार्यक्रमों, परियोजनाओं और स्कीमों की देखरेख का कार्य वार्षिक योजनाओं और आवधिक विचार-विमर्शों तथा राज्यों में दौरों की कार्यविधि के माध्यम से करता है।

कार्य

2.3 योजना आयोग का गठन मार्च, 1950 में भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा किया गया था। संकल्प में योजना आयोग को सौंपे गए कार्य निम्नलिखित हैं:

1. तकनीकी कार्मिक सहित देश की सामग्री, पूंजी तथा मानव संसाधनों का मूल्यांकन करना और इस प्रकार के संसाधनों को प्राप्त करने की संभावनाओं का अन्वेषण करना जो राष्ट्र की आवश्यकताओं के संबंध में त्रुटिपूर्ण रूप में पाए जाते हैं,
2. देश के संसाधनों के अधिक प्रभावी तथा संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना,
3. प्राथमिकताओं के निर्धारण के संबंध में चरणों का वर्णन करना जिसमें योजना को शुरू किया जाना चाहिए और प्रत्येक चरण को सम्यक रूप से पूरा करने के लिए संसाधनों के आवंटन का प्रस्ताव करना,
4. उन पहलुओं को निर्दिष्ट करना जो आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं और उन परिस्थितियों का निर्धारणा करना जिन्हें चालू सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, योजना की सफलता के लिए स्थापित किया जाना आवश्यक है,
5. कार्यतंत्र के स्वरूप का निर्धारण करना जो अपने सभी पहलुओं में योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होंगे,
6. योजना के प्रत्येक चरण के निष्पादन में प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन करना तथा नीति और उपायों के समायोजन की सिफारिश करना जो इस प्रकार के मूल्यांकन में आवश्यक प्रतीत होती हों, और

7. इस प्रकार से अंतरिम अथवा आनुषांगिक सिफारिशें करना जो या तो इसको सौंपे गए कार्य के निपटान को सरल बनाने या व्याप्त आर्थिक स्थितियों के संबंध में विचार करने, चाल नीतियों, उपायों तथा विकास कार्यक्रमों इस प्रकार की विशेष समस्याओं की जांच करना जिसे केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा सलाह के लिए भेजा जा सकता है, के विषय में अनुकूल प्रतीत होती है।

2.4 उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त योजना आयोग को भारत सरकार की कार्य आवंटन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित के संबंध में भी उत्तरदायित्व सौंपा गया है:

(क) राष्ट्रीय विज्ञान में जन सहयोग,
(ख) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम,
(ग) भावी योजना,
(घ) जन साधन निदेशालय, और
(ङ) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र।

आयोग का संघटन

2.5 योजना आयोग का संघटन 31.3.1990 को यथास्थिति निम्नानुसार है:

1. श्री वी.पी.सिंह, प्रधान मंत्री — अध्यक्ष
2. श्री रामकृष्ण हेगड़े — उपाध्यक्ष

सदस्य

1. श्री देवीलाल, उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री
2. श्री मधु दण्डवते, वित्त मंत्री
3. श्री अजीत सिंह, उद्योग मंत्री
4. डा.जे.डी. सेठी
5. डा. रजनी कोठारी
6. श्री लक्ष्मी चन्द जैन
7. श्रीमती इला भट्ट
8. डा. अरूण घोष
9 डा.ए. वैद्यनाथन
10. श्री रहमतुल्ला अंसारी
11. श्री टी.एन.शेषन
12. डा.हरस्वरूप सिंह

2.6 राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनने से पूर्व योजना आयोग का संघटन निम्नानुसार था:

1. श्री राजीव गांधी, प्रधान मंत्री — अध्यक्ष
2. श्री माधव सिंह सोलंकी — उपाध्यक्ष
   योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री

सदस्य

1. श्री एस.बी.चव्हाण, वित्त मंत्री
2. श्री भजन लाल, कृषि मंत्री
3. श्री जे.वेंगलराव, उद्योग मंत्री
4. श्री वसन्त साठे, ऊर्जा मंत्री
5. श्री पी.शिव शंकर, मानव संसाधन विकास मंत्री
6. श्री बी.शकरानन्द, विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री
7. श्री जेड.आर.अंसारी, पर्यावरण एवं वन मंत्री
8. श्री बीरेन सिंह ऐंगती, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री
9. प्रो. एम.जी.के. मेनन
10. डा. राजा जे.चल्लैया
11. श्री हितेन भाया
12. श्री आबिद हुसैन
13. डा. वाई.के. अलग
14. प्रो. पी.एन.श्रीवास्तव

2.7 श्री जे.एस.बैजल ने 30.6.1989 तक सचिव, योजना आयोग के रूप में कार्य किया। श्री पी.बी. कृष्णस्वामी 10.7.89 से सचिव, योजना आयोग के रूप में कार्य कर रहे हैं।

2.8 योजना आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से प्रधान मंत्री, नीति के सभी प्रमुख मुद्दों के संबंध में हिस्सा लेते हैं और निदेश देते हैं।

2.9 योजना आयोग का संगठनात्मक चार्ट, 1.1.1990 की स्थिति के अनुसार, अनुबंध-4 में दिया गया है। संगठन में परिवर्तन किए जाने का विचार है ताकि संरचना को कारगर बनाया जा सके, नौकरशाही को कम किया जा सके और आयोजना के लिए अन्तर्विषयक दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

संगठनात्मक ढांचा

2.10 सचिवालयी भाषा में योजना आयोग, योजना मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आयोग अनेक तकनीकी/विषय प्रभागों के माध्यम से कार्य करता है। प्रत्येक प्रभाग सलाहकार/प्रमुख/परामर्शदाता/संयुक्त सचिव/संयुक्त सलाहकार के अधीन और सचिव, योजना आयोग की समग्र देखरेख और मार्गदर्शन के अंतर्गत कार्य करता है।

2.11 योजना आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य, विस्तृत योजना तैयार करने के संबंध में संघटित निकाय के रूप में कार्य करते हैं। वे आयोग में विषय से संबंधित प्रभाग को विशेषज्ञ सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं ताकि योजना के लिए दृष्टिकोण, पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजनाओं की तैयार के विभिन्न कार्यों को किया जा सके। योजना कार्यक्रमों परियोजनाओं और स्कीमों की देखरेख और मूल्यांकन के लिए उनका विशेषज्ञ मार्गदर्शक भी विषय से संबंधित प्रभाग को मिलता है।

2.12 सेवा/प्रशासनिक मामलों की देखरेख के लिए आयोग में विभिन्न प्रशासनिक अनुभाग भी है।

2.13 आयोग में विभिन्न विषयों से संबंधित प्रभागों को मोटे तौर पर दो वर्गों में रखा जा सकता है:

(क) समूची अर्थव्यवस्था के विशेष पहलुओं से संबंधित सामान्य प्रभाग, और
(ख) विकास के विशिष्ट क्षेत्र से सम्बद्ध विषय से संबंधित प्रभाग।

योजना आयोग में-निम्नलिखित संगठन शामिल है:-

(क) योजना आयोग
(ख) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र
(ग) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन

2.14 योजना आयोग का भावी योजना प्रभाग दीर्घ और मध्यम अवधि के उद्देश्यों के साथ जुड़े मात्रात्मक महत्त्वों, योजना की प्राथमिकताएं तथा संवृद्धि दरों को परिव्यय/निवेश परियोजनाओं और इनके अनुरूप सकल उत्पादन अनुमानों के रूप में प्रस्तुत करता है। यह प्रभाग अर्थव्यवस्था के अल्पावधिक पूर्वानुमान भी तैयार करता है।

2.15 राज्य योजना प्रभागा, राज्य योजनाओं को तैयार करने और अंतिम रूप देने से संबंधित कार्य में समन्वय करता है। योजना आयोग के भीतर ही समस्त कार्य के समन्वय का दायित्व समन्वय प्रभाग पर है।

2.16 योजना आयोग में कार्य करने वाले सामान्य प्रभाग निम्नलिखित हैं-

1. आर्थिक प्रभाग, वित्तीय संसाधन प्रभाग, विकास नीति प्रभाग, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रभाग, सामाजिक आर्थिक अनुसंधान एकक
2. भावी योजना प्रभाग
3. श्रम रोजगार तथा जनशक्ति प्रभाग
4. सांख्यिकी तथा सर्वेक्षण प्रभाग
5. बहुद्देशीय स्तर योजना, पर्वतीय क्षेत्र विकास तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित राज्य योजना प्रभाग
6. परियोजना मूल्यांकन प्रभाग
7. प्रबोधन तथा सूचना प्रभाग
8. योजना समन्वय प्रभाग

2.17 विषय से संबंधित प्रभाग ये हैं:-

1. कृषि प्रभाग
2. पिछड़ा क्षेत्र प्रभाग
3. संचार तथा सूचना प्रभाग
4. शिक्षा प्रभाग
5. ऊर्जा नीति प्रभाग
6. स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रभाग
7. आवास, शहरी विकास तथा जल आपूर्ति प्रभाग
8. भारत-जापान समिति
9. उद्योग तथा खनिज प्रभाग
10. सिंचाई तथा नियंत्रण क्षेत्र विकास प्रभाग
11. विद्युत तथा ऊर्जा प्रभाग
12. ग्रामीण विकास प्रभाग

13. ग्रामीण ऊर्जा प्रभाग
14. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रभाग
15. समाज कल्याण तथा पोषाहार प्रभाग
16. परिवहन प्रभाग
17. ग्राम तथा लघु उद्योग प्रभाग
18. पश्चिमी घाट सचिवालय

2.18 कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, मूल्यांकन अध्ययन का कार्य करता है ताकि चुनिंदा योजना कार्यक्रमों/ स्कीमों के प्रभाव का आकलन किया जा सके और योजनाकारों तथा कार्यान्वयन अभिकरणों को महत्त्वपूर्ण फीड बैक प्रदान किया जा सके।

प्रशासन

2.19 ऊपर उल्लिखित प्रभागों के अतिरिक्त जो मूलत: योजना बनाने, देखरेख तथा मूल्यांकन से संबंधित हैं, योजना आयोग को आयोग से संबंधित प्रशासन, लेखा तथा सामान्य सेवा मामलों से संबंधित शाखाओं की सहायता भी प्राप्त है।

2.20 निदेशक (प्रशासन) के अधीन राजभाषा एकक द्वारा सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रयोग की भी देखरेख की जाती है।

2.21 योजना आयोग के कर्मचारियों के लिए सरकारी नीति के अनुसरण में शिकायतें दूर करने की क्रिया पद्धति भी स्थापित की गई है ताकि कर्मचारियों के कल्याण और उनकी शिकायतें दूर करने का अधिकतम कार्य सुनिश्चित हो सके।

2.22 योजना आयोग में एक सुसज्जित पुस्तकालय है, जिसमें व्यापक विषय स्पेक्ट्रम और विशेषकर विकासात्मक आयोजना विषय संबंधी पुस्तकों, आवधिक पत्रिकाओं का वृहद संकलन है। पुस्तकालय एक सलाहकार परिषद् जिसमें आयोग के वरिष्ठ अधिकारी हैं, शासित है।

अध्याय-3

योजना की प्रगति

यद्यपि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना सावधानीपूर्वक तैयार की जाती है तो भी समय-समय पर सामने आने वाली परिवर्तनशील स्थितियों और प्राथमिकताओं के आधार पर इसके अनुकूलन की आवश्यकता होती है। इसके लिए कार्यक्रम लक्ष्यों की योजना प्राथमिकताओं और संसाधनों की पुनः व्यवस्था की जरूरत होगी ताकि उभरकर सामने आने वाली ऐसी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अतः पंचवर्षीय योजना को वार्षिक योजनाओं की क्रिया विधि के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जिन्हें पंचवर्षीय योजनाओं में उपबन्धित एक विस्तृत रूपरेखा के भीतर तथा प्रत्येक वर्ष के लिए अपेक्षित दिशापूर्ण परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष तैयार किया जाता है। वार्षिक योजना में प्रत्येक वर्ष के दौरान कार्यान्वित किये जाने वाले विस्तृत कार्यक्रमों को सूचीबद्ध करने के अलावा पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन में अपेक्षित लोच की भी व्यवस्था होती है।

वार्षिक योजनाएं

3.2 योजना आयोग सामान्यतः प्रतिवर्ष तीसरी तिमाही में सभी राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों को अधिक महत्वपूर्ण अल्पकालिक उद्देश्य और कार्यक्रम प्रतिबल सूचित कर देता हैं, जिनकी और आगामी वर्ष में वार्षिक योजना तैयार करते समय ध्यान देना होता है। राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे वास्तविक लक्ष्यों और उसके लिए अपेक्षित अनुरूपी वित्तीय परिव्ययों सहित जो ऊपर उल्लिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों और उनकी अपनी-अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के समग्र ढांचे के अनुरूप हो, अपने योजना प्रस्ताव भेजें। पंचवर्षीय योजनाओं के लिए संसाधनों और निश्चित परिव्यय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उनकी वार्षिक योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के प्रस्तावों सहित वित्तीय संसाधनों के अपने अनुमान भेजने की सलाह दी जाती है।

3.3 वार्षिक योजना प्रस्ताव और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए संसाधनों पर किए गये आकलनों पर योजना आयोग में नवम्बर-दिसम्बर में विचार विमर्श किया जाता है। इसी प्रकार, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी वार्षिक योजनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की जाती है। योजना आयोग प्रतिवर्ष केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से प्राप्त विस्तृत सूचनाओं के आधार पर वित्तीय और वास्तविक दोनों रूपों में प्रगति की समीक्षा करता है।

3.4 बाद में, उपाध्यक्ष और राज्यों के मुख्यमंत्रियों/उप-राज्यपालों के बीच बैठकों में राज्य योजनाओं के संबंध में और योजना आयोग द्वारा यथानुमोदित केन्द्रीय योजना के बारे में सचिव, योजना आयोग की केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में स्वीकार किया योजना परिव्यय आगामी वर्ष के लिए बजट संबंधी प्रावधान का आधार बनते हैं।

वार्षिक योजना 1988-89 की समीक्षा

3.5 अनुकूल स्थिति, देश के लगभग सभी भागों में अच्छी बारिश से 1988-89 के दौरान अच्छी फसलें

होने की संभावनाएं बढ़ गई। इस वर्ष के लिए खाद्यानों का उत्पादन 167.00 मिलियन टन के निर्धारित लक्ष्य से बढ़कर 170.25 मिलियन टन हो गया। वर्ष 1988-89 में चावल, गेहूं, दालें, मोटे अनाज, तिलहन और गन्ने का भी रिकार्ड उत्पादन हुआ।

3.6 अभूतपूर्व सूखे के कारण वर्ष 1987-88 में औद्योगिक उत्पादन में जो ह्रासोन्मुखी प्रवृत्ति आयी थी उसमें वर्ष 1988-89 के दौरान सुधार हुआ, और 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की गयी। निजी क्षेत्र में निवेश में वृद्धि हुई और पूंजी बाजार में उत्प्लावक्ता दिखाई पड़ी।

3.7 वर्ष 1988-89 के दौरान आर्थिक वृद्धि में पुनरूत्थान भी मूलभूत संरचना क्षेत्र के अच्छे कार्य निष्पादन का ही परिणाम था।

3.8 कोयले का उत्पादन 179.75 मिलियन टन से बढ़कर 194.64 मिलियन टन हो गया। विद्युत उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा 9.5 प्रतिशत अधिक था। जल विद्युत उत्पादन में 21.8 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि थर्मल उत्पादन में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

3.9 अर्थव्यवस्था के पूर्व वर्ष 1988-89 में सकल घरेलू उत्पाद में 10.4 प्रतिशत की प्रभावोत्पादक वृद्धि रिकार्ड की। समग्र मुद्रा-स्फीति दर पोक मूल्य सूचकांक के अनुसार वर्ष 1987-88 के दौरान 10.7 प्रतिशत की तुलना में केवल 5.7 प्रतिशत रही।

3.10 वर्ष 1988-89 की वार्षिक योजना के लिए मूलतः अनुमोदित परिव्ययों की तुलना में योजना परिव्यय के संशोधित आकलन निम्नानुसार थे:

		1988-89	
		अनुमोदित परिव्यय	संशोधित आकलन
1.	केन्द्र	28714.65	30165.99
2.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	21103.18	19276.18
		49817.83	49442.17

3.11 अनुमोदित परिव्ययों की तुलना में, केन्द्र के मामले में संशोधित अनुमान 1451.3 करोड़ रुपए अधिक था, जबकि यह राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में मिलाकर 1827.00 करोड़ रुपए कम था। वर्तमान आयोग राष्ट्रीय योजना प्रयास में राज्य की भूमिका से संबंधित सापेक्ष कमी के संदर्भ में चिंतित है।

वार्षिक योजना 1989-90

3.12 1989-90 की वार्षिक योजना के लिए कुल सार्वजनिक क्षेत्र व परिव्यय 57,597.52 करोड़ रुपए परिकल्पित किया गया जो वर्ष 1988-89 में अनुमोदित 49,817,83 करोड़ रुपए के परिव्यय से 15.62

प्रतिशत अधिक था। केन्द्र राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के बीच इस परिव्यय का ब्यौरा निम्नानुसार था :

	वार्षिक योजना 1989-90
केन्द्र	34,445.97
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	23,151.55
योग	57,597.52

3.13 केन्द्र की 1989-90 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 19.96 प्रतिशत की वृद्धि की गई। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में तदनुरूपी वृद्धि 9.17 प्रतिशत थी।

3.14 कुल योजना परिव्यय में महत्वपूर्ण क्षेत्रों का हिस्सा निम्नानुसार था।

3.15 ऊर्जा क्षेत्र (विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों सहित) के लिए वर्ष 1989-90 में कुल सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का 29.83 प्रतिशत आवंटन किया गया है। विकास के चार बड़े क्षेत्र जिनमें ऊर्जा, उद्योग और खनिज, परिवहन और सिचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए कुल सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का लगभग 62.39 प्रतिशत था; उनका अलग-अलग हिस्सा क्रमशः 29.83 प्रतिशत, 12.21 प्रतिशत, 13.63 प्रतिशत और 6.72 प्रतिशत है। कुल पब्लिक सैक्टर के परिव्यय में विकास के कुछ अन्य महत्वपूर्ण सैक्टर निम्नानुसार थे : सामाजिक सेवाएं (15.91 प्रतिशत), ग्रामीण विकास (5.38 प्रतिशत) और कृषि (5.30 प्रतिशत)।

3.16 जवाहर रोजगार योजना नामक एक नया रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया और पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन आर ई पी) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर एल ई जी पी) इस कार्यक्रम में शामिल किए गए जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों व अल्प रोजगारों के लिए सृजन के लाभप्रद रोजगार सृजन के साथ-साथ ग्रामीण आधार संरचना को मजबूत बनाने के लिए सामुदायिक परिसम्पति जुटाना है। इसके सामानान्तर" नेहरू रोजगार योजना" नामक कार्यक्रम भी शहरी क्षेत्रों के लिए आलोच्य वर्ष के दौरान शुरू किया गया।

3.17 योजना तैयार करते समय संसाधनों के आन्तरिक सृजन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इतर बजटीय संसाधन जुटाने की क्षमता की आवश्यकता की बाबत यथोचित ध्यान दिया गया था। इसी प्रकार, परियोजना बनाने और उसके कार्यान्वयन में सुधार, समय और लागत के बढ़ने का परिहार नयी तकनीकों और नवीन प्राविधियों के प्रयोग पर जोर दिया गया।

3.18 प्राथमिकता कार्यक्रमों के अन्तर्गत परिव्ययों के निर्धारण की परिपाटी और इन कार्यक्रमों में पर्याप्त निवेश सुनिश्चित करने के लिए राज्यों की आवंटित केन्द्रीय सहायता के साथ इसे जोड़ने की कार्रवाई पिछले वर्ष की भांति चलती रही।

3.19 विकास की महत्वपूर्ण स्कीमों/परियोजनाओं/ उप-क्षेत्रकों जिनके लिए परिव्यय निर्धारित किए गए, की प्रगति की निगरानी सतत आधार पर की गई। वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना की तैयारी के

सिलसिले में की गई वार्षिक कार्रवाई के अंग के रूप में ही कार्यान्वयन की प्रगति की पूर्ण समीक्षा की गई। जहां भी आवश्यक था वर्ष मध्य सुधारात्मक उपाय भी सुझाए गए।

3.20 योजना परिव्ययों और व्यय के विवरण अनुबन्ध-3.1, 3.2, 3.3, 3.4 (क) और 3.5 में दिए गए हैं।

वार्षिक योजना 1990-91 तैयार करना

3.21 वार्षिक योजना 1990-91 तैयार करने की प्रक्रिया केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को नवम्बर, 1989 में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करके शुरू की गई जिसमें अपने योजना प्रस्तावों को तैयार करते समय ध्यान में रखने योग्य प्राथमिकताओं और कार्यक्रम प्रतिबल का उल्लेख किया है। महत्व के बुनियादी मुद्दों अर्थात् आधुनिकीकरण और दक्षता पर बल देने सतित त्वरित संवृद्धि, रोजगार सृजन पर जोर, गरीबी दूर करने पर विशेष बल सहित सामाजिक न्याय, असहाय वर्गों की पिछड़े क्षेत्रों का विकास तथा खाद्य, पेयजल, आवास, वस्त्र, प्रारंभिक शिक्षा आदि जैसी मौलिक जरूरतों की पर्याप्त व्यवस्था को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों को निम्नलिखित विषयक आवश्यकता की ओर ध्यान देने का आग्रह किया गया :

(क) पिछली योजना से छूटी हुई परियोजनाओं/स्कीमों को विशेषकर उन्हें जो सतत महत्व के पहलुओं के अनुरूप हैं, शीघ्र पूरा करना, जिससे अगली योजना अवधि के दौरान उनसे अधिकतम लाभ मिल सके; तथा

(ख) चालू कार्यक्रमों/क्रियाकलापों की शून्य आधारित बजटीय व्यवस्था शुरू करे ताकि उनके योजना प्रस्ताव करते समय उनमें समेकन, अधिक दक्षता और लागत प्रभावोत्पादकता लायी जा सके।

3.22 राज्य योजना तैयार करने के लिए जो कार्यदल गठित किये गए थे, उन्होंने कार्यक्रमों/परियोजनाओं/स्कीमों के संबंध में समस्याओं और भावी आवश्यकताओं का जायजा लिया और अपनी सिफारिशें प्रेषित की। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठके आयोजित की गई और व्यवस्था आदि को वित्तीय संसाधनों के कार्यदलों और विभिन्न कार्यदलों की, इनमें वे कार्यदल भी शामिल हैं जो वित्तीय संसाधनों के संबंध में थे, सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1990-91 के लिए परिव्यय तय किए गये।

3.23 तत्पश्चात उपाध्यक्ष योजना आयोग और उप-राज्यपालों राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों/उप-राज्यपालों की बैठकें, उनके वार्षिक योजना परिव्ययों को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित की गई।

3.24 राज्य योजना 1990-91 को अंतिम रूप देने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुए वार्षिक योजना विचार-विमर्श के लिए योजना आयोग द्वारा नया दृष्टिकोण अपनाया गया।

3.25 विगत के विचार-विमर्शों से मुख्य अंतर इस बात का था कि विचार-विमर्श को केवल कार्य की समीक्षा अथवा परिव्ययों और लक्ष्यों के विचार-विमर्श तक ही सीमित रखने की बजाय मुख्यमंत्रियों के साथ राज्यों की समस्याओं को समझने के विचार से आयोजना तथा विकास के अधिक मूलभूत मुद्दों की विस्तार से चर्चा की गई। इस बारे में भी विचार-विनिमय किया गया कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा गरीबो

और दलितों के, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, सामाजिक उत्थान के लक्ष्यमुक्त कार्यक्रमों और नीतियों को और अधिक तीव्र गति कैसे प्रदान की जा सकती है। घरेलू विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का यत्नपूर्वक पता लगाया गया। इन बैठकों में यह स्पष्ट किया गया कि वार्षिक योजना को अंतिम रूप देने के लिए इस तरह शुरू हुए वार्तालाप की प्रक्रिया एक बारगी अभ्यास न होकर निरंतर चलती रहेगी। इन विचार-विमर्शों को दिए गए नए फोकस से मुख्यमंत्री खुश थे।

3.26 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक योजना के संदर्भ में भौतिक तथा वित्तीय दोनों कार्यों विशेषरूप से औद्योगिक तथा आधार-संरचना क्षेत्र से संबंधित प्रस्तावों के मामले में योजना आयोग के संबंधित विषय प्रभागों ने नोडीय मंत्रालयों के साथ गहन विचार-विमर्श किया। चल रही परियोजनाओं, कार्यक्रमों, स्कीमों के संदर्भ में भौतिक कार्य, व्यय तथा पूरे होने के चरण के प्रकाश में वर्ष 1990-91 के लिए प्रस्तावों की जांच की गई।

3.27 वर्ष 1990-91 के लिए जिन समग्र बजटीय समर्थन तथा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के आंतरिक तथा बाह्य बजटीय संसाधनों के उपलब्ध होने की संभावना है, उनके संबंध में आयोग तथा वित्त मंत्रालय के बीच निकट समन्वय से कार्यवाही शुरू की गयी।

3.28 विषय प्रभागों द्वारा अपने विचार-विमर्शों के आधार पर पृष्ठभूमि नोट तैयार किए गए। ये नोट तथा उपर्युक्त वित्तीय संसाधनों संबंधी अभ्यासों के परिणाम आयोग के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों और केन्द्रीय मंत्रालयों। विभागों के प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार-विमर्श की श्रृंखला का आधार बने। इन बैठकों में मंत्रालय/विभागवार परिव्यय तैयार किए गए। बाद में इन परिव्ययों को आयोग में आंतरिक रूप से जो अंतिम रूप दिया गया, उन्हें वर्ष 1990-91 के लिए योजना बजट (केन्द्रीय) में शामिल करने के लिए वित्त मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को सूचित किया गया।

3.29 सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है कि निवेश योग्य संसाधनों का 50 प्रतिशत कृषि तथा ग्रामीण विकास में लगाया जाये। इस वर्ष की केन्द्रीय योजना में एक शुरूआत की गई है, जिसमें केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय समर्थन में ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा 1989-90 में 44 प्रतिशत से बढ़ाकर 1990-91 में 49 प्रतिशत कर दिया गया है।

3.30 इसके अतिरिक्त, सरकार गैर-योजना पक्ष में ऋण राहत के लिए 1000 करोड़ रुपए तथा उर्वरक सब्सिडी के लिए 4000 करोड़ रुपए दे रही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ पहुचाएंगी।

अनुबंध 3.1

संक्षिप्त विवरण

सातवीं योजना परिव्यय तथा व्यय में वृद्धि केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विकास के शीर्ष	सातवीं योजना परिव्यय 1985-90	वार्षिक योजना 1985-86 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1986-87 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1987-88 (संशोधित) अनुमान	वार्षिक योजना 1988-89 (योजना परिव्यय)	वार्षिक योजना 1989-90 (परिव्यय)	जोड़ 1985-90 (कालम 4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	केन्द्र	95534.00	19115.47	22401.76	24584.68	30165.99	34445.97	130713.87
2.	राज्य	80698.00	13249.52	16042.98	17627.53	18506.18	22292.65	87718.86
3.	संघ राज्य क्षेत्र	3768.00	694.91	704.37	708.34	770.00	858.90	3736.52
	जोड़	180000.00	33059.90	39149.11	42920.55	49442.17	57597.52	222169.25
	प्राकृतिक विपदाओं से राहत के लिए केन्द्रीय सहायता	–	361.19	556.05	1113.55	575.00		2605.79

अनुबंध 3.2

सातवीं योजना परिव्यय तथा व्यय में वृद्धि : केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विकास के शीर्ष	सातवीं योजना परिव्यय 1985-90	वार्षिक योजना 1985-86 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1986-87 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1987-88 वास्तविक	वार्षिक योजना 1988-89 ग्रामीण ऊर्जा	वार्षिक योजना 1989-90 (परिव्यय)	जोड़ 1985-90 (कालम 4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	10523.62	1825.92	2215.79	2742.92	2846.45	3054.82	12685.90
2.	ग्रामीण विकास	8906.08	2226.14	2667.65	3146.42	3054.81	3100.11#	14195.13
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2803.59	447.33	627.60	677.05	778.81	905.25	3436.04
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	16978.65	2792.24	3221.63	3346.94	3486.36	3871.53	16718.70
5.	ऊर्जा	54821.26	9613.21	11402.78	11594.48	13700.99	17181.79	63493.25
	1. विद्युत	34273.46	5615.53	6701.45	7096.29	8736.98	11422.47	39572.72
	2. पेट्रोलियम	12627.67	2869.88	3326.41	3019.55	3055.13	3356.00	15626.97
	3. अन्य	7920.13	1127.80	1374.92	1478.64	1908.88	2403.32	8293.56
6.	उद्योग एवं खनिज	22415.55@	5502.88@	5619.67@	5537.05$	6482.93 $	7032.08 $	30174.61
	1. ग्राम एवं लघु उद्योग	2752.74	524.35	615.74	616.85	679.51	796.43	3232.88

	2. लोहा तथा इस्पात उद्योग	6420.13	1495.51	1357.54	2068.22	2381.65	2935.18	10238.10
	3. उर्वरक उद्योग	2660.75	648.68	845.97	806.84	774.25	495.00	3570.74
	4. पैट्रोरसायन उद्योग	900.00	188.34	301.43	491.34	554.15	465.56	2000.82
	5. परमाणु ऊर्जा उद्योग	1010.00	291.88	305.35	195.56	254.97	275.50	1323.26
	6. अन्य	8671.93	2354.12	2193.64	1358.24	1838.40	2064.41	9808.81
7.	परिवहन	22644.86	4072.19	5201.43	6034.61	6980.08	7851.72	30140.03
	1. रेलवे	12334.55	1941.68	2697.06	3418.87	3850.00	4450.00	16357.61
	2. अन्य	10310.31	2130.51	2504.37	2615.74	3130.08	3401.72	13782.42
8.	संचार	4474.52	942.12	1085.61	1463.95	2312.45	2859.84	8663.97
9.	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	2463.06	404.78	512.38	585.42	785.75	798.14	3086.47
10.	सामान्य आर्थिक समस्याएं	1395.60 *	179.05	423.12	386.07@	603.88	@ 1269.57@	2861.69
11.	1. सामाजिक सेवाएं	31545.24	4858.45	5901.99	7006.40	8107.67	9162.33	35036.84
	1. शिक्षा	6382.65	876.79	1014.38	1610.84	1904.00	2288.59	7694.60
	2. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	3392.89	579.89	641.77	724.31	837.46	937.76	3721.19
	3. परिवार कल्याण	3256.26	479.81	561.11	607.39	634.95	652.96	2936.22

क्रम सं.	विकास के शीर्ष	सातवीं योजना परिव्यय 1985-90	वार्षिक योजना 1985-86 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1986-87 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1987-88 वास्तविक	वार्षिक योजना 1988-89 ग्रामीण ऊर्जा	वार्षिक योजना 1989-90 (परिव्यय)	जोड़ 1985-90 (कालम 4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	6522.47	1181.08	1292.54	1469.30	1616.52	1732.20	7291.64
	5. आवास और शहरी विकास	4229.50	761.11	920.05	907.31	1027.76	1227.27	4843.50
	6. अन्य	7761.47 **	979.77	1472.14	1687.25	2086.98	2323.55	8549.69
12.	सामाजिक सेवाएं	1027.97	195.59	269.46	399.24	301.99	510.34	1676.62
	जोड़ (1 + 12)	180000.00	33059.90	39149.11	42920.55	49442.17	57597.52	222169.25
	प्राकृतिक विपदाओं से राहत के लिए केन्द्रीय सहायता	—	361.19	556.05	1113.55	575.00		2605.79

टिप्पणियां :–

1. 1985-86 तथा 1986-87 के लिए वास्तविक योजना व्यय विगत वार्षिक योजना दस्तावेजों में प्रकाशित जैसे ही हैं।
2. पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत पैट्रोरसायन तथा इंजीनियरी इकाईयों के लिए परिव्यय/व्यय को ऊर्जा से निकाल कर उद्योग तथा खनिज के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

* इसमें जिला आयोजना तथा राष्ट्रीय बचत स्कीमों के लिए प्रावधान भी शामिल हैं।

** विशेष रोजगार स्कीम का प्रावधान भी शामिल हैं।

@ इसमें राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र शामिल नहीं है।

केन्द्रीय बजट, 1989-90 के बाद किए गए अतिरिक्त आवंटन को शामिल नहीं किया जाता है।

$ इसमें राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र शामिल है।

अनुबंध 3.3

सातवीं योजना परिव्यय तथा व्यय में वृद्धि : केन्द्र

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विकास के शीर्ष	सातवीं योजना परिव्यय 1985-90	वार्षिक योजना 1985-86 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1986-87 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1987-88 वास्तविक	वार्षिक योजना 1988-89 ग्रामीण ऊर्जा	वार्षिक योजना 1989-90 (परिव्यय)	जोड़ 1985-90 (कालम 4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	4006.71	745.52	864.74	1118.18	1289.68	1202.64	5220.76
2.	ग्रामीण विकास	4901.59	1235.14	1617.75	1834.63	1759.15	1762.02	8208.69
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	834.93	122.72	171.09	186.18	216.97	204.85	901.81
5.	ऊर्जा	31492.14	6144.09	7311.76	7189.10	9099.63	11226.70	40971.28
	1. विद्युत	11051.54	2160.09	2628.43	2707.98	4163.55	5493.70	17153.75
	2. पैट्रोलियम	12627.67	2869.88	3326.41	3019.55	3055.13	3356.00	15626.97
	3. अन्य	7812.93	1114.12	1356.92	1461.57	1880.95	2377.00	8190.56
6.	उद्योग एवं खनिज	18507.69	4731.35	4693.06	4563.82	5584.65	5933.99	25506.87
	1. ग्राम एवं लघु उद्योग	1284.84	255.03	311.44	288.03	352.11	377.86	1584.47

क्रम सं.	विकास के शीर्ष	सातवीं योजना परिव्यय 1985-90	वार्षिक योजना 1985-86 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1986-87 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1987-88 वास्तविक	वार्षिक योजना 1988-89 ग्रामीण ऊर्जा	वार्षिक योजना 1989-90 (परिव्यय)	जोड़ 1985-90 (कालम 4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. लोहा तथा इस्पात उद्योग	6420.13	1495.51	1357.54	1483.20	1862.46	2316.04	8514.75
	3. उर्वरक उद्योग	2660.75	648.68	845.97	806.84	774.25	495.00	3570.74
	4. पैट्रोरसायन उद्योग	900.00	188.34	301.43	491.34	554.15	465.56	2000.82
	5. परमाणु ऊर्जा उद्योग	1010.00	291.88	305.35	195.56	254.97	275.50	1323.26
	6. अन्य	6231.97	1851.91	1571.33	1298.85	1786.71	2004.03	8512.83
7.	परिवहन	16320.69	963.86	3847.52	4607.67	5555.63	6296.50	23271.18
	1. रेलवे	12334.30	1941.58	2697.06	3418.87	3850.00	4450.00	16357.51
	2. अन्य	3986.39	1022.28	1150.46	1188.80	1705.63	1846.50	6913.67
8.	संचार	4465.78	942.11	1084.81	1462.45	2311.20	2858.09	8658.66
9.	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पयावरण	2300.49	380.67	480.92	552.63	749.15	752.50	2915.87
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	416.62	69.85	122.01	140.85	231.34	729.66	1293.71
11.	1 सामाजिक सेवाएं	11938.44	1731.03	2158.30	2875.86	3299.04	3395.53	13459.76
	1. शिक्षा	2388.64	283.45	288.22	746.17	807.59	831.01	2956.44

	2. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	897.34	181.58	172.82	183.73	228.29	240.00	1006.42
	3. परिवार कल्याण	3256.26	479.81	561.11	607.39	634.95	652.96	2936.22
	4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1236.83	298.44	330.23	391.10	431.77	433.38	1884.92
	5. आवास और शहरी विकास	427.88	51.93	52.22	51.60	75.23	81.02	312.00
	6. अन्य	3731.49	435.82	753.70	895.84	1121.21	1157.16	4363.76
12.	सामाजिक सेवाएं	348.92	49.13	49.80	53.31	69.55	83.49	305.28
	जोड़ (1 से 12)	95534.00	19115.47	22401.76	24584.68	30165.99	34445.97	130713.87

अनुबंध 3.4

सातवीं योजना परिव्यय तथा व्यय में वृद्धि : राज्य

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विकास के शीर्ष	सातवीं योजना परिव्यय 1985-90	वार्षिक योजना 1985-86 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1986-87 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1987-88 वास्तविक	वार्षिक योजना 1988-89 ग्रामीण ऊर्जा	वार्षिक योजना 1989-90 (परिव्यय)	जोड़ 1985-90 (कालम 4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	6248.40	1040.93	1329.88	1604.09	1533.46	1824.70	7333.06
2.	ग्रामीण विकास	3974.70	986.32	1046.99	1308.87	1292.36	1334.13	5968.67
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2803.53	446.29	627.60	677.05	778.81	905.25	3435.00
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	15949.77	2636.53	3923.23	3146.26	3251.99	3650.74	15708.75
5.	ऊर्जा	22786.15	3294.18	3023.23	4212.17	4394.35	5753.87	21543.19
	1. विद्युत	22686.76	3282.98	3872.91	4196.26	4367.48	5729.74	21449.37
	2. पैट्रोलियम	—	—	—	—	—	—	—
	3. अन्य	99.39	11.20	15.71	15.91	26.87	24.13	93.82
6.	उद्योग एवं खनिज	3785.88	750.05	907.65	951.45	881.73	1078.48	4569.36
	1. ग्राम एवं लघु उद्योग	1378.52	253.63	290.30	311.74	316.34	404.96	1576.87
	2. लोहा तथा इस्पात उद्योग	—	—	—	580.62	513.70	613.14	1707.46

	3. उर्वरक उद्योग							
	4. पैट्रोरसायन उद्योग	—	—	—	—	—	—	—
	5. परमाणु ऊर्जा उद्योग	—	—	—	—	—	—	—
	6. अन्य	2407.36	496.42	617.45	59.09	51.69	60.38	1285.03
7.	परिवहन	5608.19	994.70	1243.55	1303.48	1290.71	1399.09	6231.53
	1. रेलवे	0.25	0.10	—	—	—	—	0.10
	2. अन्य	5607.94	994.60	1243.55	1303.48	1290.71	1399.09	6231.43
8.	संचार	8.49	0.01	0.80	1.50	1.24	1.75	5.30
9.	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	157.28	23.49	30.62	32.09	35.60	44.23	166.03
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	941.41	102.86	296.28	240.20	367.46	534.31	1541.11
11.	1 सामाजिक सेवाएं	17782.96	2834.93	3437.76	3810.96	4454.89	5351.44	19889.98
	1. शिक्षा	3488.71	528.80	727.04	801.80	1019.25	1367.63	4444.52
	2. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2240.33	362.82	419.31	494.93	555.71	638.07	2470.84
	3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—
	4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	4848.06	805.67	890.48	1004.59	1103.86	1201.77	5006.37
	5. आवास और शहरी विकास	3281.09	608.88	765.30	740.62	839.80	1011.43	3966.03
	6. अन्य	3924.77	528.76	635.63	769.02	936.27	1132.54	4002.22

क्रम सं.	विकास के शीर्ष	सातवीं योजना परिव्यय 1985-90	वार्षिक योजना 1985-86 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1986-87 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1987-88 वास्तविक	वार्षिक योजना 1988-89 ग्रामीण ऊर्जा	वार्षिक योजना 1989-90 (परिव्यय)	जोड़ 1985-90 (कालम 4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	सामाजिक सेवाएं	651.18	139.23	210.00	339.41	223.58	414.66	1326.88
	जोड़ (1 + 12)	80698.00	13249.52	16042.98	17627.53	18506.18	22292.65	87718.86
	प्राकृतिक विपदाओं से राहत के लिए केन्द्रीय सहायता	–	361.19	556.05	1113.55	575.00	–	2605.79

अनुबंध 3.4 (क)

सातवीं योजना परिव्यय तथा व्यय में वृद्धि : संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विकास के शीर्ष	सातवीं योजना परिव्यय 1985-90	वार्षिक योजना 1985-86 (वास्तविक) **	वार्षिक योजना 1986-87 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1987-88 वास्तविक	वार्षिक योजना 1988-89 ग्रामीण ऊर्जा	वार्षिक योजना 1989-90 (परिव्यय)	जोड़ 1985-90 (कालम 4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	268.51	39.47	21.17	20.65	23.31	27.48	132.08
2.	ग्रामीण विकास	29.79	4.68	2.91	2.92	3.30	3.96	17.77
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	1.04	—	—	—	—	1.04
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	193.95	32.99	27.31	14.50	17.40	15.94	108.14
5.	ऊर्जा	542.97	174.94	202.40	193.21	207.01	201.22	978.78
	1. विद्युत	535.16	172.46	200.11	192.05	205.95	199.03	969.60
	2. पैट्रोलियम	—	—	—	—	—	—	—
	3. अन्य	7.81	2.48	2.29	1.16	1.06	2.19	9.18
6.	उद्योग एवं खनिज	121.98	21.48	18.96	21.78	16.55	19.61	98.38
	1. ग्राम एवं लघु उद्योग	89.38	15.69	14.10	17.08	11.06	13.61	71.54

क्रम सं.	विकास के शीर्ष	सातवीं योजना परिव्यय 1985-90	वार्षिक योजना 1985-86 (वास्तविक) **	वार्षिक योजना 1986-87 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1987-88 वास्तविक	वार्षिक योजना 1988-89 ग्रामीण ऊर्जा	वार्षिक योजना 1989-90 (परिव्यय)	जोड़ 1985-90 (कालम 4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. लोहा तथा इस्पात उद्योग	—	—	—	4.40	5.49	6.00	15.89
	3. उर्वरक उद्योग	—	—	—	—	—	—	—
	4. पैट्रोरसायन उद्योग	—	—	—	—	—	—	—
	5. परमाणु ऊर्जा उद्योग	—	—	—	—	—	—	—
	6. अन्य	32.60	5.79	4.86	0.30	—	—	10.95
7.	परिवहन	715.98	113.63	110.36	123.46	133.74	156.13	637.32
	1. रेलवे	—	—	—	—	—	—	—
	2. अन्य	715.98	113.63	110.36	123.46	133.74	156.13	637.32
8.	संचार	0.25	—	—	—	0.01	—	0.01
9.	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	5.29	0.62	0.84	0.70	1.00	1.41	4.57
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	37.57	6.34	4.83	5.02	5.08	5.60	26.87
11.	1 सामाजिक सेवाएं	1823.84	292.49	305.93	319.58	353.74	415.36	1687.10
	1. शिक्षा	505.30	64.54	58.42	62.87	77.16	89.95	352.94
	2. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	255.22	35.49	49.64	45.65	53.46	59.69	243.93

3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	437.58	76.97	71.83	73.61	80.89	97.05	400.35
5. आवास और शहरी विकास	520.53	100.30	102.53	115.09	112.73	134.82	568.47
6. अन्य सामाजिक सेवाएं**	105.21	15.19	23.51	22.36	29.50	33.85	124.41
12. सामान्य सेवाएं	27.87	7.23	9.66	6.52	8.86	12.19	44.46
जोड़ (1 + 12)	3768.00	694.91	704.37	704.34	770.00	858.90	3736.52

** इसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, दमन व द्वीव शामिल हैं।

(करोड़ रु. में)

1987-88			1988-89			1989-90	जोड़	सातवीं योजना
परिव्यय	वास्तविक व्यय	कालम 11/10 की प्रतिशतता	परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	कालम 13/14 की प्रतिशतता	परिव्यय	1985-90 कालम 4+7+10+13+16	आवंटन की प्रतिशतता के रूप में कुल वार्षिक योजना परिव्यय (कालम 17/कालम 3)
10	11	12	13	14	15	16	17	18
626.33	626.95	100.10	753.36	729.65	96.85	981.73	3020.69	165.02
113.66	86.41	76.27	117.13	117.69	100.48	132.09	525.28	151.91
208.84	194.98	93.36	231.47	231.96	100.21	268.13	1072.13	98.06
863.35	956.75	110.82	973.56	950.39	97.62	1008.60	4235.23	122.60
299.92	318.03	106.04	317.66	340.77	107.28	308.83	1461.57	84.51
107.81	131.27	121.76	124.27	124.27	100.00	105.00	510.24	102.65
113.24	99.65	88.00	131.30	141.57	160.90	156.13	605.70	104.99
46.35	43.53	93.92	51.08	51.11	100.06	53.97	236.50	87.74
322.02	174.01	54.04	296.57	220.51	74.35	179.46	1521.42	87.80
9.02	8.86	98.83	10.00	9.90	99.00	12.00	47.02	117.55
46.07	39.42	85.57	33.90	35.24	103.95	39.90	212.42	98.80

30.16	16.29	54.01	29.70	20.91	70.40	33.16	93.02	
55.79	45.78	80.06	50.62	73.08	144.23	38.79	145.20	
2842.56	2739.93	96.39	3120.52	3046.98	97.64	3417.79	13686.42	116.00

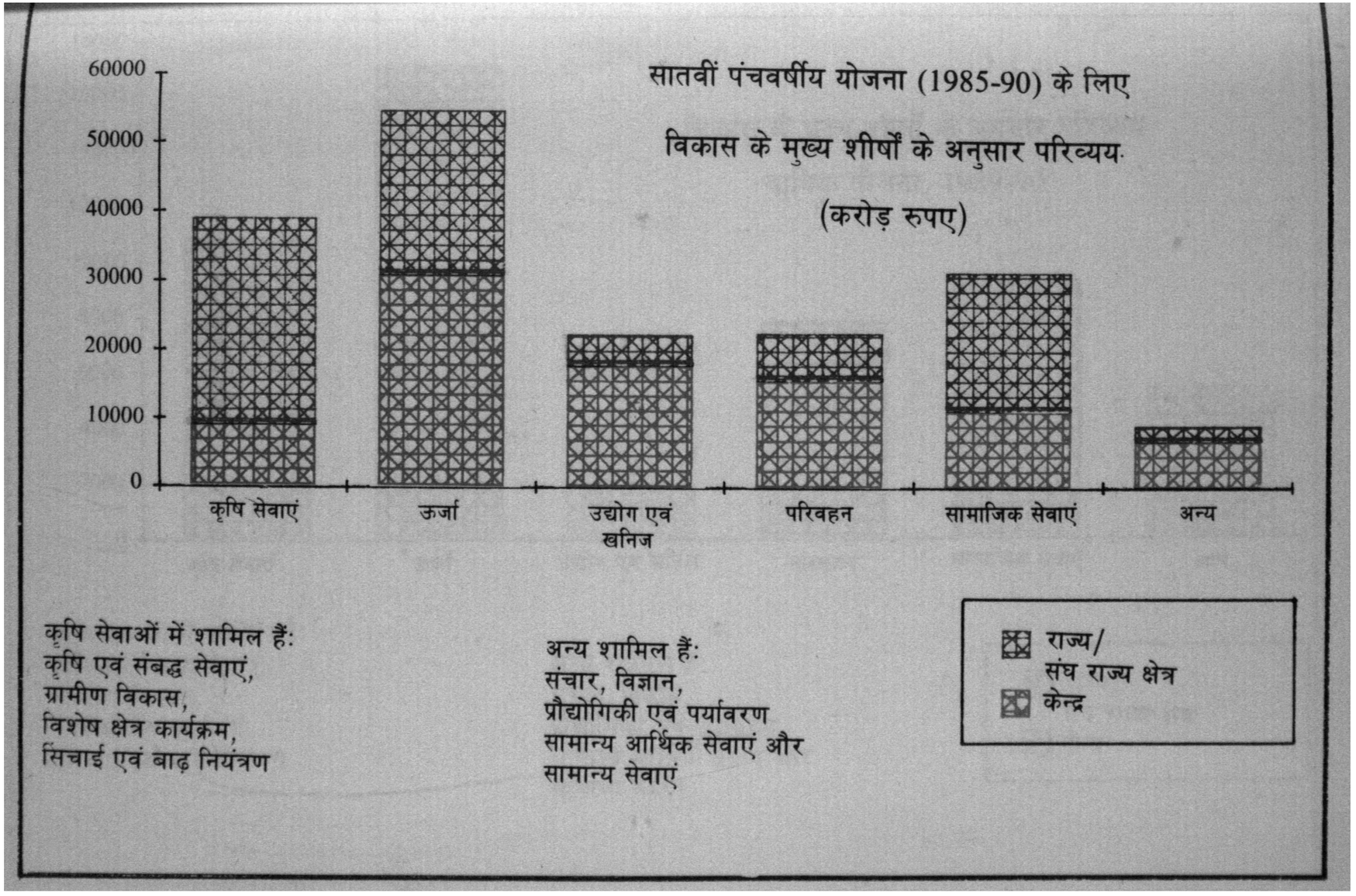

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के लिए
विकास के मुख्य शीर्षों के अनुसार परिव्यय.
(करोड़ रुपए)
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
कृषि सेवाएं
ऊर्जा
उद्योग एवं खनिज
परिवहन
सामाजिक सेवाएं
अन्य
राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र
केन्द्र
कृषि सेवाओं में शामिल हैं:
कृषि एवं संबद्ध सेवाएं,
ग्रामीण विकास,
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम,
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
अन्य शामिल हैं:
संचार, विज्ञान,
प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण
सामान्य आर्थिक सेवाएं और
सामान्य सेवाएं

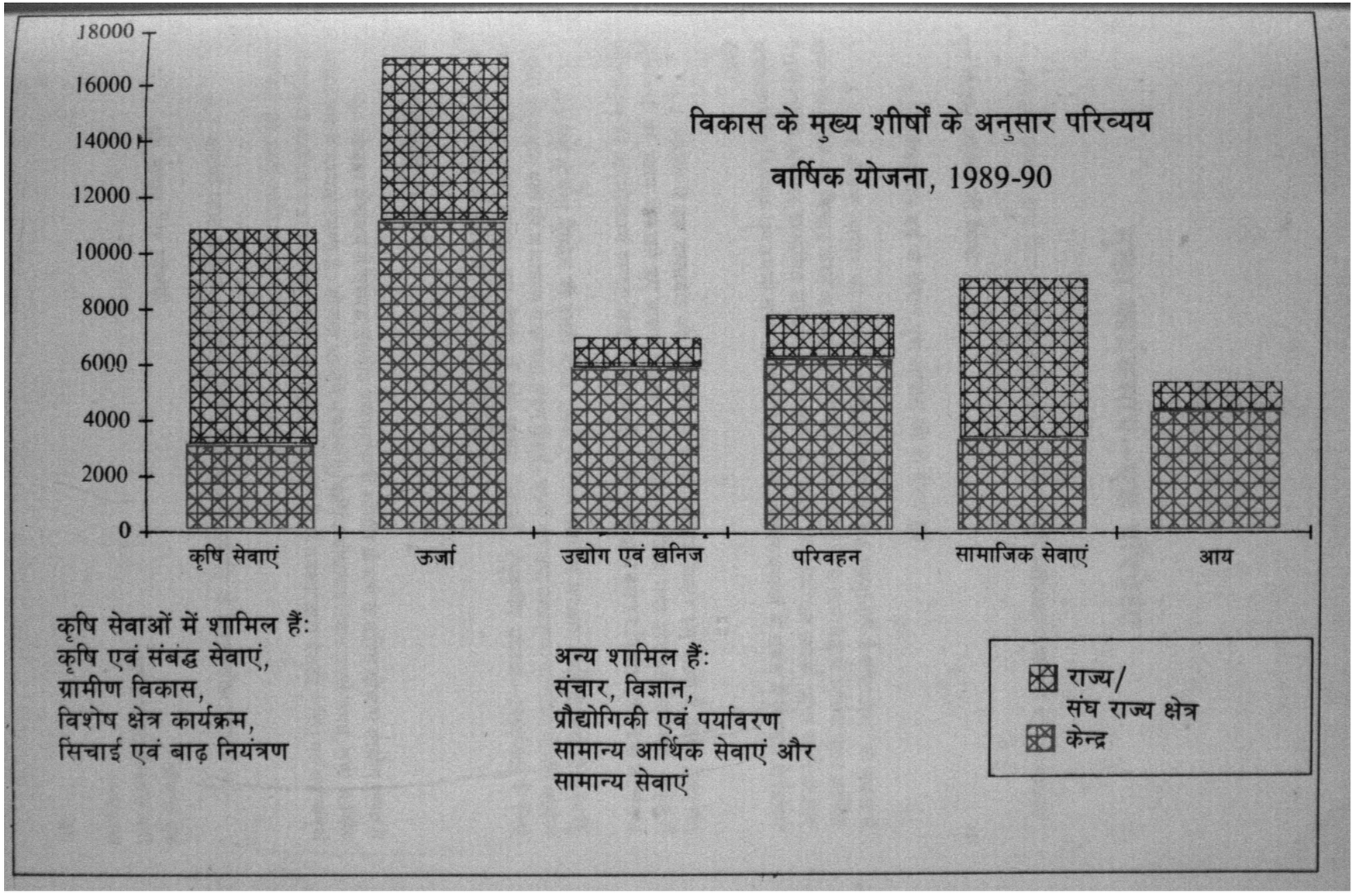
विकास के मुख्य शीर्षों के अनुसार परिव्यय
वार्षिक योजना, 1989-90
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
कृषि सेवाएं
ऊर्जा
उद्योग एवं खनिज
परिवहन
सामाजिक सेवाएं
आय
कृषि सेवाओं में शामिल हैं:
कृषि एवं संबद्ध सेवाएं,
ग्रामीण विकास,
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम,
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
अन्य शामिल हैं:
संचार, विज्ञान,
प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण
सामान्य आर्थिक सेवाएं और
सामान्य सेवाएं
राज्य/
संघ राज्य क्षेत्र
केन्द्र

अध्याय-4

मुख्य कार्यकलाप–एक परिप्रेक्ष्य

योजना आयोग द्वारा किए गए मुख्य कार्यकलापों का विवरण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

पूर्ण योजना आयोग की बैठकें

4.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूर्ण आयोग की दो बैठकें हुई।

4.3 पूर्ण योजना आयोग की बैठक "आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990-95 के दृष्टिकोण" के संबंध में प्रारूप दस्तावेज पर विचार करने के लिए 28 अगस्त, 1989 को हुई। इस दस्तावेज में निर्दिष्ट मुख्य आर्थिक पैरामीटरों के अनुसार प्रस्तावित उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के प्रभावों के अतिरिक्त उनको प्राप्त करने के लिए अपेक्षित नीति विषयक उपक्रमणों तथा संस्थागत सुधारों के अनुसार प्रयासों के संबंध में विस्तार से विचार हुआ।

4.4 आयोग ने इस दस्तावेज को मौटे-तौर से अनुमोदित कर दिया। इस बैठक में व्यक्त किए गए अभिमतों को ध्यान में रखते हुए प्रारूप दस्तावेज को संशोधित किया गया और इसे सितम्बर, 1989 में मंत्रिमंडल को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। तथापि, मंत्रिमंडल द्वारा इस पर विचार नहीं किया जा सका।

4.5 पूर्ण योजना आयोग की दूसरी बैठक इसके पुनर्गठन तथा नई सरकार बनने के बाद 12 फरवरी, 1990 को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में योजना भवन में हुई। इसमें नए उपाध्यक्ष तथा पुनर्गठित योजना आयोग के सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक में नए प्रारूप "आठवीं पंचवर्षीय योजना–1990-95 के लिए दृष्टिकोण-समाज परिवर्तन की ओर" पर विचार किया गया।

संसदीय समिति की बैठकें

4.6 योजना मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय परामर्शदात्री समिति के मंच के जरिए योजना आयोग संसद से सक्रिय रूप से सम्पर्क रखता है। योजना आयोग पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाएं तैयार करते समय, तथा आर्थिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेते समय समिति के सदस्यों द्वारा बैठकों में दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों को भली-भांति ध्यान में रखता है।

4.7 आठवीं लोक सभा के भंग होने से पूर्व परामर्शदात्री समिति के निम्नलिखित सदस्य थे:–

श्री माधव सिंह सोलंकी — योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री –अध्यक्ष

श्री बीरेन सिंह एंगती	योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयों में राज्य मंत्री

लोकसभा के सदस्य
श्री डी. पी. यादव
श्री राम स्वरूप राम
श्री शरद शंकर दीघे
श्री बाला साहेब विखे पाटिल
श्रीमती ऊषा पी. चौधरी
श्री वृद्धि चन्द्र जैन
श्री गिरधारी लाल व्यास
श्री एम. वाई. घोरपड़े

राज्य सभा सदस्य
श्री अश्विनी कुमार
श्री गुलामी रसूल मट्टू
श्री धर्मपाल
श्री अजीत सिंह
श्री पी. के. कुंजाचेन

श्रीमती शीला दीक्षित	संसदीय कार्य राज्य मंत्री –पदेन सदस्य
श्री एम. एम. जैकब	संसदीय कार्य राज्य मंत्री –पदेन सदस्य
श्री पी. नामग्याल	उद्योग मंत्रालय (रसायन एवं पैट्रो-रसायन विभाग) एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री –पदेन सदस्य
श्री राधाकृष्णन मालवीय	श्रम मंत्रालय एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री –पदेन सदस्य

4.8 आम चुनाव, 1989 के पश्चात, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयों के लिए दिनांक 6.1.1990 को एक नई संसदीय परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया। समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं:–

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, प्रधान मंत्री तथा योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री –अध्यक्ष

श्रीमती मेनका गांधी, पर्यावरण एवं वन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री

लोक सभा सदस्य

1 श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा
२.श्री नकुल नायक
3. श्री मनधाता सिंह
4. श्री नरसिंह राव दीक्षित
5. डा. लक्ष्मीनारायण पांडे
6. श्री लोकेन्द्र सिंह
7. डा. विप्लव दासगुप्ता
8. श्री वसंत साठे
9. श्री ब्रह्म दत्त
10. श्री एडुआर्डो फलेरो
11. श्री बी. शंकरानन्द

राज्य सभा सदस्य

1. श्री पी. के. कुंजाचेन
2. श्री गुलाम रसूल मट्टू
3. श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर
4. श्री ए. के. एंटोनी

4.9 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की पांच बैठकें हुई हैं और जिनमें निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया:

क्रम. सं.	बैठक की तारीख	विषय जिस पर विचार-विमर्श किया गया
1.	11-5-1989	भारत की जनसंख्या-नीति एवं परिप्रेक्ष्य
2.	17-7-1989	कृषि-जलवायु संबंधी प्रादेशिक आयोजना: एक सिंहावलोकन
3.	2-8-1989	
4.	18-9-1989	पर्यावरणीय रूप से चिर-स्थायी विकास
5.	7-3-1990	आठवीं पंचवर्षीय योजना से सम्बन्धित मुद्दे

4.10 आयोग की आंतरिक अधिकारी स्तरीय बैठकों में निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत विचार किया गया।

(1) आठवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित मुद्दे।
(2) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण।
(3) संचालन दलों/कार्यदलों की रिपोर्टों की स्थिति।
(4) वार्षिक योजना 1990-91 को तैयार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों को मार्गदर्शी सिद्धांत।

(5) वार्षिक योजना विचार-विमर्शों के विभिन्न स्तर और राज्य योजना सलाहकारों, विषय प्रभाग सलाहकारों, योजना समन्वय प्रभाग तथा राज्य योजना प्रभाग की भूमिका।
(6) आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने संबंधी समय अनुसूची।
(7) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की स्थिति।
(8) योजना आयोग में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग।
(9) वर्ष 1989 के दौरान सामान्य मूल्य स्थिति इत्यादि।

4.11 इस वर्ष के दौरान आठवीं योजना को तैयार करने संबंधी उपक्रम भी किया गया। प्रभाग ने आयोग की आंतरिक बैठकों के विचारार्थ तथा दृष्टिकोण दस्तावेज में सम्मिलित करने के लिए प्रारूप अध्याय तैयार किए। उन्होंने आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए गठित संचालन दलों/कार्यदलों के विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया और इन दलों की अपनी-अपनी रिपोर्टों को अंतिम रूप देने में सहायता की।

4.12 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान योजना आयोग के प्रभागों के कार्यकलाप संक्षेप में निम्नलिखित उप-खंडों में दिए गए हैं:—

I. कृषि प्रभाग

4.13 इस प्रभाग द्वारा किए गए मुख्य कार्यों में वार्षिक योजना दस्तावेज, वर्ष 1989-90 के लिए कृषि और सम्बद्ध सेक्टरों से संबंधित सुसंगत सामग्री को तैयार करना, वर्ष 1990-91 के लिए केन्द्र तथा राज्यों के वार्षिक योजना परिव्ययों को अंतिम रूप देना तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने से संबंधित कार्य करना शामिल है।

4.14 वार्षिक योजना 1989-90 के लिए कृषि और सम्बद्ध सेक्टरों में फसल उत्पादन, पशुपालन, डेरी विकास, मत्स्य पालन तथा चुनिंदा विकास कार्यक्रमों के लक्ष्यों को अंतिम रूप देने के लिए सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में अतर-मंत्रालयी बैठकें आयोजित की गईं।

4.15 प्रभाग ने "कृषि के लिए नीति पैकेज: राजकोषीय तथा आर्थिक" शीर्षक से कृषि विषय पर एक नीति पत्र तैयार किया।

4.16 आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए कृषि और सम्बद्ध सेक्टरों से संबंधित संचालन दल की सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में कृषि और सम्बद्ध सेक्टरों के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए गठित कार्यदलों की कुछ रिपोर्टों की जांच करने के लिए तीन बैठकें हुईं।

4.17 योजना आयोग द्वारा शुरू की गई कृषि जलवायु कटिबंधों पर आधारित कृषि आयोजना को संगठित करने संबंधी परियोजना ने वर्ष के दौरान पर्याप्त प्रगति की। सभी 15 कटिबंधीय आयोजना दलों ने कटिबंधीय रूपरेखाएं तैयार करने से संबंधित कार्य को पूरा किया, और इन रूपरेखाओं के आधार पर, कटिबंधीय आयोजना दलों में कटिबंधीय तथा उपकटिबंधीय स्तरों पर विकास की दिक्कतों और उनके लिए प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए प्रारंभिक कार्यनीति पत्र प्रकाशित किए। कटिबंधीय आयेजना दल अब संशोधित कार्यनीति पत्रों को तैयार करने तथा सुझाई गई कार्यनीतियों और विकास प्राथमिकताओं को कटिबंधवार तथा उपकटिबंधवार ठोस प्रचालनात्मक योजनाओं में रूपांतरित करने में व्यस्त हैं।

4.18 योजना आयोग की कृषि-जलवायु प्रादेशिक आयोजना यूनिट (एआरपीयू, अहमदाबाद) ने 21-9-89 को सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में आयोजित कृषि जलवायु कटिबंधों पर आधारित कृषि आयोजना के संगठन के लिए केन्द्रीय समिति की बैठक में "कृषि जलवायु कटिबंधों पर आधारित फसल उत्पादन योजना" विषय पर एक पत्र प्रस्तुत किया।

4.19 कृषि-जलवायु प्रादेशिक आयोजन विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी 5 और 6 मार्च, 1990 को सरदार पटेल आर्थिक तथा सामाजिक अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद में आयोजित की गई। संगोष्ठी की अध्यक्षता डा. हरस्वरूप सिंह, सदस्य, योजना आयोग द्वारा की गई और उसमें अन्य लोगों के साथ-साथ डा. ए. वैद्यनाथन, सदस्य, योजना आयोग प्रोफेसर डी. टी. लांकड़ावाला, प्रो. वी. एम. दांडेकर, प्रो. वाई. के. अलग, अध्यक्ष, आंचलिक आयोजना दल, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया।

4.20 संगोष्ठी में कृषि जलवायु प्रादेशिक आयोजना प्रोजेक्ट में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और भविष्य में मोटे रूप से अपनाई जाने वाली कार्य-दिशा की सिफारिश की गई।

4.21 योजना आयोग ने राज्य सहकारी समिति विधेयक के माडल को अंतिम रूप देने के लिए भूतपूर्व केन्द्रीय कृषि और सहकारिता मंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। उक्त समिति के सदस्यों में प्रशासक तथा सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं।

4.22 उक्त समिति का कार्यक्षेत्र व्यापक रखा गया है जिससे सहकारिता विकास के त्वरित विकास के मूल्यांकन तथा भविष्य के लिये निदेशों के प्रावधान को सम्मिलित किया जा सके।

II. पिछड़ा वर्ग प्रभाग

4.23 धनराशियों के परिमाणन, सुसंगत स्कीमों के अभिनिर्धारण, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए क्रियान्वित नीतियों तथा कार्यक्रमों में उपयुक्त समायोजन कर सकने के लिए कार्यक्रमों की पुनरीक्षा के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1990-91 के लिए अनुसूचित जातियों तथा जनजातीय उपयोजनाओं के लिए विशेष संघटक योजना को अंतिम रूप देने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

4.24 आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास तथा कल्याण के लिए तत्कालीन योजना राज्य मंत्री की अध्यक्षता में नीति मार्गदर्शी सिद्धांतों, उद्देश्यों तथा कार्यनीतियों को तैयार करने के लिए एक संचालन दल का गठन किया गया। संचालन दल ने कल्याण मंत्रालय में सचिव की अध्यक्षता में दो पृथक कार्यदलों की स्थापना की—एक अनुसूचित जातियों के विकास तथा कल्याण के लिए तथा दूसरा अनुसूचित जनजातियों के विकास तथा कल्याण के लिए। योजना आयोग ने इन दलों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की जांच की तथा उनकी सिफारिशों पर एक स्थिति-पत्र तैयार किया।

4.25 झाड़कशी के उन्मूलन तथा झाड़कशों के पुनर्वास के बारे में गठित कृतिक बल की दो बैठकें हुई तथा झाड़कशों के पुनर्वास संबंधी समस्याओं के आयामों तथा उनके लिए अपेक्षित उपायों पर विचार-विमर्श किया।

4.26 इस प्रभाग द्वारा प्रायोजित आपरेशन अनुसंधान दल, भुवनेश्वर के जरिए अपर इन्द्रावती तथा रंगाली बहु-उद्देशीय परियोजना में विस्थापित जनजातीय लोगों के पुनर्वास संबंधी अध्ययन रिपोर्ट की जांच की गई तथा प्राप्त निष्कर्षों का संचालन दल द्वारा उपयोग किया गया।

4.27 यह प्रभाग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु स्कीमों से संबंधित अनेक कार्यों के लिए कल्याण मंत्रालय के साथ सम्बद्ध रहा, जिसमें ये कार्य शामिल हैं:–

(1) जनजातीय उपयोजना क्षेत्र का यौक्तिकीकरण;
(2) वर्ष 1989-90 के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्य योजना;
(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियों की दरों में संशोधन;
(4) शुष्क शौचालयों को जलयुक्त शौचालयों में बदलने, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए छात्रावास के लिए सहायता का प्रतिमान;
(5) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्टों की जांच;
(6) अल्पसंख्यक वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त पैनल;
(7) परियोजना की स्थापना से प्रभावित जनजातीय लोगों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास नीति तैयार करना;
(8) अनुसूचित जाति विकास निगम की पुनरीक्षा बैठकों का आयोजन; तथा
(9) अनुसंधान परियोजनाओं को प्रायोजित करना।

4.28 प्रभाग के अधिकारियों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तथा राजस्थान के चुनींदा क्षेत्रों में फील्ड निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय सार्वजनिक निगम तथा बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली जैसे राष्ट्रीय स्तर के संगठन के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु अतिथि संकाय के रूप में भी भाग लिया।

III. संचार तथा सूचना प्रभाग

संचार तथा प्रसारण

4.29 प्रभाग ने वार्षिक योजना 1989-90 के लिए इस सेक्टर के संबंध में सुसंगत सामग्री तैयार की। वार्षिक योजना 1990-91 के लिए गहन विचार विमर्श भी किए तथा परिव्ययों को अंतिम रूप दिया गया।

4.30 आठवीं योजना तैयार करने के संदर्भ में निम्नलिखित कार्यदलों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की:

(1) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अधिकांश प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं के निर्धारणार्थ संचार से संबंधित कार्यदल।
(2) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सामाजिक सेक्टरों की आवश्यकताओं के निर्धारणार्थ संचार से संबंधित कार्यदल।

(3) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरसंचार उपस्करों की उत्पादन आवश्यकताओं के निर्धारणार्थ एवं संस्तुति से सम्बद्ध कार्यदल।

(4) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दूरसंचार सेक्टर में निविष्टियों की लागतों के निर्धारणार्थ संचार संबंधी कार्यदल।

4.31 आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए सूचना तथा प्रसारण सेक्टर के लिए भी एक कार्यदल का गठन किया गया। इस दल द्वारा अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही योजना आयोग को प्रस्तुत किये जाने की संभावना है।

4.32 दूर संचार विभाग, डाक विभाग तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा पी आई बी/ई एफ सी और/अथवा आर्थिक कार्य से संबंधित मंत्रिमंडल समिति/सचिवों की समिति द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत अनेक प्रस्तावों की जांच की गई और टिप्पणियां तैयार की गई।

सूचना तथा प्रचार

4.33 आंतरिक सूचना सेवा को, विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं (स्थानीय तथा अन्य शहरों के) से आयोजन तथा विकास पर छपे चुनींदा समाचारों/लेखों के, जो योजना आयोग के विशेष रुचि के होते हैं, प्रतिदिन परिचालन की व्यवस्था करके कारगर बनाया गया। क्लिपिंग सेवा में हिन्दी समाचार पत्रों में छपी उक्त किस्म के समाचारों/लेखों को भी शामिल किया गया।

4.34 योजना आयोग के विभिन्न प्रकाशनों के मुद्रण तथा वितरण से संबंधित कार्य को जारी रखा गया। योजना आयोग के इन प्रकाशनों को राज्यपालों, मंत्रियों, संसद सदस्यों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों तथा अनुसंधान संस्थाओं को भेजकर उनका व्यापक प्रसार किया गया। ये प्रकाशन अनुसंधानकर्ताओं तथा छात्रों को भी उनकी मांग पर उपलब्ध कराए गए।

4.35 रिर्पोटाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए:

(1) पूंजी बाजार के विकास से संबंधित कार्यदल की रिपोर्ट
(2) कोचीन तथा समीपवर्ती द्वीप समूह के एकीकृत विकास से संबंधित केन्द्र-राज्य दल की रिपोर्ट
(3) वार्षिक रिपोर्ट 1988-89 (अंग्रेजी)
(4) वार्षिक रिपोर्ट 1988-89 (हिन्दी)
(5) खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र--रूपरेखा नीति मुद्दे तथा परिप्रेक्ष्य
(6) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम से संबंधित मूल्यांकन रिपोर्ट
(7) इंडक्शन सामग्री
(8) वार्षिक योजना 1989-90 (अंग्रेजी)
(9) वार्षिक योजना 1989-90 (हिन्दी)
(10) विस्तृत अनुदान मांगे, 1989-90

IV. शिक्षा प्रभाग

4.36 आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) को तैयार करने के संदर्भ में योजना आयोग ने जून, 1988

में शिक्षा सेक्टर के लिए निम्नलिखित तीन संचालन दलों का गठन किया:–

(1) संचालन दल संख्या 1—प्रारम्भिक, माध्यमिक, प्रौढ़, विश्वविद्यालय एवं तकनीकी तथा प्रबंधन विषयों सहित शिक्षा
(2) संचालन दल संख्या 2—कला, संस्कृति, खेल-कूद, एवं युवा कार्य, भाषाएं तथा पुस्तकालय।
(3) संचालन दल संख्या 3—सांख्यिकी, मानीटरिंग मूल्यांकन, योजना एवं प्रबंध तथा शिक्षा, संस्कृति और खेल-कूद के लिए संसाधन।

4.37 इन संचालन दलों की सिफारिश पर अगस्त, 1988 में शैक्षिक विकास के विभिन्न पहलुओं के संबंध में 13 कार्यदलों का गठन किया गया था।

4.38 संचालन दल कार्यदल की रिपोर्टों का संश्लेषण करेंगे। प्रत्येक संचालन दलों की दो-दो बैठकें हुई।

4.39 प्रभाग द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट मुद्दों पर अनेक अध्ययन प्रायोजित किए गए:–

परियोजना/अध्ययन का नाम	परियोजना/अध्ययन कार्य को संचालित करने वाली संस्थान तथा परियोजना निदेशक का नाम
(1) "केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा व्यय की प्रवृत्तियां"	एसोसिएशन आफ इंडियन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (डा. एम.एम.अंसारी)
1(2) "उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास प्रयास"	आई.आई.एम.बंगलौर (डा. शंकर नारायण तथा डा. एस. नयनतारा)
(3) "राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में व्यावसायीकरण कार्यक्रम की स्थिति का मूल्यांकन"	आई.आई.एम.बंगलौर (डा. शंकर नारायण तथा डा. एस. नयनतारा)
1(4) "भारत में शिक्षा पर निजी व्यय के संबंध में अध्ययन"	भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे (डा. पी.आर.पंचमुखी)
(5) "विद्यमान सुविधाओं/संसाधनों का और अधिक दक्ष उपयोग"	राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) नई दिल्ली (डा. जी. डी. शर्मा)
(6) "7 वीं योजना के दौरान शिक्षा के अंतर्गत योजनेतर व्यय की वृद्धि के संबंध में अध्ययन"	प्रो. सी.वी.पदमानाभन, कार्यपालक प्रोफेसर, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

4.40 विज्ञान तथा गणित की गई शाखाओं में श्रम शक्ति संबंधी उभरती हुई महत्वपूर्ण कमियों पर व्यक्त चिंता को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पूर्व स्नातक विज्ञान तथा गणित के शिक्षा स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से तरीके सुझाने के संबंध में एक विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की।

4.41 इस प्रभाग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त निम्नलिखित प्रस्तावों की जांच की तथा टिप्पणियां भेजी:

(1) नैशनल गैलरी आफ माडर्न आर्ट के नए विंग का निर्माण;
(2) राष्ट्रीय संग्रहालय के चरण-3 का निर्माण;
(3) राष्ट्रीय खुला विद्यालय की स्थापना;
(4) सातवीं योजना में तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को जारी रखना;
(5) सातवीं योजना के दौरान सामुदायिक पोलीटेक्नीक स्कीम को जारी रखना;
(6) सातवीं योजना के दौरान, राष्ट्रीय फाउंडरी तथा फोर्ज टेक्नालाजी संस्थान रांची को जारी रखना;
(7) रसायन और पैट्रो रसायन विभाग से राष्ट्रीय फार्मासियूटिकल विज्ञान तथा अनुसंधान संस्थान की स्थापना संबंधी प्रस्ताव।

4.42 इसी प्रकार की कार्रवाई मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त निम्नलिखित मंत्रिमंडल टिप्पणियां तथा प्रस्तावों पर की गई:—

(1) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा-प्राथमिकता कार्यक्रमों में संकट-स्थिति;
(2) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के लिए सुपर कंप्यूटर;
(3) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम का संशोधन;
(4) नागालैण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना; तथा
(5) प्रोन्नति तथा प्रमाण-पत्र डिप्लोमा/डिग्री देने की पूर्व शर्त के रूप में कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना।

4.43 इस प्रभाग ने निम्न विषयों पर अनेक विशेष बैठकें आयोजित कीं:

(1) दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया के छात्रों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधानस तथा विकास के क्षेत्र में भारत की भूमिका,
(2) देश में सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क की स्थापना, और
(3) उच्चतर माध्यमिक चरण पर स्वास्थ्य संबंधी व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करना आदि।

4.44 केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों के बारे में वार्षिक योजना 1990-91 को तैयार करने का कार्य शुरू किया गया और फरवरी, 1990 तक उसे पूरा किया गया।

V. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

4.45 वर्ष 1989-90 के दौरान प्रभाग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:

(1) प्रभाग ने योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयों से संबद्ध संसदीय परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार-विमर्श करने के लिए भारत की जनसंख्या नीतियाँ तथा परिपेक्ष्य पर एक रिपोर्ट तैयार की।

(2) प्रभाग को अक्तूबर 1989 में जनसंख्या प्रक्षेपण के संबंध में बनाई गई विशेषज्ञों की स्थाई समिति के कार्य से सम्बद्ध किया गया। समिति ने आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए उपयोग में लाने हेतु संशोधित जनसंख्या प्रक्षेपणों संबंधी अपनी पहली रिपोर्ट अक्तूबर, 1989 में प्रस्तुत की।

(3) आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए स्थापित चार कार्यदलों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर आधारित विश्लेषणात्मक पत्र, जनसंख्या, मातृ और बाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के संबंध में, आठवीं पंचवर्षीय योजना बनाने के संदर्भ में आयोग द्वारा गठित संचालन समिति के विचारार्थ तैयार किए गए। समिति ने आठवीं योजना के लिए सिफारिशों को शामिल करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(4) परिवार कल्याण कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं के संबंध में ई एफ सी ज्ञापनों/मंत्रिमंडल टिप्पणियों की जांच की गई और विश्लेषणात्मक टिप्पणियां तैयार की गई।

(5) वर्ष 1990-91 के लिए राज्यों की वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिए आयोजित कार्यदल की चर्चाओं के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति की पूर्णतया समीक्षा की गई।

4.46 प्रभाग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए स्थापित किए गए कार्यदलों के विचारार्थ पृष्ठभूमि-टिप्पणियां भी तैयार की और दलों के विचार-विमर्श में भी भाग लिया।

4.47 काफी विचार-विमर्श के बाद आठवीं योजना को तैयार करने हेतु स्थापित किए गए कार्यदलों ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। संबंधित कार्यदलों की रिपोर्टों को (1) स्वास्थ्य सेवाओं; प्रशिक्षण और शिक्षा अनुसंधान एवं विकास तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और (2) जनसंख्या, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल संबंधी संचालन समिति को प्रस्तुत किया गया। इन कार्यदलों की रिपोर्टों के आधार पर तैयार की गई इन संचालन समितियों की रिपोर्टों पर योजना आयोग के सदस्य (एस) की अध्यक्षता में दिनांक 31.7.1989 को आयोजित संचालन समितियों की संयुक्त बैठक में विचार किया गया। इस बैठक के विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए संचालन समितियों की रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया गया।

4.48 स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र के कार्यक्रमों के संदर्भ में राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 1990-91 को तैयार करने के लिए सलाहकार (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में कार्यदल की चर्चाएं आयोजित एवं तैयार की गई।

4.49 सदस्य (स्वास्थ्य) की राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उपाध्यक्ष के साथ बैठकों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना 1990-91 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण तैयार करना।

4.50 सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में केन्द्रीय स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए वार्षिक योजना 1990-91 हेतु बैठक के कागजात और इसके बाद बैठक के कार्यवृत्त तैयार करना।

VI. भारत-जापान अध्ययन समिति

4.51 भारत-जापान अध्ययन समिति भारत और जापान के बीच अधिक सद्भावना और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चुने हुए विषयों पर अध्ययन करती है। भारत समिति और इसकी प्रतिरूप जापान समिति भारत और जापान में वर्ष में एक बार बारी-बारी से संयुक्त बैठकें आयोजित करती हैं।

4.52 भारत समिति ने भारत-जापान आर्थिक संबंधों पर सामयिक अन्तर्राष्ट्रीय विकास कार्यों के प्रभाव की चर्चा करने के लिए जुलाई, 1989 में भारतीय उद्योग एवं सरकारी प्रतिनिधियों और जापान के व्यापारिक एवं दूतावास प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की।

4.53 वर्ष के दौरान भारत-जापान सहयोग के विशेष संदर्भ में जापान में हुए विकास से संबंधित तीन आवधिक रिपोर्टें प्रकाशित की गई।

VII. विकास नीति प्रभाग

4.54 विकास नीति प्रभाग में आर्थिक संवृद्धि और नीति एकक तथा सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान एकक सम्मिलित हैं। इन दोनों एककों की गतिविधियों का संक्षिप्त सार नीचे दिया गया है:

आर्थिक संवृद्धि और नीति एकक

4.55 प्राथमिक रूप से इस एकक को आठवीं योजना के लिए विकास कार्यनीति तैयार करने की दृष्टि से देश की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण एवं समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया था। वैकल्पिक कार्यनीति की विवक्षाओं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उच्चतर संवृद्धि दर का परीक्षण करने के लिए विस्तृत प्रयोग किए गए। इनमें समष्टि आर्थिक समूह तथा अर्थव्यवस्था की वांछित संवृद्धि दर के अनुरूप उपभोग और निवेश क्षेत्र शामिल थे। घरेलू बचत, आयात और विदेशी बचत आदि की विवक्षाओं तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधारने की आवश्यकता पर भी काम किया गया। एकक ने बढ़ा हुआ पूंजी उत्पादन, अनुपात, आयात एवं निर्यात नीतियों, सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्रकीय संरचना आदि पर भी प्रयोग किए।

4.56 एकक को कीमत स्थिति, मुद्रा एवं बैंकिग मामलों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी कार्य से भी संबद्ध किया गया। विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त नीति-पत्रों के साथ-साथ कृषि वस्तुओं के लिए कीमत नीति, गेंहू, चावल, चीनी और खाद्य तेलों की अधिप्राप्ति और वितरण नीतियों, मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति, अर्थव्यवस्था की स्थिति आदि जैसे मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय टिप्पणियों की भी जांच की गई और अपने विचार प्रस्तुत किए गए।

4.57 एकक आवश्यक वस्तुएं तथा कीमत निगरानी समिति और कीमतों से संबंधित सचिवों की समिति के साथ भी घनिष्ट रूप से संबद्ध रहा। आर्थिक हित के मामलों संबंधी विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों से भी एकक संबद्ध रहा। सामयिक महत्व के विषयों पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के व्याख्यान कराए गए।

4.58 आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम बनाने हेतु नागरिक आपूर्ति संबंधी एक स्थायी दल तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विभिन्न

पहलुओं की गहराई से जांच करने के लिए पांच उप दलों का गठन किया गया। उपदलों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के आधार पर कार्यक्रम तैयार किया गया।

4.59 सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना से संबंधित नागरिक आपूर्ति विभाग तथा राज्य सरकारों की वर्ष 1990-91 के लिए वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श किया गया और उसको अन्तिम रूप दिया गया।

4.60 मूल्य स्थिति तथा मुद्रास्फाति विशेष रूप से आवश्यक जिन्सो के मूल्यों को नियंत्रित करने के उपायों के संबंध में सलाहकारों के दल की रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत की गई।

4.61 योजना से सम्बद्ध अनुसंधान अध्ययनों और संगोष्ठियों को बढ़ावा देने के लिए योजना आयोग द्वारा दिये जाने वाले अनुदान से संबंधित कार्य का एकक द्वारा समन्वय किया जाता रहा।

4.62 प्रोफेसर एस. चक्रवर्ती की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अनुसंधान सलाहकार समिति जिसके सदस्य प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा समाज विज्ञानी हैं, योजना आयोग को प्रासंगिक हित तथा आयोजना प्रक्रिया में महत्व रखने वाले क्षेत्रों में अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सलाह देती रही। विकास योजनाओं को तैयार करने तथा उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया में सामने आने वाले अनुसंधान के क्षेत्रों तथा समस्याओं का पता लगाने में भी इसने सहायता की है।

4.63 वर्ष के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं से वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त अनुसंधान अध्ययनों और संगोष्ठियों/सम्मेलनों के 40 नए प्रस्तावों की जांच की गई तथा उन्हें अनुसंधान सलाहकार समिति को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। अनुसंधान सलाहकार समिति ने वर्ष के दौरान 24 अनुसंधान अध्ययनों तथा संगोष्ठियों (अनुबंध 1) को अंततः अनुमोदित कर दिया। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट करने के समय 20 प्रस्ताव जांच और/अथवा अंतिम रूप देने के विभिन्न चरणों पर थे।

4.64 वर्ष के दौरान विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं ने 5 अनुसंधान अध्ययन, जैसा अनुबंध-2 में दर्शाया गया है, पूरे किए। विभिन्न संस्थाओं द्वारा विशिष्ट विषयों पर विचार-विमर्श के लिए समिति द्वारा अनुमोदित संगोष्ठियां/कार्यशालाएं भी आयोजित की गई। इसके साथ ही प्रोफेसर जी.एस. भल्ला तथा डा. डी. एस. त्यागी द्वारा तैयार की गई "पैटर्न्स इन इण्डियन एग्रीकल्चर डेवलपमैंट-ए डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टडी" संबंधी अध्ययन की रिपोर्ट भी योजना आयोग की वित्तीय सहायता के माध्यम से प्रकाशित हुई।

4.65 अभिज्ञात प्राथमिकता क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान अध्ययन कर रहे शिक्षाविदों तथा विशेषज्ञों को उनकी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देकर योजना आयोग अपनी ब्लॉक अनुदान प्रणाली के अन्तर्गत शामिल करता है। इन संस्थाओं के अनुसंधान कार्यक्रम की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा उनके द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्य के लिए आवश्यक निदेश दिया जाता है। इस समय जिन चार संस्थाओं को ब्लॉक अनुदान दिया जा रहा है, वे हैं (1) इन्स्टीटयूट आफ इकोनोमिक ग्रोथ, दिल्ली (2) अर्थशास्त्र विभाग, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई, (3) गोखले इंस्टीट्यूट आफ पालिटिक्स एंड इकोनोमिक्स, पुणे तथा (4) नैशनल इंस्टीटयूट आफ पब्लिक फाइनैन्स एंड पालिसी, नई दिल्ली।

VIII. श्रम रोजगार तथा जनशक्ति प्रभाग

4.66 राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की वार्षिक योजना 1990-91 में श्रम तथा श्रम

कल्याण क्षेत्र और विशेष रोजगार कार्यक्रमों के प्रस्तावों एवं श्रम मंत्रालय के वार्षिक योजना 1990-91 प्रस्तावों पर विचार-विमर्श हुआ तथा उन्हें अंतिम रूप दिया गया। विचार-विमर्श के दौरान खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी को लागू करने तथा बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास में प्रगति, जैसे मामलों की समीक्षा की गई। विचार-विमर्श में रोजगार के विषय को राज्य योजनाओं में शामिल करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया। केन्द्रीय मंत्रालयों के वार्षिक योजना प्रस्तावों की जांच भी आमतौर पर उनकी रोजगार विवक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए की गई।

4.67 आठवीं योजना के लिए ग्रामीण आधार संरचना, औद्योगिक संबंधों, रोजगार सेवा और फैक्टरी तथा खान सुरक्षा के संबंध में गठित कार्यदलों की रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी के संदर्भ में गठित रोजगार आयोजना संबंधी विशेषज्ञों की समिति शहरी गरीबी संबंधी विशेषज्ञ दल की प्रारूप रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा था।

4.68 प्रभाग ने रोजगार से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों/पहलुओं तथा अध्ययनों की जांच की:–

(1) विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध रोजगार संबंधी आंकड़े, परिणाम इत्यादि।
(2) विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के स्तरों में दीर्घावधिक तथा अल्प आवधिक प्रवृत्तियों तथा भविष्य के लिए दृष्टिकोण तथा रोजगार सृजन की गति बढ़ाने के लिए वैकल्पिक कार्यनीतियां तथा नीतियां।
(3) 'काम का अधिकार' के मौलिक अधिकार बनाये जाने की विवक्षाएं
(4) विभिन्न जिला स्तरीय पैरामीटरों की दक्षता तथा पिछड़ेपन के संकेतक।
(5) राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, केन्द्रीय मंत्रालयों, तथा जन साधन अनुसंधान संस्थान जैसे संगठनों से प्राप्त रोजगार/बेरोजगार/जनशक्ति से संबंधित अध्ययनों, रिपोर्टों की संख्या।

4.69 श्रम अनुपात की संगणना तथा रोजगार में लचीलापन जारी रहा।

4.70 आठवीं योजना में रोजगार संबंधी एक लेख योजना आयोग की आंतरिक बैठक में विचार-विमर्श के लिए तैयार किया गया। "काम का अधिकार" की नीति तथा संचालनात्मक विवक्षाओं संबंधी एक नोट भी तैयार किया गया।

4.71 प्रभाग को निम्नलिखित विभिन्न समितियों/कार्यदलों में प्रतिनिधित्व दिया गया:

(1) व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी राष्ट्रीय परिषद्
(2) केन्द्रीय प्रशिक्षुता परिषद्
(3) श्रम मंत्रालय की रोजगार सेवा में केन्द्रीय अनुसंधान तथा सेवा संस्थान (सी आई आर टी ई एस) के सर्वेक्षणों और अनुसंधान अध्ययनों संबंधी तकनीकी समिति
(4) राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद् की सतत शिक्षा के लिए कार्यक्रम सलाहकार समिति।
(5) जनसाधन अनुसंधान संस्थान की स्थायी कर्मचारी समिति तथा अनुसंधान कार्यक्रम संबंधी स्थायी समिति।

(6) पूर्वोत्तर क्षेत्र में जनशक्ति तथा विकास संबंधी कार्यदल।
(7) शिक्षित बेरोजगार युवाओं के स्वरोजगार के लिए स्कीम के व्यापक मूल्यांकन के लिए कार्यदल
(8) जवाहर रोजगार योजना संबंधी केन्द्रीय समन्वय समिति।
(9) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम संबंधी संचालन दल तथा मजदूरी रोजगार संबंधी इसका कार्यदल।

4.72 प्रभाग नेहरू रोजगार योजना को तैयार करने के कार्य से भी घनिष्ठ रूप से संबद्ध रहा।

4.73 पूर्ण रोजगार कार्यनीति के संदर्भ में "काम का अधिकार" संचालित करने के प्रति योजना आयोग के दृष्टिकोण का ब्यौरा देते हुए तथा "काम के अधिकार"को संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में स्थान देने की अल्प आवधिक विवक्षाओं का उल्लेख करते हुए "काम का अधिकार: नीति तथा संचलनात्मक विवक्षाएं" संबंधी एक प्रलेख योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया तथा वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित "काम का अधिकार" संबंधी मंत्रिमण्डल समिति ने, उपाध्यक्ष, योजना आयोग जिसके सदस्य हैं, इस पर विचार किया।

4.74 मंत्रिमण्डल समिति द्वारा श्री एल. सी. जैन, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित उप-समिति ने भी रोजगार गारंटी के संबंध में अपेक्षित संवैधानिक संशोधन तथा प्रस्तावित विधान के ब्यौरे तैयार किए। समिति द्वारा विचार-विमर्श के लिए एक नोट तथा बाद में, उप-समिति की अन्तिम रिपोर्ट भी तैयार की गई तथा मंत्रिमण्डल समिति को प्रस्तुत की गई।

IX. वित्तीय संसाधन प्रभाग

4.75 वित्तीय संसाधन प्रभाग वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के संदर्भ में वित्तीय आयोजना और नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी है। इस उद्देश्य के लिए केन्द्र, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के वित्तीय संसाधनों का विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है। इस अभ्यास का प्रयोग वार्षिक योजना 1989-90 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में 1988-89 की समीक्षा के साथ किया गया। इस अभ्यास के आधार पर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना 1989-90 का आकार निर्धारित किया गया था।

4.76 वर्ष 1989-90 के लिए केन्द्रीय योजना के आकार को निर्धारित करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श से विभिन्न अभ्यास शुरू किए गए। इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय बजट 1989-90 में शामिल करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय उद्यमों के आन्तरिक तथा बाह्य-बजटीय संसाधनों (आई ई बी आर) का निर्धारण किया गया।

4.77 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1989-90 के लिए केन्द्रीय सहायता का आवंटन संशोधित गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर जो सातवीं योजना में भी अपनाया गया था, किया गया।

4.78 सातवीं योजना के दौरान वित्तीय संस्थाओं के स्रोतों तथा धनराशियों को लगाने और वर्ष 1990-91 के लिए प्रक्षेपणों की समीक्षा की गई।

4.79 वार्षिक योजना 1990-91 के लिए संसाधनों के निर्धारण के संबंध में राज्यों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे गए। वार्षिक योजना 1990-91 के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त संसाधन

पूर्वानुमानों के आधार पर वार्षिक योजना 1990-91 के लिए संसाधनों को निर्धारित करने के लिए राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किए गए। इन विचार-विमर्शों में वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन विचार-विमर्शों के दौरान सामने आई बातें बाद में कार्यदलों तथा उपाध्यक्ष और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुए विचार-विमर्श का आधार बनीं।

4.80 जिन राज्यों की प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है उन राज्यों के लिए अधिक आवण्टन सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकारों के साथ परामर्श से वार्षिक योजना 1989-90 के लिए बाजार उधारों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ऋणों तथा जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम इत्यादि द्वारा दिए जाने वाले अन्य ऋणों के राज्यवार तथा क्षेत्रवार आवंटन को अन्तिम रूप दिया गया था। वित्तीय संस्थाओं को संबंधित राज्यों के लिए ऋण वितरण के लिए व्यवस्था करने की सलाह दी गई थी।

4.81 योजना आयोग ने तत्कालीन सदस्य, डा. राजा जे. चेल्लया की अध्यक्षता में आठवीं योजना में वित्तीय संसाधनों संबंधी एक संचालन दल का गठन किया। संचालन दल को समर्थन उपलब्ध कराया गया, इसने संसाधनों का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित पांच कार्यदलों का गठन किया:

i) संसाधन जुटाने के लिए वित्तीय नीति ढांचा संबंधी कार्यदल;
ii) केन्द्रीय संसाधनों के अनुमान संबंधी कार्यदल;
iii) राज्य संसाधनों के अनुमान संबंधी कार्यदल;
iv) निजी बचतों तथा ऐसी बचतों की बाबत सार्वजनिक क्षेत्र धनादेश के संबंध में कार्यदल;
v) सार्वजनिक उद्यमों के संसाधन अनुमान संबंधी कार्यदल।

4.82 प्रभाग ने उपर्युक्त सभी कार्यदलों को संयुक्त संचालन तथा उनके विचार विमर्शों के लिए आवश्यक सामग्री के रूप में उन्हें सहायता प्रदान की।

4.83 (क) केन्द्रीय संसाधनों; (ख) राज्य संसाधनों; (ग) सार्वजनिक उद्यमों; तथा (घ) निजी बचत तथा ऐसी बचतों संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र धनादेश संबंधी कार्यदलों ने योजना आयोग को रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी है तथा योजना निर्माण में प्रयोग के लिए प्रक्रियान्तर्गत हैं।

4.84 विभाग ने वर्ष के दौरान वित्तीय आयोजना तथा नीति निर्माण से संबंधित कुछ अध्ययन/अभ्यास किए। इसमें निम्न शामिल थे: (i) वित्तीय स्वरूप तथा नीतियां और सार्वजनिक उपयोगिताएं; (ii) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा; (iii) विशेष-श्रेणी-राज्यों तथा गैर-विशेष श्रेणी राज्यों द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय कठिनाईयों की समीक्षा; (iv) प्रमुख राज्यों तुलनात्मक आर्थिक, वित्तीय तथा आयोजना कार्य; तथा (v) सातवीं योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक वित्त के आलोचनापरक अनुपातों की समीक्षा।

4.85 मीट्रिक प्रणाली की कार्य प्रणाली की समीक्षा संबंधी चक्रवर्ती समिति की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए वर्ष 1989-90 के लिए मौद्रिक लक्ष्य निर्धारण के संबंध में, जिसके लिये सरकार द्वारा वर्ष 1987-88 से कोशिश की जा रही थी, वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श से प्रभाग सम्बद्ध रहा।

4.86 "अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि तथा उपचारी उपायों के लिए सुझाव और स्फीति नियंत्रण के लिए नीति ढांचा" संबंधी रिपोर्ट को तैयार करने में सलाहकार (वित्तीय संसाधन), योजना आयोग द्वारा गठित सलाहकारों के दल के सदस्य के रूप में जुड़े हुए थे।

4.87 आठवीं योजना अध्ययनों के अन्तर्गत नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनान्स एण्ड पॉलिसी, नई दिल्ली ने "ऑक्ट्रॉय की समाप्ति" संबंधी अध्ययन योजना आयोग को प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित आठवीं योजना अध्ययन चलते रहे:

(क) नैशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ् पब्लिक फाइनान्स एण्ड पॉलिसी, नई दिल्ली द्वारा स्थानीय निकायों की वित्त तथा प्रबंध क्षमताएं;
(ख) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा नगर पालिका वित्तीय प्रबन्ध तथा वित्तीय अन्तरण; और
(ग) सार्वजनिक उद्यम संस्थान, हैदराबाद द्वारा राज्य स्तरीय उद्यमों संबंधी अध्ययन।

4.88 प्रभाग ने "ऑक्ट्रॉय की समाप्ति" संबंधी अध्ययन रिपोर्ट की आलोचनात्मक जांच की तथा स्थानीय वित्त के लिए नीति के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने के लिए कार्यवाई की।

4.89 विशेष श्रेणी राज्यों की वित्तीय कठिनाइयों की समीक्षा के संदर्भ में मिजोरम राज्य की लिकिडिटि समस्याओं को देखते हुए योजना आयोग ने वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और योजना आयोग के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की। प्रभाग अन्तिम निर्णय लेने के लिए समिति के कार्यचालन और रिपोर्ट की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहा।

4.90 वर्ष के दौरान, नौवां वित्त आयोग (एन एफ सी) 1990-95 की अवधि के लिए दूसरी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने में लगा रहा, जबकि योजना आयोग आठवीं योजना को तैयार करने से जुड़े तैयारी-कार्य में व्यस्त रहा। नौवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों विशेषकर योजना अनुदानों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के संदर्भ में संसाधन प्रक्षेपणों और सामान्य महत्व के नीति क्षेत्रों से संबंधित अपने कार्य में योजना आयोग ने नौवें वित्त आयोग से घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखा।

X. अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रभाग

4.91 आठवीं योजना के संदर्भ में विभिन्न अध्ययन किए गए और व्यापार नीति, निर्यात प्रक्षेपणों, वस्तु-अध्ययन तथा विशिष्ट नीति मुद्दों संबंधी पत्र तैयार किए गए। अन्य बातों के साथ-साथ इनमें शामिल हैं: (i) ए एस आई आंकड़ों का प्रयोग करते हुए निर्यात क्षेत्र की रोजगार संभाव्यता का विश्लेषण करने के लिए अध्ययन, (ii) अर्थव्यवस्था के पूंजी अभिमुख तथा श्रम अभिमुख क्षेत्रों के बीच आयात पूर्ति तथा मांग कार्य और निवेश आवंटनों के पुनर्गठन की विवक्षाएं (iii) भाड़ा ढांचा के विकास की समीक्षा के विचार से भारत की आयात नीति का अध्ययन और (iv) भुगतान शेष की अदृश्य प्राप्तियों का विश्लेषण।

4.92 प्रभाग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भुगतान के संतुलन संबंधी कार्यदल की प्रारूप रिपोर्ट तथा कार्यदल के लिए निर्यात उप-दल रिपोर्ट तैयार की। विभाग ने वार्षिक योजना 1990-91 के लिए एक्सिम बैंक से प्राप्त प्रस्तावों का विश्लेषण तथा उन पर विचार-विमर्श किया।

4.93 योजना आयोग में 9 से 11 अगस्त, 1989 के दौरान हुए आयोजन तकनीकों, संबंधी भारत-फ्रांस सेमिनार का आयोजन तथा समन्वय इस प्रभाग द्वारा किया गया। नैशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनान्स एण्ड पॉलिसी में आयोजित वित्तीय विकेन्द्रीयकरण संबंधी इस्केप सेमिनार के लिए प्रभाग में समन्वय तथा पृष्ठभूमि कार्य किया गया।

4.94 प्रभाग ने भारत के व्यापार तथा भुगतान शेष से संबंधित महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों अर्थात् (I) ई ई सी-1992; (II) बहुपक्षीय व्यापार बातचीत का उरूग्वे दौर; तथा (III) सुपर 301 और भारत के संबंध में टिप्पणियां तथा प्रलेख भी तैयार किए।

4.95 जर्मन जनवादी गणतंत्र से आयोजना विशेषज्ञों के शिष्ट मंडल के योजना आयोग में आगमन तथा भारतीय शिष्ट मण्डल की चेकोस्लोवाकिया यात्रा और सदस्य (ए) की जर्मनी यात्रा के संबंध में भी तैयारी-कार्य किया गया।

4.96 प्रभाग ने विश्व बैंक, आई.एम.एफ. ई.ई.सी., यू.एन.डी.पी. तथा ए.डी.बी. के प्रतिनिधियों के साथ हुई कई बैठकों में भाग लिया।

4.97 पूर्वी यूरोप में आ रहे बदलाव के प्रसंग में इन अर्थव्यवस्थाओं के बारे में अपने ज्ञान का विस्तार करने तथा उसे अद्यतन बनाने के लिए एक अध्ययन शुरू किया गया था। भारत-सोवियत व्यापार पर एक विस्तृत टिप्पणी भी तैयार की गई थी। प्रभाग द्वारा सन् 2000 में भारत तथा सोवियत संघ के बीच लम्बी अवधि के योजना-सहयोग की प्रक्रिया के बारे में अनुवर्ती कार्यवाही की।

4.98 बहुत से देशों के साथ व्यापार तथा अर्थव्यवस्था के द्विपक्षी सम्बन्धों का विश्लेषण किया गया। चीन, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, जापान, अमरीका, मलेशिया, मालदीव, जर्मनी तथा हंगरी की अर्थव्यवस्था का देशवार विवरण तैयार किये गये। प्रभाग में ई.एस.सी.ए.पी. वार्षिक रिपोर्ट 1989 से सम्बन्धित भारत के बारे में सामग्री तथा विश्व-व्यापार में क्षेत्रीयकरण पर टिप्पणी भी तैयार की गई।

4.99 जनरल जियाप (वियतनाम) के भारत आने तथा तन्जानिया के शिष्टमंडल के योजना आयोग में दौरे का "ग्राउण्ड वर्क" इस प्रभाग में किया गया था।

4.100 भारत और सोवियत संघ के बीच सन् 2000 की अवधि तक अर्थव्यवस्था, व्यापार और वैज्ञानिक तकनीकी सहयोग के दीर्घावधि कार्यक्रम का मसौदा तैयार करने के बारे में एक कार्य-दल की स्थापना की गई है। सोवियत संघ की ओर से सोवियत संघ, राज्य योजना समिति के उपाध्यक्ष श्री यू.पी. खोमेन्को नेतृत्व कर रहे हैं। डा. वाई.के. अलग पहले भारत की ओर से नेता थे। अब डा. अरूण घोष, सदस्य योजना आयोग ने भारत की ओर से नेतृत्व संभाला है।

4.101 दल की पिछली बैठक 22 से 29 अप्रैल, 1989 को दिल्ली में आयोजित की गई थी। कार्यदल की अगली बैठक शीघ्र बुलाये जाने की आशा है।

XI. सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास प्रभाग:

4.102 कई राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रस्तावों को जांचा गया, टिप्पणियां दी गई तथा कार्यदल की बैठकों में चर्चा की गई। सिंचाई एवं कमान क्षेत्र सेक्टर के वार्षिक परिव्ययों को अंतिम रूप देने के लिए केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के प्रस्तावों पर भी ऐसी ही कार्यवाही की गई।

4.103 आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए एक संचालक दल तथा बड़ी तथा मझौली लघु सिंचाई बाद नियंत्रण तथा कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में से प्रत्येक के लिए एक-एक अर्थात् पांच कार्य दल गठित किये गये थे। कार्यदलों ने अब अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी है।

4.104 सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास प्रभाग के अधिकारियों ने बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं के बारे में जल संसाधन मंत्रालय तथा केन्द्रीय जल आयोग की कई समितियों, संगोष्ठियों कार्यान्वयन समीक्षा बैठकों में भाग लिया। सलाहकार (सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास) सिंचाई क्षेत्र के लिए विश्व बैंक की सहायता के बारे में बातचीत करने वाशिंगटन भी गए।

प्रबोधन एवं सूचना प्रभाग

4.105 ऊर्जा, उद्योग व खनिज, कृषि तथा ग्रामीण विकास क्षेत्रों की वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना के कार्य के बारे में 5,500 केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रायोजित स्कीमों से संबंधित न्यूनतम डाटा रेकार्ड का कम्प्यूटरों द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों की सहायता से विश्लेषण किया गया।

4.106 **संसाधन आधारित नेटवर्कों का विश्लेषण:** उद्योग व खनिज, पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, विद्युत, कोयला तथा आणविक ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में 20 करोड़ रुपये तथा इससे अधिक की लागत की संसाधन आधारित नेटवर्कों तथा बार चार्टों का वार्षिक योजना 1990-91 के लिए धनराशि की आवश्यकता के साथ वास्तविक प्रगति को जोड़ने के लिए विस्तृत विश्लेषण किया गया।

4.107 **प्रबोधन एवं सूचना पद्धतियों तथा प्रशिक्षण में सहायता:** प्रबोधन तथा सूचना पद्धतियों को विकसित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देना जारी रखा गया तथा राज्य सरकारों और कार्मिकों, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशिक्षण प्रभाग के क्रियाकलापों और कई अन्य संस्थानों को आवश्यक सहायता दी गई। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के विभिन्न यूएनडीपी प्रस्तावों की सिफारिश की गई तथा मंजूरी दी गई।

4.108 **प्रबंध परामर्श विकास:** यूएनडीपी सहायता प्राप्त प्रबंध परामर्श विकास परियोजना चरण-2 के अन्तर्गत पायलट एवं प्रदर्शन परियोजना तीन बिजली बोर्डों अर्थात् उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तथा तमिलनाडु में पूरी की गई। सभी तीनों राज्य बिजली बोर्डों के आंतरिक प्रबंध परामर्श दलों की सिफारिशें मान ली गई हैं। तथा उन्हें कार्यान्वित किया गया है। तीनों राज्य बिजली बोर्डों के आंतरिक प्रबंध परामर्श दलों की कार्यप्रणाली के अनुभव से लाभ उठाने के लिए 13-14 सितम्बर, 1989 को एक उच्च स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस गोष्ठी में विभिन्न बिजली बोर्डों के अध्यक्ष/बोर्ड सदस्यों/मूल्य अभियंताओं तथा प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा सिफारिश की कि भविष्य में ऐसे प्रयासों को सभी बिजली बोर्डों में प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

4.109 प्रबंध परामर्श विकास परियोजना, के चरण 2 के सकारात्मक अनुभव के बाद चरण 3 के लिए जो जनवरी, 1990 से शुरू हुआ है, प्रयास शुरू किए गए हैं। इस परियोजना के चरण-3 में जन उपयोगिताओं में आंतरिक प्रबंध परामर्श संस्थानीकरण के उद्देश्य से परियोजना के चरण 2 में शामिल किये गये 3 राज्य बिजली बोर्डों के अलावा 3 अन्य राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सड़क परिवहन निगमों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

4.110 भारत में प्रबंध परामर्श सेवा का विकास करने के उद्देश्य से प्रख्यात प्रबंध परामर्श दाताओं/संगठनों के साथ नियमित रूप से पारस्परिक सम्पर्क स्थापित किया गया। इस संबंध में योजना आयोग में दो बैठकें आयोजित की गई तथा शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी मुद्दों की देखरेख करने के लिए इन बैठकों में एक कृतिक बल स्थापित किया गया।

4.111 कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की वार्षिक योजना 1990-91 के प्रस्तावों का विश्लेषण किया गया।

4.112 **निर्माण पद्धति तथा प्रौद्योगिकी:** निम्नलिखित से सदस्य लेकर निर्माण की पद्धति तथा प्रौद्योगिकी में सुधार संबंधी एक कार्यदल स्थापित किया गया:

रेल मंत्रालय;
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण;
केन्द्रीय जल आयोग;
भारतीय मानक ब्यूरो;
राष्ट्रीय भवन संगठन;
मुख्य अभियन्ता, सेना मुख्यालय;
राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम;
महानिदेशक (सड़क);
स्कूल आफ प्लानिंग एन्ड आर्कीटेक्टर, दिल्ली
केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की
केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
केन्द्रीय सीमेंट तथा भवन निर्माण परिषद, नई दिल्ली
राष्ट्रीय निर्माण प्रबंधन तथा अनुसंधान संस्थान, बम्बई।

4.113 योजना आयोग में सभी प्रभागों को चार्ट तथा नक्शे तथा उपकरण सेवायें उपलब्ध करायी गईं।

4.114 योजना आयोग ने आठवीं योजना के संदर्भ में नीति तथा कार्यक्रमों की भावी दिशा तैयार करने में दूर संचार, आयोग के साथ पारस्परिक संपर्क स्थापित किया।

XII. भावी योजना प्रभाग

4.115 योजना तैयार करने की प्रक्रिया में मानव तथा भौतिक संसाधनों के अनुपयोग के लिए कार्यक्रम तैयार करना शामिल है। पंचवर्षीय योजना को आकार देते समय भावी योजना प्रभाग अंतरक्षेत्रकीय संबंधों को ध्यान में रखता है। इससे मैक्रो आर्थिक सकल रोजगार राष्ट्रीय आय, खपत, बचत भुगतान शेष तथा पूंजी निवेश संबंधी क्षेत्रकीय कार्यक्रमों का प्रभाव स्थापित करने में सहायता मिलती है।

4.116 इन प्रक्रियाओं में अनेक तरह के संतुलन-मानव, सामग्री तथा वित्तीय, संस्थापित किये जाने हैं। अंतर क्षेत्रकीय दृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए योजना माडलों की प्रणाली प्रयोग में लायी जाती है।

4.117 भावी योजना प्रभाग की गतिविधियों के उपर्युक्त फ्रेमवर्क में वर्ष 1988-89 में पूरी की गई तथा वर्ष 1989-90 के दौरान चल रही मुख्य गतिविधियां नीचे दिये अनुसार हैं:—

(1) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण तैयार करने से संबंधित माडलिंग कार्य किए गए। 1989-90 की कीमतों पर वर्ष 1989-90 के लिए वर्ष 1978-79 के निवेश उत्पादन सारणी को अद्यतन बनाने के लिए निवेश/उत्पादन माडल का 60 क्षेत्रकीय पुनः वर्गीकरण अंतिम मांग वेक्टरों का अनुमान क्षेत्रकीय उत्पादन तथा जोड़े गये मूल्य, अप्रतयक्ष कर दरें तथा वर्ष 1989-90 के लिए लाभ दरें हाथ में लिये गए।

(2) आठवीं पंचवर्षी योजना के लिए सरकारी/निजी निगमित तथा घरेलू क्षेत्रकों के संबंध में सकल देशीय बचत अनुमान तैयार किये गए।

(3) इस प्रभाग ने सलाहकार (भावी योजना) की अध्यक्षता में "खपत उपमाडल के पैरामीटरों" संबंधी अध्ययन दल के लिए सचिवालय का कार्य किया। अध्ययन दल की एक प्रारूप रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में "रेखीय व्यय प्रणाली के पैरामीटरों" व्यापक सामग्री वर्गों के लिए मांग के अनुमान तथा लोचशीलता के बारे में उल्लेख किया गया है।

(4) गरीबी का अनुमान लगाने संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए "गरीबों का अनुपात तथा संख्या–" का अनुमान लगाने के संबंध में योजना आयोग ने एक विशेषज्ञ दल का गठन किया। भावी योजना प्रभाग, दल के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। प्रभाग ने गरीबी अनुमान संबंधी एक टिप्पणी तैयार की, जिसमें योजना आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रो. डी.टी. लाकड़ावाला की अध्यक्षता में स्थापित किए गए दल के विचारार्थ महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख किया गया है।

(5) वार्षिक योजना 1989-90 के लिए मूल मैक्रो आर्थिक एग्रीगेट्स के रूप में अर्थव्यवस्था के निष्पादन की समीक्षा की गई।

(6) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण तैयार करने के एक भाग के रूप में वर्ष 1988-89 के दौरान अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादन क्षेत्रकों के संबंध में कई कार्य शुरू किये गए। इन्हें वर्ष 1989-90 के दौरान जारी रखा गया। इनमें से कुछ प्रभाग में ही स्वतंत्र रूप से पूरे किए गए तथा अन्य के संबंध में उत्पादन सेवा क्षेत्रकों तथा विदेशी व्यापार तथा बचत जैसे विभिन्न समष्टि आर्थिक पहलुओं के संबंध में योजना आयोग द्वारा स्थापित विभिन्न कार्यदलों को योगदान दिया।

(7) विद्युत, सीमेंट, कोयला, लौह तथा अलौह धातुओं पैट्रोलियम उत्पाद कच्चा तेल, लौह अयस्क, उर्वरक, अखबारी कागज, औषधियाँ तथा औषध भेषज, रेल माल भाड़ा तथा यात्री परिवहन तथा सड़क भाड़ा तथा यात्री परिवहन जैसे मुख्य क्षेत्रकों के संबंध में वर्ष 1994-95 के लिए मांग आपूर्ति प्रक्षेपण तैयार किए गए। इन पर योजना आयोग में विचार-विमर्श किया गया है। तथा क्षेत्रकीय कार्यदलों को भी उपलब्ध कराया गया है, तथा कार्य दलों की सिफारिशों तथा योजना माडलों के परिणामों को देखते हुए अंतिम रूप दिया जाएगा।

(8) वर्ष 1989-90 और 1994-95 के लिए मूलभूत निवेश आवश्कताओं सहित खाद्यान्नों और महत्वपूर्ण फसलों की मांग और आपूर्ति प्रायोजना तैयार की गई। इस प्रभाग में सलाहकार (भावी योजना) की अध्यक्षता में कृषि मंत्रालय द्वारा गठित खाद्यान्नों के लिए मांग प्रायोजना से संबंधित उप-दल के कार्य में भी सहायता दी।

(9) सलाहकार (भावी योजना) ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के भुगतान संतुलन से संबंधित कार्य दल के अधीन आयात से संबंधित उप-दल के अध्यक्ष का कार्य भी किया। इस प्रभाग ने, इस उप-दल के कार्य में समन्वय स्थापित किया और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एकमुश्त और खुदरा वस्तुओं के आयात की प्रायोजनाओं को दर्शाते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

4.118 भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेख/नोट इस वर्ष तैयार किये गये जो कि इस प्रकार हैं:

(i) "भारत में आयोजना" प्रक्रिया और विधि फ्रांसीसी और जर्मन जनतंत्रीय गणराज्य के प्रतिनिधि मंडल को प्रस्तुत की गई।

(ii) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 43 वे चक्र के आकड़ों पर आधारित श्रम शक्ति की सन् 2005 तक की प्रायोजनायें।

4.119 इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण रिपोर्टों/लेखों/नोटों की जांच की गई।

(1) 1990-91 में जनगणना से सम्बन्धित तकनीकी मुद्दों के संबंध में लेख।
(2) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए शहरीकरण की संभावनाएं और आवास की आवश्यकताओं की प्रायोजनायें।
(3) "भारत में ग्रामीण परिवारों की बचतें"—एन.सी.ए.ई.आर. द्वारा सामयिक विश्लेषण।
(4) जनसंख्या प्रायोजनाओं से संबंधित विशेषज्ञों की स्थायी समिति की रिपोर्ट।
(5) वर्ष 1983-84 के लिए आदान/उत्पादन सारणियों के आदान और आयात प्रकार्य केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित किये जा रहे हैं।

4.120 प्रभाग से अधिकारियों ने विभिन्न मंचों पर निम्नलिखित आर्थिक पहलुओं के संबंध में लेख प्रस्तुत किए:

(i) गरीबी प्रबोधन—भारतीय अनुभव
(ii) भारत में जिन्स नीतियां

XIV. योजना समन्वय प्रभाग

4.121 योजना समन्वय प्रभाग, आयोग में सभी अन्य प्रभागों के साथ क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करने के लिए, आयोग से संबंधित संसद कार्य सहित, परस्पर सम्पर्क रखता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस प्रभाग द्वारा निष्पादित महत्वपूर्ण क्रियाकलाप नीचे दिए गए हैं:

4.122 प्रत्येक वर्ष के आरंभ में, वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा निर्दिष्ट विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांतों के संदर्भ में, आयोग में विभिन्न प्रभागों द्वारा किए जाने वाले मुख्य क्रियाकलापों को संकलित किया जाता है। अन्य प्रभागों से कार्य योजना ब्यौरे प्राप्त हो जाने के बाद, सामग्री को समेकित किया गया और वर्ष 1989-90 के लिए वार्षिक कार्य योजना के रूप में मंत्रिमंडल सचिवालय को अग्रेषित किया गया। कार्य योजना के प्रत्येक मुद्दों के लिए निश्चित लक्ष्यों की प्रगति को प्रभाग द्वारा मानिटर किया गया और बाद में प्रत्येक तिमाही की समेकित तिमाही रिपोर्टें मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजी गई।

4.123 आयोग में वार्षिक योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के संबंध में योजना आयोग की महत्वपूर्ण गतिविधियों तथा विभिन्न कार्य संचालन दलों/कार्य दलों/आंतरिक बैठकों, पूर्ण योजना आयोग की बैठकों अन्तर मंत्रालयी बैठकों, अलग-अलग सदस्यों तथा उपाध्यक्ष द्वारा की गई बैठकों आदि से संबंधित काम को भी प्रत्येक माह प्रभाग द्वारा मानिटर किया गया और ऐसे क्रियाकलापों का सारांश मंत्रिमंडल सचिव तथा प्रधान मंत्री कार्यालय को सचिव, योजना आयोग की ओर से अर्धशासकीय पत्र के रूप में भेजा गया।

4.124 आठवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी के संबंध में समन्वय कार्य जारी रहा। आयोग की आंतरिक बैठकों में मसौदा अध्यायों पर विचार-विमर्श हुआ और तदोपरान्त उन्हें संशोधित किया गया। दृष्टिकोण दस्तावेज के मसौदों को इन बैठकों में आगे विचार-विमर्श के लिए कई बार संपादित, मिलान एवं परिचालित किया गया।

4.125 आयोजना से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में दृष्टिकोण दस्तावेज़ और अन्य पत्रों के मसौदा अध्यायों को इस प्रभाग द्वारा आयोग की आन्तरिक बैठकों में विचार हेतु परिचालित किया गया। इसी तरह,

मसौदा दृष्टिकोण दस्तावेज़ पर विचार के लिए पूर्ण योजना आयोग की दो बैठकें बुलाने का प्रबंध किया गया। प्रभाग द्वारा इन बैठकों के सारांश/रिकार्ड/कार्यवृत्त तैयार किए गये और परिचालित किया गया। आयोग की आन्तरिक बैठक के फलस्वरूप उठने वाले कार्रवाई के मुद्दों को भी सलाहकारों/प्रभागाध्यक्षों में परिचालित किया गया।

4.126 वार्षिक रिपोर्ट 1989-90 के लिए अन्य प्रभागों से प्राप्त सामग्री की जांच की गयी तथा आवश्यकतानुसार दोबारा मसौदा बनाया गया। अन्य प्रभगों से उनसे संबंधित विषयों/क्षेत्रों से प्राप्त सामग्री को वार्षिक योजना 1989-90 के दस्तावेज के रूप में संकलित, समेकित और प्रकाशित किया गया जो बाद में संसद के पुस्तकालय में रखी गयी।

4.127 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को उनके वार्षिक योजना 1990-91 के लिए प्रस्तावों के संबंध में जारी किए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन किया गया और उन्हें अग्रेषित किया गया।

4.128 वर्ष 1990-91 के लिए वार्षिक योजना (केन्द्र) परिव्ययों को अंतिम रूप देने में सुगमता लाने हेतु प्रमाण द्वारा/सकल/निवल बजट सहायता, विदेशी सहायता, आन्तरिक एवं गैर बजटीय संसाधनों (आई ई बी आर) आदि के संबंध में प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के बारे में वैकल्पिक परिदृष्य तैयार किए गए।

4.129 वार्षिक योजना (केन्द्र) 1990-91 को अन्तिम रूप देने के लिए सचिव, योजना आयोग और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के बीच अन्तरमंत्रालयी विचार-विमर्श का प्रबंध नवम्बर, 1989 जनवरी 1990 के महीनों के दौरान किया गया।

4.130 सहमत वार्षिक योजना आवंटनों/परिव्ययों के बारे में उन्हें 1990-91 के बजट में शामिल करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और वित्त मंत्रालय को सूचना भेजी गयी।

4.131 वर्ष 1990-91 के लिए केन्द्रीय बजट की प्रस्तुति के बाद, वर्ष 1989-90 के लिए संशोधित अनुमानों और 1990-91 के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय तैयार किये गये तथा अन्य प्रभागों में परिचालित किये गए।

4.132 संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण तथा वर्ष 1990-91 के वित्त मंत्री के बजट भाषण के लिए प्रयुक्त सामग्री संकलित की गयी और प्रधान मंत्री के कार्यालय और वित्त मंत्रालय को भेजी गयी।

4.133 विगत की तरह, प्रभाग ने विभिन्न प्रकाशनों यथा भारत 1989, आर्थिक सर्वेक्षण 1989-90, भारतीय अर्थव्यवस्था 1989 के लिए मौलिक आंकड़ों के लिए अद्यतन सामग्री उपलब्ध करायी।

4.134 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की स्थिति के संबंध में समग्र दृष्टिकोण का एक विस्तृत नोट तैयार किया गया और पूर्ण योजना आयोग की दिनांक 12.2.1990 को हुई बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

4.135 प्रभाग द्वारा आठवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने, योजना प्राथमिकताएं, राज्यों में केन्द्रीय निवेश, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं आदि की स्थिति से संबंधित कई संसदीय प्रश्नों कर कार्रवाई की गयी।

4.136 आयोग में लम्बित संसदीय आश्वासनों को पूरा करने के लिए अत्यावश्यक रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की गयी और लम्बित आश्वासनों के काम को पूरा किया गया।

XV. परियोजना मूल्यांकन प्रभाग

4.137 केन्द्रीय सरकार के निवेश प्रस्तावों पर सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी आई बी) व्यय वित्त समिति (ई एफ सी) स्थायी वित्त समिति (एस एफ सी) और सार्वजनिक निवेश बोर्ड की समिति (सी पी आई बी) द्वारा विचार किए जाने से पूर्व, योजना आयोग का परियोजना मूल्यांकन प्रभाग उन प्रस्तावों का मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन टिप्पणियां तैयार करता है।

4.138 अप्रैल-दिसम्बर, 1988 के दौरान 20, 430 करोड़ रु. की पूंजी लागत की 62 परियोजनाओं की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 1989 के दौरान, 23,290 करोड़ रु. की कुल पूंजी लागत की 69 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन परियोजनाएं नयी तथा वे भी थी जिन्हें संशोधित लागत मूल्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक थी।

4.139 1988-89 और अप्रैल-दिसम्बर 1989 के दौरान मूल्यांकित की गयी परियोजनाओं के क्षेत्रकीय वितरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं	क्षेत्र	1.4.89 से 31.3.1989 तक		अप्रैल,-दिसम्बर, 1989	
		परियोजनाओं की संख्या	कुल पूंजी लागत (करोड़ रु. में)	परियोजनाओं की संख्या	कुल पूंजी लागत (करोड़ रु में)
1.	संचार, सूचना और प्रसारण डाक	5	216.02	3	73.21
2.	नौवहन, परिवहन, पर्यटन और नागर विमानन	16	3546.63	14	1178.81
3.	पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन	15	7278.58	10	2264.73
4.	कोयला, इस्पात, खान और धातुएं	17	7184.86	13	4574.85
5.	अन्य औद्योगिक परि-योजनाएं	7	999.97	6	2205.66
6.	विद्युत	7	3676.28	14	11798.84
7.	कृषि और सिंचाई	5	82.38	5	406.78
8.	उर्वरक और रसायन	3	245.93	4	787.57
9.	अन्य	3	170.02	—	—
	जोड़:	78	23400.67	69	23290.45

4.140 मूल्यांकन टिप्पणियां तैयार करने के अलावा, प्रभाग ने 5 पूरक टिप्पणियां जिनका (उन परियोजनाओं से संबंधित मूल्यांकन पहले किया गया था) और अप्रैल-दिसम्बर 1989 के दौरान विभिन्न क्षेत्रकीय परियोजनाओं से संबंधित अनुमादेन के प्रथम चरण पर 11 मूल्यांकन टिप्पणियां तैयार की गई।

4. 141 संयुक्त विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) के आग्रह पर प्रभाग ने अगस्त, 1989 में एक चीनी शिष्टमंडल के लिए विभिन्न क्षेत्रकों में परियोजनाओं के मूल्यांकन में विविध प्रणालियों से संबंधित पहलुओं पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की।

4.142 प्रभाग ने अक्तूबर, 1989 में राज्य स्तर पर परियोजना प्रतिपादन और मूल्यांकन के संबंध में एक संगोष्ठी आयोजित की। जिसमें 15 राज्यो/संघ राज्यों क्षेत्रों से 21 अधिकारियों ने भाग लिया। संगोष्ठी से प्रभाग और राज्य सरकारों के परियोजना मूल्यांकन से संबंधित अधिकारियों के बीच अन्तः क्रिया का अवसर प्राप्त हुआ।

4.143 प्रभाग ने उन परियोजनाओं के संबंध में एक डाटा बैंक तैयार करने की कार्रवाई शुरू की है जिनका मूल्यांकन विगत में पूरा कर लिया गया था। चुनिंदा क्षेत्रों जैसे संसाधित बिजली, कोयला, धातुकर्मीय उद्योग, इंजीनियरी उद्योग, सीमेंट, कागज एवं अखबारी कागज में साध्यता रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के लिए भी प्रभाग ने कारवाई शुरू की है।

4.144 भारत और नेपाल के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना करनाली बहु-उद्देशीय पन-विद्युत परियोजना के मूल्यांकन के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित समिति में प्रभाग का प्रतिनिधित्व जारी रहा।

XVI. विद्युत एवं ऊर्जा प्रभाग

विद्युत एकक

4.145 विद्युत क्षेत्र के लिए वार्षिक योजना 1989-90 का पुनरीक्षण और वार्षिक योजना 1990-91 की तैयारी की गई।

4.146 आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मांग और पूर्ति, कार्यान्वयन के लिए परियोजना बनाना और संसाधन, ऊर्जा, कीमत निर्धारण राज्य विद्युत बोर्डों के वित्त एवं संबंधित मामले, विद्युत प्रणालियां और निर्माण एजेन्सियां, प्रौद्योगिकी निर्माण, प्रणाली, प्रभावों एवं संबद्ध मुद्दों के बारे में विद्युत संबंधी उपदलों की रिपोर्टें प्राप्त हुई और उनकी जांच की गयी।

4.147 आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विद्युत से संबंधित कार्यदल तथा विद्युत संयंत्रों के लिए प्रमुख भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स उपस्करों की कीमतों और मूल्य निर्धारण के संबंध में बी आई सी पी द्वारा शुरू किए गये अध्ययन में एकक ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

4.148 एन टी पी सी और एन एच पी सी के क्रमशः नवीन सुपर तापीय विद्युत स्टेशनों और हाईडल परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्टों को मूल्यांकित किया गया। एकक ने सी ई ए द्वारा परियोजनाओं के किये

4.149 राष्ट्रीय एच वी डी सी की प्रायोगिक लाईन लोयर सिलेरू (आन्ध्र प्रदेश) और बरसूर (मध्य प्रदेश) के बीच स्थापित की गयी। इस लाईन में विद्युत प्रवाह अक्टूबर, 1989 में शुरू हुआ सम्पूर्ण डिजाइन, इन्जीनियरी, निर्माण, परीक्षण और प्रतिष्ठापन पूर्णतया स्वदेशी था। एकक इन कार्यों के साथ सम्बद्ध रहा।

4.150 वर्ष 1988-89 के लिए विभिन्न भौतिक एवं वित्तीय कार्य-निष्पादन के पैरामीटरों के संबंध में विद्युत बोर्डों और विद्युत विभागों के कार्य दल की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की गई।

4.151 राज्य विद्युत बोर्डों के वित्त को मजबूत करने के लिए उपाय सुझाने के लिए विद्युत विभाग द्वारा गठित कार्य दल के विचार-विमर्शों में प्रभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर मई, 1989 में उसे विद्युत विभाग को प्रस्तुत कर दिया गया।

4.152 एकक को केन्द्रीय सेक्टर विद्युत स्टेशनों से विद्युत विक्रय के लिए दर-सूची निकालने संबंधी सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए विद्युत विभाग द्वारा नियुक्त समिति पर भी प्रतिनिधित्व दिया गया।

कोयला एकक:

4.153 एकक (1) कोयला मांग, उत्पाद आदि, (2) कोयला अन्वेषण आदि, (3) लिग्नाईट और सम्बद्ध गतिविधियां, (4) कोयला अनुसंधान और विकास आदि और (5) कोयला प्लान परियोजना तैयार करने आदि से सम्बद्ध रिपोर्टों को पूर्ण करने में 5 उपदलों और कार्यदल से सम्बद्ध रहा। कार्यदल रिपोर्ट की, जिसको अक्तूबर 1984 में अंतिम रूप दिया गया, आगे विस्तृत रूप से जांच की गई और योजना आयोग के प्रयोग के लिए मूल्यांकन टिप्पणी तैयार की गई।

4.154 कोयला और लिग्नाईट क्षेत्र संबंध में वार्षिक योजना 1990-91 के लिए प्रस्तावों को तैयार करने के लिए विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्य शुरू किया गया एवं पूरा किया गया।

4.155 कोयला और विद्युत परियोजनाओं के तीव्र गति से कार्यान्वयन हेतु कृतक बल को, जिसके अध्यक्ष योजना सचिव हैं सचिवालयी सहायता दी गई।

4.156 एकीकृत ऊर्जा माडल प्रणाली के विकास से संबंधित कार्य को ऊर्जा माडलिंग प्रभाग ने पूरा किया।

4.157 एकक, केन्द्रीय भूगर्भ विज्ञान प्रोग्रेमिंग बोर्ड के कोयला एवं लिग्नाईट से संबंधित उप-समिति राजस्थान लिग्नाईट खोज से संबंधित विशेषज्ञ दल और जम्मू एवं कश्मीर में लिग्नाईट खोज से संबंधित विशेषज्ञ दल से सम्बद्ध रही है।

4.158 सदस्य, योजना आयोग और कोयला विभाग और कोल इंडिया लि. के अध्यक्ष के बीच समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया।

4.159 एकक के अधिकारी, दीर्घावधिक कोयला लिकेजिज, पर्यावरण मूल्यांकन, कोयला क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, खनन इंजिनियरी शिक्षा और प्रशिक्षण, भूमिगत कोयला गैसीकरण आदि से संबंधित कई अल्प तथा दीर्घावधिक स्थायी समितियों में भाग लेते रहे।

पेट्रोलियम एकक

4.160 पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए सातवीं योजना और वार्षिक योजना 1989-90 की समीक्षा और वार्षिक योजना 1990-91 की तैयारी शुरू की गई।

4.161 एकक के अधिकारियों ने, योजना आयोग द्वारा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के संबंध में गठित कार्य दल के अंतर्गत स्थापित पांच अलग-अलग उपदलों अर्थात अन्वेषण एवं विकास, परिशोधन, मांग प्रायोजनाएं आदि की सभी चर्चाओं में भाग लिया और उनकी रिपोर्टों को अंतिम रूप देने में सहायता की। उपदलों की रिपोर्टों को विश्लेषित किया गया और इन रिपोर्टों के बारे में मूल्यांकन टिप्पणियां तैयार की गई। आठवीं योजना में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं को स्कीमवार/वर्षवार चरणबद्ध वित्तपोषण के लिए पता लगाया गया।

4.162 एकक का कई कार्यदलों और समितियों में प्रतिनिधित्व रहा जैसे (1 पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए उपायों को सुझाने के लिए समिति, (सी एस एम रिपोर्ट-2, (2) विद्युत के लिए पीक लोड़ के लिए प्राकृतिक गैस के प्रयोग की साध्यता की जांच करने के लिए समिति, (3) एल एन जी के 10 एम एम एस सी एम डी के आयात के अध्ययन के लिए समिति, (4) भू-विज्ञान, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समिति, (5) पी ओ एल मांग एवं मूवमेंट समिति, (6) विद्युत उत्पादन आदि के लिए गैस उपलब्धता/प्रयुक्तता के लिए आवश्यक परियोजनाओं की तैयारी और अनुमोदन को मानीटर करने के लिए समिति।

4.163 संभाव्य अल्प-लागत विस्तारों का पता लगाने तथा आठवीं और नौवीं योजना में नवीन ग्रासरूट तेल शोधक कारखानों की स्थापना की आवश्यकता का अध्ययन शुरू किया गया।

4.164 कच्चे तेल उत्पादन में 50 एम एम टी तक की वृद्धि, वर्ष 1994-95 तक दोनों मामलों में गैस उत्पादन को दुगुना किया जाना, कच्चे तेल के लिए मैटीरियल बैलेन्स और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और उनके परिवहन के लिए विभिन्न विकल्पों, उत्पादन की समस्या और नार्थ गुजरात के कच्चे तेल के संसाधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में इनहाउस तकनीकी टिप्पणियां तैयार की गई।

XVII. ऊर्जा नीति प्रभाग

4.165 एक अलग प्रभाग अर्थात् ऊर्जा नीति प्रभाग 1 सितम्बर, 1988 से योजना आयोग के एक अंग के रूप में कार्य कर रहा है। इस प्रभाग ने, ऊर्जा संबंधी भूतपूर्व सलाहकार बोर्ड के उत्तरदायित्वों को संभाला। योजना आयोग में कार्य कर रहा ऊर्जा माडलिंग एकक भी ऊर्जा नीति प्रभाग का एक अंग बन गया।

4.166 ऊर्जा माडलिंग का कार्य जिसे 1986-87 में आरम्भ किया गया था, जारी रहा। "भावी योजना एवं वाणिज्यक ऊर्जा के लिए नीति" शीर्षक से मसौदा रिपोर्ट का भाग 2 पूरा किया गया। रिपोर्ट के भाग 1 की तरह, भाग 2 को भी विभिन्न सरकारी विभागों/विशेषज्ञों को उनके ठोस विचार जानने के लिए परिचालित किया गया जिनसे माडल बनाने के कार्य में आगे सुधार में सहायता मिल सके।

4.167 यह कार्य एक सतत प्रकृति का है अतएव माडल में अपनायी गई अवधारणाओं और तकनीकी एवं लागत मानदंडों की समय-समय पर पुनरीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार पुनरीक्षण हाल ही में

प्रारंभ किया गया था और ऐसा महसूस किया गया कि कोल सब माडल में की गयी कतिपय अवधारणाओं की विस्तृत रूप से पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता थी। फलस्वरूप एक तकनीकी समिति का गठन कोयले की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के बारे में अवधारणाओं एवं आंकड़ों की पुनरीक्षा के लिए किया गया। उस तकनीकी समिति ने अब अपना विचार-विमर्श पूरा कर लिया है और इसकी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना है। तेल और विद्युत माडलों के संबंध में भी एक इसी तरह की पुनरीक्षा आरम्भ की गयी है। इस कार्य के फलस्वरूप माडलों में कतिपय समायोजन किये जा रहे हैं।

4.168 ऊर्जा मॉडलिंग संबंधी, ऊपर उल्लिखित प्रारूप रिपोर्ट इस समय संशोधनाधीन है। यह प्रस्ताव है कि रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद आम सूचना तथा सभी संबंधितों के उपयोग के लिए इसे व्यापक रूप से परिचालित किया जाए। आशा है कि यह रिपोर्ट दीर्घावधिक ऊर्जा नीति बनाने के लिए उपयोगी होगी। ऊर्जा क्षेत्र विकास के लिए आठवीं योजना कार्यक्रम तैयार करते समय मॉडल के परिणामों को ध्यान में रखा जा रहा है।

4.169 ऊर्जा माँग पूर्वानुमान के संबंध में प्रभाग ने कुछ अध्ययन भी शुरू किये हैं। वे अध्ययन प्रगति पर हैं।

4.170 प्रभाग ने ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों के मूल्य-निर्धारण संबंधी अध्ययन भी शुरू किया है। नेशनल इन्स्टीटयूट ऑफ पब्लिक फाइनैन्स एंड पॉलिसी ने, जिसे अध्ययन का कार्य सौंपा गया था, अपने कार्य को अन्तिम रूप दे दिया है तथा रिपोर्ट की जांच संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श से योजना आयोग में की जा रही है।

4.171 वर्ष के दौरान माडलिंग कार्य के लिए डाटा-बेस को सुदृढ़ तथा अद्यतन बनाया गया है।

XVIII. ग्रामीण ऊर्जा प्रभाग

4.172 ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की सदस्य (ऊर्जा) योजना आयोग द्वारा पुनरीक्षा की गयी। प्रणाली सुधार कार्यक्रम का ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए चालू वर्ष में विस्तार किया गया।

4.173 पुनरीक्षा एवं विचार-विमर्श पर आधारित, ग्रामीण ऊर्जा प्रभाग ने **ग्रामीण वितरण प्रणाली में तकनीकी खामियों** के संबंध में एक पत्र तैयार किया। राज्य विद्युत बोर्डों के साथ भी नियमित बैठकें की गयी और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम विशेष रूप से नलकूपों को चालू करने के कार्यक्रम की प्रगति की पुनरीक्षा की गई और बड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पं. बंगाल को अतिरिक्त धनराशि दी गयी जो ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में पिछडे हैं और जहां पर्याप्त भू जल की संभावनाएं हैं।

4.174 नये और नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम की प्रौद्योगिकी विकास प्रयासों के विशेष संदर्भ में सदस्य (ऊर्जा) द्वारा पुनरीक्षा की गयी और प्रौद्योगिकी विकास की गति को त्वरित करने के उपायों का पता लगाया गया। ग्रामीण ऊर्जा प्रभाग द्वारा **विद्युत उत्पादन के लिए नये एवं नवीकरण योग्य ऊर्जा का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन** के संबंध में एक प्रलेख तैयार किया गया।

4.175 ऊर्जा संरक्षण कार्य वर्ष 1989-90 के दौरान प्रभाग को सौंपा गया। भारत सरकार के विद्युत

विभाग और पैट्रोलियम विभाग में ऊर्जा संरक्षण कक्षों तथा ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम में राज्य ऊर्जा विभाग एजेंसियों के साथ पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की गई। ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम और वर्ष 1990-91 के लिए निर्देश के संबंध में एक प्रलेख तैयार किया गया।

4.176 आठवीं योजना के लिए नये एवं नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, आई आर ई पी; न्यूनतम कुकिंग ऊर्जा आवश्यकता कार्यक्रम के संबंध में तैयार की गई और योजना आयोग को प्रस्तुत की गई। कार्यदल रिपोर्टों पर सदस्य (ऊर्जा) द्वारा संबंधित दलों के साथ विचार-विमर्श किया गया। उन विचार-विमर्शों और नये आयोग के निदेशों के संदर्भ में उक्त रिपोर्टों में परिवर्तन किया जा रहा है।

4.177 एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम के अंग के रूप में, योजना आयोग एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोना के 5 केन्द्रों की स्थापना में तकनीकी मार्गदर्शन तथा वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस प्रकार के प्रथम केन्द्र का बकौली गांव में दिल्ली में उपाध्यक्ष, योजना आयोग द्वारा उद्घाटन किया गया। इसी प्रकार के केन्द्र कर्नाटक में, बंगलौर, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मेघालय में शिलांग तथा गुजरात में खेड़ा नगरों में स्थापित किए जा रहे हैं। यह आशा की जाती है कि इन केन्द्रों से ग्रामीण क्षेत्रों के तीव्र आर्थिक विकास हेतु एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना को तैयार करने और उसका कार्यान्वयन करने हेतु राज्यों में दक्षता विकास के लिए प्रशिक्षण एवं अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी।

4.178 आई आर ई पी कार्यक्रम 172 खंडों में चल रहा है और 1989-90 के दौरान और अन्य 37 नये ब्लाक स्तर कक्षों की स्थापना के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। देश के विभिन्न भागों में स्थित विख्यात राष्ट्रीय/क्षेत्रीय अभियांत्रिकी संस्थाओं में ग्रामीण ऊर्जा क्षेत्र में आई आर ई पी स्टाफ तथा व्यवसायियों को प्रशिक्षित करने के लिए 31 दिसम्ब, 1989 तक छः राष्ट्रीय आई आर ई पी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों संचालित किए गए। बड़ोदरा में आठवीं योजना के कार्यक्रमों के लिए कार्यनीति विकसित करने के लिए आई आर ई पी पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला भी आयोजित की गई। विकेन्द्रित आधार पर ग्रामीण ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित कुशल आयोजना और कम्प्यूटरीकृत डाटा बेस तैयार करने के लिए राज्य राजधानियों में भी दस राज्य स्तरीय आई आर ई पी कम्प्यूटर एककों की स्थापना की गई।

4.179 योजना आयोग (ग्रामीण ऊर्जा प्रभाग) द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद को "ग्रामीण विकास के लिए ऊर्जा विकल्प" विषयक सौंपा गया अध्ययन 1989-90 के दौरान पूरा हो चुका है।

4.180 इस प्रभाग में वर्ष 1989-90 के दौरान किए गए मुख्य क्रियाकलापों के वार्षिक योजना 1989-90 दस्तावेज के लिए संगत सामग्री को तैयार करना और वार्षिक योजना 1990-91 के अन्तर्गत परिव्ययों तथा आठवीं योजना की तैयारी अंतिम रूप देने से जुड़े कार्य शामिल हैं।

4.181 प्रभाग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तैयार करने के लिए गठित छः कार्यदलों अर्थात् (1) स्व-रोजगार कार्यक्रम, (2) मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (3) स्वैच्छिक संगठनों, प्रौद्योगिकी इत्यादि का प्रशिक्षण तथा भागीदारी, (4) प्रशासन तथा प्रबंधन (5) क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और (6) भूमि सुधार की रिपोर्टों की जांच की गई। इन रिपोर्टों पर विचार-विमर्श करने के लिए संचालन दल की बैठक बुलाई गई।

4.182 ग्राम सुविधा कार्यक्रम संबंधी एक कार्यदल तथा ग्रामीण आधार संरचना संबंधी एक समन्वय दल गठित किये गये तथा उनकी रिपोर्ट तैयार की गयी।

4.183 निम्नलिखित अध्ययनों/रिपोर्टों की जांच की गई तथा संबंधित प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किये गये:

(1) जनवरी-मार्च, 1989 की अवधि के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) संबंधी समवर्ती मूल्यांकन के परिणाम।

(2) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के वित्तीय तथा भौतिक कार्य निष्पादन संबंधी मासिक प्रगति रिपोर्टें।

(3) नवम्बर, 1987-अक्तूबर, 1988 की अवधि के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन.आर.ई.पी.) का समवर्ती मूल्यांकन।

(4) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा आयोजित जवाहर रोजगार योजना सम्बन्धी शीघ्र मूल्यांकन अध्ययन के परिणाम (दिसम्बर, 1989)।

भूमि सुधार पर संगोष्ठी

4.184 इस प्रभाग ने पृष्ठभूमि लेख तैयार किए और "भूमि सुधार-एक सिंहावलोकन और संभावनायें" नामक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी का कार्यवृत्त ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रकाशन के लिए तैयार किया जा रहा है।

क्षेत्र विकास कार्यक्रम:

4.185 सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूस्थल विकास कार्यक्रम से संबंधित राष्ट्रीय समिति की बैठक सदस्य (ग्रामीण विकास) योजना आयोग, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई इस प्रभाग के अधिकारी ने समिति में आयोग का प्रतिनिधित्व किया।

4.186 ग्रामीण विकास प्रभाग के एक अधिकारी ने योजना राज्य मंत्री के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर आयोग के ठंडे मरूस्थलीय क्षेत्रों (लेह) और ग्रामीण विकास विभाग के दौरों में हिस्सा लिया।

पंचायती राज:

4.187 इस प्रभाग ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पंचायती राज संस्था के सम्बन्ध में वार्षिक योजना (1990-91) विचार विमर्शों के लिए अवस्थिति टिप्पणी तैयार की।

4.188 ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजना और विकास के उत्तरदायित्व का एक बड़ा भाग स्थानीय सरकारों की निर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाओं को स्थानान्तरित करने में सुविधाजन्यता के उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग ने मॉडल पंचायती राज बिल का प्रारूप तैयार किया। इस बिल की समीक्षा की गई और उचित संशोधनों के लिए विस्तृत टिप्पणियां और सुझाव दिये गये।

अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

4.189 योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस प्रभाग के अधिकारियों का निम्नलिखित के लिए नामांकन किया गया:-

(1) "दक्षेस 2000-मूलभूत आवश्यकताओं की संभावना" से सम्बन्धित विशेषज्ञ दल की बैठक जो कि फरवरी, 1990 में काठमाण्डू (नेपाल) में हुई।

(2) डेसू/आई एस आर ओ द्वारा तैयार क्षेत्र विशेष में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की भूमिका की समीक्षा के लिए दल।

XX. समाज कल्याण और पोषाहार प्रभाग:

4.190 समाज कल्याण और पोषाहार प्रभाग, समाज कल्याण, पोषाहार और स्त्रियों के लिए सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों से सम्बन्धित है। इन क्षेत्र में क्रियाकलापों की संक्षिप्त रिपोर्ट निम्नलिखित है:

4.191 प्रत्येक के लिए एक संचालन दल के हिसाब से, (1) स्त्रियों का विकास, (2) समाज कल्याण और (3) पोषाहार, कुल तीन संचालन दल गठित किए गए ताकि आठवीं योजना के लिए नीतियों, दृष्टिकोण, कार्यनीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा और सिफारिश की जा सके। संचालन दलों की बैठकों के लिए कार्यपद्धति लेख तैयार किए गए और बैठकों का आयोजन हुआ। संयुक्त सलाहकार (समाज कल्याण व पोषाहार) ने संचालन दलों के आयोजनकर्ता का कार्य किया।

4.192 महिलाओं के लिए राष्ट्रीय भावी योजना तथा "श्रमशक्ति" की सिफारिशों को आठवीं पंचवर्षीय योजना में समाविष्ट करने की व्यवहार्यता को जांचा गया। इस बारे में सम्बधित प्रभागें के दृष्टिकोण पर, विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। जिन सिफारिशों को दृष्टिकोण (पत्र) में समाविष्ट करने के लिए स्वीकृति दी जा सकती थी, उनका अभिनिर्धारण किया गया।

4.193 महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए महिलाओं के लिए राष्ट्रीय भावी योजना सम्बन्धित कैबिनैट नोट की पुनरीक्षा की गई तथा उस पर टिप्पणियां विभाग को भेजी गई।

4.194 प्रभाग के अधिकारियों ने निम्नलिखित सम्मेलनों/बैठकों में भाग लिया:

(क) एकीकृत बाल विकास स्कीम पर सचिवों का सम्मेलन।

(ख) खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड की बैठक।

4.195 वार्षिक योजना 1989-90 दस्तावेज के लिए "समाज कल्याण" तथा "पोषाहार" सम्बन्धी अध्याय तैयार किये गए। आठवीं पंच वर्षीय योजना 1990-95 बनाने के लिए एक भाग के रूप में (1) 3 संचालन दलों की बैठकों के विचार-विमर्श लेख तैयार किए गए और बैठकें आयोजित की गई, (2) संचालन दलों की प्रारूप रिपोर्टें तैयार की गई और (3) आठवीं योजना में शामिल करने के लिए उनकी सिफारिशों की जांच की गई। इसके अतिरिक्त वार्षिक योजना 19990-91 से सम्बधित कार्य शुरू किया गया। प्रभाग के अधिकारियों ने लखनऊ, अहमदाबाद तथा त्रिवेंद्रम में आयोजित, आठवीं योजना में महिलाओं का विकास संबंधी, क्षेत्रीय परामर्श बैठकों में हिस्सा लिया।

4.196 शिशु तथा प्रसव के दौरान माता की मृत्यु, अस्वस्थता, उच्च जन्म दर, निरक्षरता इत्यादि से संबंधित समस्याओं से निबटने के लिए वर्तमान में विभिन्न कल्याण सेवायें हैं। इन्हें विभिन्न माध्यमों से प्रारंभिक स्तर पर प्रदान किया जा रहा है तथा इन सेवाओं का लक्ष्य दल एक ही है। इन विभिन्न सेवाओं के एक अभिमुखता तथा ग्राम स्तर पर एक निकाय के लिए एक माध्यम से धनराशि के चैनलीकरण के लिए दृष्टिकोण तैयार किया जा रहा है। दृष्टिकोण में इन परियोजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन में समुदायों की सहभागिता शामिल है। इसके अतिरिक्त इस प्रयास मेंजहां कहीं संभव हो स्वैच्छिक संगठनों को भी शामिल किया जाना है।

4.197 श्री रहमतुल्ला अंसारी तथा श्रीमती इला भट्ट, सदस्य योजना आयोग, भागलपुर तथा इससे सटे क्षेत्रों में उपद्रव के संदर्भ में राहत उपायों का पुनरीक्षण कर रहे हैं इस राहत का फोकस विशेषकर बुनकरों के पनुर्वास की समस्या पर होगा।

XXI. सांख्यिकी तथा सर्वेक्षण प्रभाग

4.198 सांख्यिकी तथा सर्वेक्षण प्रभाग ने योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के संबंधित प्रभागों, केन्द्रीय मंत्रालयों की सांख्यिकीय इकाइयों तथा राज्य आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालयों के साथ सन्निकट सहयोग का कार्य करना जारी रखा।

4.199 प्रभाग ने "सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी" शीर्ष के अन्तर्गत वार्षिक योजना 1990-91 में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के योजना प्रस्तावों को शामिल करने के उद्देश्य से विचार किया। प्रभाग के अधिकारियों की बैठकों में भाग लिया तथा टिप्पणियां प्रस्तुत की।

4.200 वार्षिक योजना 1990-91 में सांख्यिकी विभाग तथा भारत के महापंजीकार कार्यालय की सांख्यिकीय स्कीमों के प्रस्तावित तकनीकी ब्योरों को शामिल करने के लिए जांच की गई तथा योजना के समक्ष टिप्पणियां प्रस्तुत की गई।

4.201 "भारत की अर्थ व्यवस्था आंकड़ों में, 1989" (अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में) फोल्डर तथा "भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी आधारभूत आंकड़े, 1988" के अंक प्रकाशित किए गये। आधार पर आंकड़े, 1989 के अंक की पांडुलिपि को भी अंतिम रूप दिया गया।

4.202 यह प्रभाग योजना आयोग द्वारा गठित निम्नलिखित समितियों से सम्बद्ध रहा:

(1) योजना तथा नीति निर्धारण हेतु डाटा बेस काक निर्देशन तथा समीक्षा सुधार के लिए स्थायी समिति, तथा

2) विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों के लिए डाटा बेस में सुधार के लिए स्थायी समिति।

4.203 देश में शुष्क शौचालयों की संख्या तथा शुष्क शौचालयों में रत सफाई करने वालों की संख्या के विस्तृत राज्यवार आंकड़े तैयार करने के लिए सफाईकारों की समस्या के संबंध में कृतिक बेल पर उप-समिति की प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा उस पर योजना आयोग में 26-10-1989 को इस प्रथा को समाप्त करने के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए सफाईकारों की समस्या से सम्बद्ध कृतिक बल की दूसरी बैठक में विचार किया गया।

XXII. आवास, शहरी विकास तथा जल-पूर्ति प्रभाग

4.204 प्रभाग ने सातवीं योजना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से आवास, शहरी विकास तथा जल-पूर्ति एवं स्वच्छता के क्षेत्रों में नीतियों और कार्यक्रमों का संवर्धन जारी रखा। योजना स्कीमों के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों की समीक्षा तथा मानीटरिंग प्रक्रिया को जारी रखा। प्रभाग ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेने में भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

4.205 आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के संबंध में आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आवास संबंधी कार्य दल की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की गई। शहरी विकास तथा शहरी जल पूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी कार्य दल तथा जल आपूर्ति एवं ग्रामीण स्वच्छता संबंधी अन्य कार्य दल ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

4.206 वर्ष 1990-91 के लिए आवास, शहरी विकास, लोक कार्यों, लेखन सामग्री तथा मुद्रण कार्यों एवं जल आपूर्ति तथा स्वच्छता से संबंधित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक योजना प्रस्तावों पर संबद्ध राज्य सरकारों तथा केंद्रीय सरकार के अधिकारियों के साथ उनको अंतिम रूप देने से पहले विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। शहरी विकास मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास विभाग की केंद्रीय क्षेत्र की वार्षिक योजनाओं के संबंध में वैसी की कार्यवाही की गई।

4.207 प्रभाग द्वारा शुरु किए गए निम्नलिखित अध्ययन पूरे किए गए तथा रिपोर्टें प्राप्त की गई :

1) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली द्वारा किया गया भाड़ा आवास शहरी क्षेत्र।
2) परिचालन, अनुसंधान दल, बड़ौदा द्वारा किया गया शहरी सेवाओं का वितरण तथा वित्तपोषण।
3) राष्ट्रीय शहरी आधार संरचना विकास वित्तपोषण निगम स्थापित करने संबंधी पत्र।

4.208 आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय उक्त अध्ययनों के तथ्यों को ध्यान में रखा जायेगा।

4.209 20 सूत्री कार्यक्रम संबंधी परामर्शदात्री परिषद् की सहायता करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा स्थापित "पीने के पानी की आपूर्ति" संबंधी उप-दल की प्रारूप रिपोर्ट तैयार करने में प्रभाग ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

XXIII. बहुस्तरीय आयोजन एकक

4.210 बहुस्तरीय आयोग एकक, आयोजन के विभिन्न पहलुओं सहित निम्नलिखित कार्यक्रमों के साथ सम्बद्ध है :

(1) आयोजना प्रणाली का विकेन्द्रीकरण,
(2) राज्यों में योजना तंत्र को सुदृढ़ करने की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम,
(3) आयोजना के प्रभारी अधिकारियों का प्रशिक्षण,
(4) क्षेत्रीय आयोजना तथा प्रादेशिक असंतुलन, एवं
(5) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम।

4.211 वर्ष के दौरान किए गए निष्पादन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

4.212 जिला योजनाओं को तैयार करने पर बल दिया जाना इस तथ्य पर आधारित है कि इससे आयोजना प्रक्रिया में और ज्यादा वास्तविकता आयेगी तथा लोग इसमें और ज्यादा सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को, तिरुनलवेली (तमिलनाडु) नासिक (महाराष्ट्र), मुंगेर (बिहार), सीतापुर (उत्तर प्रदेश) तथा शिमला (हिमाचल प्रदेश) के प्रत्येक जिले के लिए पांच पायलट योजनायें तैयार करने के लिए कहा गया। यह योजनायें जिला प्राधिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के स्टाफ के परामर्श तथा उनके मार्गदर्शन में तैयार की गई। बाद में, उन पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान में विचार-विमर्श किया गया तथा कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए गए जो कि अभी विचाराधीन हैं।

4.213 इसके बाद, जुलाई, 1988 में हुई राज्य योजना सचिवों की बैठक के अनुसरण में योजना आयोग

द्वारा गठित दो अध्ययन दलों-एक प्रशिक्षण के लिए तथा दूसरा सूचना अंतर के लिए, ने अपनी रिपोर्ट जून, 1989 में प्रस्तुत की। इन रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

राज्यों में योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण

4.214 योजना आयोग, राज्य तथा जिला स्तर पर योजना तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान कर रहा है। योजना तंत्र के सुदृढ़ीकरण की स्कीम के अंतर्गत राज्य स्तर के योजना स्टाफ की निर्धारित श्रेणी के लिए 2/3 केंद्रीय सहायता तथा जिला स्तर पर 50 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। 50:50 के आधार पर राज्य प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण स्टाफ के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायतार्थ स्कीम के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया है। योजना तंत्र के सुदृढ़ीकरण के अलावा, यह भी महसूस किया गया है कि विकेन्द्रित आयोजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ माडल योजनाएं तैयार की जाएं ताकि जिला स्तर के प्राधिकरणों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सके। इसलिए, राज्यों को विशेषज्ञ की सेवायें लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा प्रत्येक राज्य को 50:50 के आधार पर एक लाख रुपये तक की सहायता दी गई।

प्रशिक्षण

4.215 भारत सरकार आयोजना स्टाफ को बहुस्तरीय आयोजना में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। योजना आयोग की तरफ से राज्य स्तर तथा जिला स्तर के आयोजन कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए योजना स्कीमों के अंतर्गत इंस्टीटयूट आफ इकोनामिक ग्रोथ, दिल्ली तथा भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदाबाद को सहायता अनुदान दिया जाता है।

4.216 वर्ष 1988-89 के दौरान इंस्टीट्यूट आफ इकोनामिक ग्रोथ दिल्ली को विकास आयोजना तथा नीति संबंधी साढ़े चार मास का डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए 10.03 लाख रुपए की राशि जारी की गई। वर्ष 1989-90 के लिए 13.00 लाख रुपए का बजट आवंटन किया गया है।

4.217 भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद, वर्ष 1976-77 से बहु-स्तरीय तथा विकेन्द्रित आयोजना में मध्यम अवधि के प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। वर्ष 1988-89 में कालेज को 5.53 लाख रुपए की राशि जारी की गई।

डकैती-प्रवृत्त क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए कार्यक्रम

4.218 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के डकैत-प्रवृत्त क्षेत्रों के सामने विशिष्ट समस्याएं हैं जो विकास प्रक्रिया में बाधा डालती हैं। इन राज्यों में ऐसे क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए वर्ष 1985-86 में एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया था। कार्यक्रम (1) घाटी सुधार, (2) सड़क/पुल निर्माण तथा (3) ग्रामीण विद्युतीकरण पर बल दिया गया है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्रक के अंतर्गत कार्यक्रम की विषय वस्तु तथा वित्तीय पहलू नीचे दिए गए हैं:-

घाटी सुधार

4.219 वर्ष 1988-89 के लिए पहले से चल रही स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए 14.50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी। वर्ष 1989-90 के लिए 15.50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

सड़क/पुल निर्माण

4.220 चूंकि यह एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, अतः वित्त पोषण भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के अनुपात में किया जाता है। इस कार्यक्रम के लिए वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के लिए क्रमशः 12.00 करोड़ रुपए तथा 13.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

4.221 राज्य योजना के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों के अतिरिक्त, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम तीनों राज्यों के डकैती प्रवृत्त क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए धन प्रदान करता है। वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 में क्रमशः 3854 ग्रामों तथा 4079 ग्रामों में बिजली लगाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 31.60 करोड़ रुपए तथा 81.58 करोड़ रुपए के परिव्यय प्रदान किए गए हैं।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

4.222 राजस्थान, गुजरात तथा पंजाब के तीन राज्यों में सीमावर्ती क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए शतप्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण से वर्ष 1986-87 में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम, शुरू में गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया गया।

4.223 कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक तथा आधार संरचनात्मक विकास सुविधाएं शुरू करना है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा को भी सुदृढ़ करने में सहायक होंगी। कार्यक्रम का मुख्य बल अब राजस्थान, गुजरात, पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं के सृजन तथा विस्तार पर दिया गया है। इस कार्यक्रम के, जो वर्ष 1987-88 से शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासित किया जा रहा है, चार घटक अर्थात शिक्षा विभाग के कार्यक्रम, इंदिरा गांधी नहर परियोजा, गृह मंत्रालय की फोटो पहचान पत्र तथा योजना आयोग के अनुसंधान अध्ययन हैं। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतगर्त विभिन्न स्कीमों पर वर्ष 1986-87 से किए गए व्यय/परिव्यय।

XXIV. विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रभाग

(I) विज्ञान व प्रौद्योगिकी

4.224 विज्ञान व प्रौद्योगिकी संभाग के अधिकारियों ने कार्य दल की बैठकों में हुए विचार-विमर्श में सक्रिय हिस्सेदारी की और आठवीं पंचवर्षीय योजना के निर्धारण हेतु विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर गठित संचालन दल को, जिन्होंने योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं, सहयोग दिया।

4.225 विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्षेत्र हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र के प्रारूप हेतु आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध करायी गई।

4.226 सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों के साथ 1990-91 हेतु उनके अपने-अपने वार्षिक योजना प्रस्तावों में शामिल विज्ञान व प्रौद्योगिकी संघटकों/कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा की गई। जिन क्षेत्रों के संबंध में चर्चा हुई वे थे रसायन, पेट्रो-रसायन, रेलवे, परिवहन, शिक्षा, खाद्य संसाधन, खान, कोयला आदि।

4.227 राज्यों में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास व अनुप्रयोग हेतु दौरों, विचार-विमर्श व आंतरिक वार्ताओं के माध्यम से विशेष प्रयास किए गए।

(II) पर्यावरण व पारिस्थितिकी (इकॉलोजी)

4.228 पर्यावरण, वन व बंजर भूमि विकास पर डॉ० एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित संचालन दल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

4.229 आठवीं पंचवर्षीय योजना के निर्धारण हेतु पर्यावरण, वानिकी व बंजर भूमि के संबंध में योजना आयोग द्वार गठित कार्य दलों ने भी योजना आयोग को अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं।

4.230 प्रकृति हेतु विश्व वन्य जीवन कोष द्वारा "भारत की आनुवंशिकी स्थिति के संरक्षण व पोष्य प्रबंध" पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के एक सत्र–"संरक्षण, प्रबंध व आनुवंशिकी संसाधन" की सदस्य (एम) ने अध्यक्षता की।

4.231 पर्यावरण सुरक्षा व जैव-विविधता के संरक्षण हेतु निश्चित कार्यक्रमों के निर्धारण हेतु विभिन्न राज्यों के दौरे व वार्ताएं आयोजित की गई।

(III) गंगा कार्रवाई योजना

4.232 वर्ष के दौरान, योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य प्रो० एम.जी. के. मेनन की अध्यक्षता में गंगा कार्रवाई योजना की निगरानी समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई। जिन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें निम्नलिखित शामिल थे: (i) आठवीं पंचवर्षीय योजना हेतु युद्ध नीतियां, (ii) अपवर्तन प्रणाली व मल-उपचार संयंत्रों का रख-रखाव, (iii) विभिन्न प्रदेशों में कार्य योजनाओं को तेज करने की आवश्यकता, (iv) एक एकीकृत अनुसंधान व विकास योजना, जल गुणवत्ता माडलिंग, स्वास्थ्य पहलुओं, आदि का निर्धारण।

4.233 निगरानी समिति ने गंगा कार्रवाई योजना में हुई समग्र प्रगति की समीक्षा की है।

(IV) वानिकी

4.234 वन व वन्य जीवन और बंजर भूमि विकास पर कार्यदलों ने 1989-90 के दौरान अपनी रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया। योजना आयोग द्वारा ईंधन की लकड़ी और चारे पर गठित अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। स्थान विशिष्ट के अनुसंधान व व्यवहारिक प्रचालन पर विशेष जोर देते हुए वानिकी परियोजनाओं के वैज्ञानिक तौर-तरीकों से निर्धारण, कार्यान्वयन व निगरानी हेतु विविध राज्यों/संघ राज्यों से विस्तृत अंत: क्रियायें की गईं।

(V) द्वीप विकास प्राधिकरण

4.235 द्वीप विकास प्राधिकरण की छठी बैठक 11 जुलाई, 1989 को वित्त मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिन मुख्य विषयों पर विचार किया गया उनमें निम्नलिखित शामिल थे : अण्डमान व निकोबार द्वीप

समूहों व लक्षद्वीप में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने हेतु लघु अवधि व दीर्घावधि उपाय, लक्षद्वीप के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन व पुनः अभिकल्पन, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूहों में मतस्य-पालन के विकास हेतु मास्टर प्लान और मालदीव का दौरा करने वाले विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट और उस पर कार्रवाई। द्वीप विकास प्राधिकरण ने द्वीपों के दो समूहों में बेरोजगारी घटाने व लक्षद्वीप में मतस्य पालन के विकास हेतु मास्टर प्लान की निम्नलिखित कार्रवाई योजना का अनुमोदन किया।

4.236 वर्ष के दौरान, योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य की अध्यक्षता में द्वीप विकास प्राधिकरण की संचालन समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई। इनमें निम्नलिखित मुद्दों पर विचार हुआ। (i) बेरोजगारी पर विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट, (ii) मालदीव की यात्रा पर गए विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट, (iii) दो द्वीपों और पविहन, विकास मानकों, आदिम जातियों के कल्याण जैसे अन्य पहलुओं के प्रति नवीन पहुंच, और (iv) द्वीपों के दो समूहों हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण नीतियां।

4.237 द्वीप विकास प्राधिकरण से संबंधित समस्त कार्य, जिसमें द्वीप विकास प्राधिकरण के नियमों पर अनुवर्ती कार्रवाई, मंत्रालयों के साथ विविध मुद्दों को उठाना व समग्रता में समन्वयन शामिल है, नियमित समय-सारिणी, निगरानी आदि के आधार पर की जा रही है।

XXV. उद्योग व खनिज प्रभाग

4.238 वर्ष 1989-90 के संबंध में विविध क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की गई। इसके बाद विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के परिव्यय को अंतिम रूप देने के लिए चर्चाएं की गई। प्रदेशों/संघ राज्यों की योजनाओं के संबंध में विभिन्न प्रदेशों व संघ राज्यों के मुख्य मंत्रियों/उपराज्यपालों से उपाध्यक्ष के स्तर पर वार्ताएं हुई। वर्ष 1990-91 हेतु कार्यक्रमों पर चर्चा करते समय उन क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया जहां रोजगार बढ़ाने और व्यापक उपभोज्यता वाली वस्तुएं पैदा करने की संभावना अधिक है। इस ओर भी जोर दिया गया कि ग्रामीण आबादी की स्थिति को सुधारने हेतु न्यूनतम 50% राशि का निवेश ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त ध्यान दिया जाना होगा।

4.239 वार्षिक योजना कार्यक्रमों पर चर्चा करते समय चालू वर्ष के प्रथम नौ महीनों की उपलब्धियों और शेष तीन महीनों की अपेक्षित उपलब्धियों पर भी विस्तृत चर्चा हुई।

4.240 चूंकि वर्ष 1989-90 सातवीं पंचवर्षीय योजना का समापन वर्ष है अतः आठवीं पंचवर्षीय योजना के निर्धारण हेतु तैयारियां शुरू की गई। तदनुसार, योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में उद्योग पर एक संचालन समिति गठित की गई। इस संचालन समिति ने लोहा व इस्पात, कृषि-खाद्य संसाधन, कपड़ा व जूट उद्योग, चमड़ा व चमड़ा वस्तु उद्योग, धातु, खनिज गवेषणा, औषध व औषध निर्माण, उर्वरक, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, आदि जैसे क्षेत्रों के लिए 18 कार्य दलों का गठन किया। कार्य दलों के काफी संख्या में उप दल थे।

4.241 इसके अतिरिक्त, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है, विशिष्ट औद्योगिक समस्याओं पर चर्चा करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को आमंत्रित किया गया :

(i) योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में कपड़ा नीति समीक्षा समिति का गठन किया गया और लंबी चर्चाओं के बाद इस समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ii) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वस्त्र उद्योग की जनशक्ति आवश्यकताओं पर सलाहकार (आई एण्ड एम) की अध्यक्षता वाले उप दल की रिपोर्ट शीघ्र ही आयोग को प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

(iii) सदस्य, योजना आयोग ने औषध व औषध-निर्माण उद्योग के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की और इस उद्योग की समस्याओं और संभावनाओं पर संबद्ध मंत्रालयों से चर्चा की।

(iv) आयोग ने भारत व फ्रांस के सार्वजनिक क्षेत्रों के कार्य-व्यवहार पर चर्चा करने हेतु एक भारत-फ्रांस सम्मेलन आयोजित किया।

4.242 संचालन समिति की बैठक में चर्चा हेतु, संभाग ने बीमार उद्योगों पर एक प्रपत्र तैयार किया। इसने सरकार व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बीच समझौता-ज्ञापनों पर एक सम्मेलन में भी भाग लिया। चमड़ा उद्योग हेतु गंदे पानी के उपचार करने वाले संयंत्रों के प्रतिष्ठापन हेतु संभाग ने कई बैठकें आयोजित की। इसने औद्योगिक विकास हेतु विभिन्न राज्यों में विकास केंद्रों के गठन के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने में सक्रिय हिस्सेदारी की।

4.243 योजना आयोग ने भारत में लोहे व इस्पात की दीर्घावधि मांग व आपूर्ति की महत्वपूर्ण-नीति की समीक्षा के उद्देश्य के गहन अध्ययन शुरू किया है। इस अध्ययन से आशा की जाती है कि स्केल, प्रौद्योगिकी, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग और इस्पात संयंत्रों की अवस्थिति की बहु आयामी व व्यापक संभावनाओं को मद्दे नजर रखते हुए देश में इस्पात विनिर्माण का सर्वोत्तम मार्ग तलाशा जाएगा। यह अध्ययन वैकल्पिक प्रौद्योगिकी से हरित क्षेत्र के संयंत्रों में निवेश की तुलना में आधुनिकीकरण प्रस्तावों में निवेश के निहितार्थों की भी जांच करेगा।

4.244 इस्पात व ईंधन कोयला के आयात अथवा उनके घरेलू उत्पादन अथवा संसाधन उपयोग का प्रश्न भी अध्ययन के दायरे में आता है। दीर्घावधि प्रायोजना व नीति संबंधी नियमों पर पहुंचने के लिए यह अध्ययन विकसित परिमाणात्मक प्रविधियों व मॉडलों का उपयोग करेगा।

4.245 आयोग के अवैतनिक सलाहकार की हैसियत में इस अध्ययन की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामप्रसाद सेनगुप्त को सौंपी गई है।

4.246 योजना आयोग ने पेट्रो-रसायन उत्पाद की दीर्घावधि मांग व आपूर्ति की समीक्षा करने के उद्देश्य से एक गहन अध्ययन शुरू किया है। आशा है कि इस अध्ययन में निर्माण व खरीदने के विकल्पों की जांच करते हुए इष्टतम उत्पाद मिश्रण, पशु चारे के संसाधनों के चयन और दीर्घावधि में प्रौद्योगिकी व आपूर्ति की रण-नीतियों के विश्लेषण हेतु विकसित परिमाणात्मक तरीकों और आर्थिक मॉडलों का उपयोग किया जाएगा। इस अध्ययन द्वारा उद्योग की क्षमता संवर्धन की इष्टतम समय-सारिणी के प्रायोजन की भी आशा है।

4.247 इस अध्ययन की जिम्मेदारी आयोग के अवैतनिक सलाहकार की हैसियत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राम प्रसाद सेनगुप्त को सौंपी गई है।

XXVI. ग्रामीण व लघु उद्योग प्रभाग

4.248 आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-91) हेतु कपड़ा और खादी व ग्रामीण उद्योग पर कार्य दल का गठन 1988 की अंतिम तिमाही में किया गया था। इस कार्य दल ने अन्य बातों के साथ-साथ हथकरघा उद्योग,

रेशम उत्पादन व बिजली चालित करघों और संगठित मुख्य क्षेत्र के लिए अनेक उप दलों का गठन किया। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) हेतु हथकरघा उद्योग पर एक कार्यदल का गठन भी किया गया। 1989-90 में प्रस्तुत उनकी अंतिम रिपोर्टों की जांच की गई। मई, 1988 में योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य श्री आबिद हुसैन की अध्यक्षता में गठित कपड़ा समीक्षा समिति ने कई बैठकें आयोजित की; इसकी रिपोर्ट फरवरी, 1990 में प्रस्तुत की गई।

4.249 वी एस आई क्षेत्र के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से प्राप्त अनेक प्रस्तावों/योजनाओं/रिपोर्टों की जांच की गई। इनमें निम्नलिखित शामिल थे: (i) डी आई सी कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययनों पर रिपोर्ट, (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के दस्तकारों के कल्याण हेतु योजनाएं, (iii) परिवहन सबसिडी की केन्द्रीय योजना को विस्तारित कर इसमें कुछ अर्थ संसाधित/तैयार वस्तुओं को शामिल करना व पूर्वोत्तर राज्यों, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, आदि को सबसिडी की दर में वृद्धि, (iv) गुजरात में रेशम निर्माण के विकास पर एक टिप्पणी, (v) केन्द्रीय निवेश सबसिडी योजना संबंधी प्रस्ताव, (vi) धागे की कमी वाले राज्यों में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा धागे के डिपा खोलना, (vii) पश्चिमी घाट हेतु वी एस आई क्षेत्र में खादी व ग्रामीण उद्योग विकास कार्यक्रम के योजना परिव्यय को बढ़ाना।

4.250 वी एस आई क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों ओर केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के 1990-91 के वार्षिक योजना प्रस्तावों पर चर्चा की गई। वर्ष 1990-91 हेतु वार्षिक योजना के परिव्यय को अंतिम रूप देने के लिए संबद्ध राज्यों/संघ राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ गहन चर्चाएं हुई। सभी राज्यों, संघ राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के संबंध में उपर्युक्त बैठकों के बैकग्राऊण्ड पेपर (पृष्ठ भूमि दस्तावेज), बैठकों के कार्यवृत, सार रिकार्ड, आदि तैयार किए गए।

XXVII. परिवहन प्रभाग

4.251 वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना के निर्धारण के हिस्से के रूप में, संभाग ने केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों व संघ राज्यों से उनके 1990-91 के वार्षिक योजना प्रस्तावों के संबंध में चर्चाएं की। राज्य सड़क परिवहन संस्थानों के वर्ष 1989-90 के दौरान के भौतिक व वित्तीय कार्य-निष्पादन के संदर्भ में इसी तरह की चर्चा उनके प्रतिनिधियों के साथ ही गई और उनके आंतरिक वित्तीय संसाधनों का आकलन करने के उद्देश्य से उनके वर्ष 1990-91 के प्रस्तावों की जांच की गई।

4.252 आठवीं पंचवर्षीय योजना के निर्धारण हेतु परिवहन व पर्यटन के विभिन्न उप-क्षेत्रों के लिए कार्य दलों का गठन किया गया। कार्यक्षेत्रों की रिपोर्टों की संभाग में जांच की गई और 1990-91 को वार्षिक योजना के निर्धारण में उनका उपयोग किया गया। परिवहन व पर्यटन के क्षेत्रों के संबंध मे आठवीं योजना हेतु एप्रोच पेपर की तैयारी के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करायी गई।

4.253 राज्य सड़क परिवहन संस्थानों के भौतिक व वित्तीय कार्य-निष्पादन के सुधार के लिए उपाय सुझाने के उद्देश्य से इन संस्थानों के प्रचालन की गहन समीक्षा का कार्य हाथ में लिया गया।

4.254 एशियाई विकास बैंक की वित्तीय सहायता व सहयोग के बंदरगाह व जहाजरानी क्षेत्र का अध्ययन किया गया। देश के भीतर विद्युत ऊर्जा की कुल उपलब्धता इस ऊर्जा का रेलवे परिचालन में सक्षम उपयोग और स्वयं रेलवे प्रणाली के लागत-लाभ की रोशनी में, रेलवे के भविष्य के विद्युतीकरण कार्यक्रमों की

समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति से कहा गया कि वह आगामी तीन योजना अवधियों के दौरान रेलवे के विद्युतिकरण कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए समुचित मान दण्ड बनाए।

4.255 भारतीय रेलवे हेतु उच्च शक्ति के ईंधन प्राप्त करने से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए एक अन्य समिति का गठन किया गया है। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा परिवहन पर एक अंत:विषयी केंद्र संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता को दर्शाया गया। समिति ने यह भी सिफारिश की कि यह केंद्र प्रबंधन संस्थानों व प्रौद्योगिकी संस्थानों की ही तरह स्वायत्तशासी होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था। तदनुसार, सभी प्रधान परिवहन माध्यमों सहित देश की परिवहन प्रणाली के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एशियाई परिवहन विकास संस्थान को परिवहन क्षेत्र में एक अंत:विषयी केंद्र के रूप में पंजीकृत किया गया।

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

4.256 इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है पर्यावरण से सामंजस्य में पर्वतीय जनता का सामाजिक-आर्थिक विकास करना और साथ ही, पर्वतीय क्षेत्रों की पारिस्थिति की प्रणाली का पुनर्स्थापना, संरक्षण व विकास करना।

4.257 आठवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान (i) "अरावली पहाडियों" व (ii) "काण्डी क्षेत्रों" के विकास हेतु उचित कार्रवाई योजना सुझाने के लिए वर्ष के दौरान दो कार्य दलों का गठन किया गया। कार्य दल/कार्य बल की रिपोर्ट तैयार की गई और प्रस्तुत की गई इन पर योजना आयोग में कार्रवाई जारी है।

4.258 असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विनिर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों के संबंध में 1989-90 हेतु पर्वतीय उप-योजना को अंतिम रूप दिया गया। संबद्ध राज्यों की उप योजनाओं पर हुई चर्चाओं के दौरान निकले निणयों पर कार्रवाई शुरू की गई।

4.259 योजना आयोग के भूतपूर्व सलाहाकार और वर्तमान में संसदीय कार्य विभाग के सचिव श्री बी.एन. दोदिडयाल ने "हिमालय का पारिस्थितिक विकास" शीर्षक एक एप्रोच पेपर तैयार किया था जिसमें पश्चिमी/केंद्रीय और पूर्वोत्तर हिमालय के एकीकृत विकास हेतु युद्ध नीति है।

4.260 तत्कालीन योजना मंत्री की अध्यक्षता में जुलाई, 1989 में हुई बैठक में इस पेपर पर उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से चुने गए गैर-सरकारी पदाधिकारियों से चर्चा की गई थी। अन्य बातों के साथ, निर्णय किया गया कि हिमालय के एकीकृत विकास पर जोर देने के लिए एप्रोच पेपर के अतंर्गत आने वाले अन्य राज्यों के साथ कुछ और बैठकें आयोजित की जाएं।

पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम

4.261 महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गोवा के संबंध में पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रमों हेतु सुझावों की जांच की गई और आंवटन को अंतिम रूप दिया गया।

4.262 पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम की तिमाही समीक्षा की गई।

पूर्वोत्तर परिषद

4.263 (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु मंत्री समिति, (ख) पूर्वोत्तर कांग्रेस समन्वयन समिति द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में विशेष चिन्ता व्यक्त करते हुए पारित आर्थिक प्रस्ताव, और (ग) पूर्वोत्तर परिषद की बैठकों मे उभरे सुझावों/निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की गई।

4.264 दीर्घावधि विकास के परिप्रेक्ष्य में पूर्वोत्तम परिषद को पुन:दिशाभिमुख करने के उद्देश्य से विद्युत, दूर संचार, कृषि व सहयोगी क्रियाकलाप के क्षेत्रों में आठ कार्य दलों का गठन किया गया। कुछ कार्य दलों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की योजना आयोग/पूर्वोत्तर परिषद में जांच की जा रही है।

4.265 वर्ष 1990-91 (पूर्वोत्तर परिषद) हेतु पूर्वोत्तर परिषद के प्रस्तावों की जांच की गई और उन्हें अंतिम रूप दिया गया।

4.266 योजना आयोग द्वारा निकाली गई महत्वपूर्ण नीति की रोशनी में अर्थात् (i) धान की एक फसल उगाने वाले इलाकों में फसल की सघनता बढ़ाने के संबंध में, (ii) आय देने वाले वैकल्पिक व्यवसाय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, एक केंद्रीय योजना (पायलट) को नौ राज्यों तक अर्थात् पूर्वोत्तर क्षेत्र के सात राज्यों और आंध्र प्रदेश व उड़ीसा तक बढ़ा दिया गया जिसमें 1987-88 से 1992-93 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुमानित लागत 75.00 करोड़ रुपये आएगी। कृषि मंत्रालय द्वारा, जोकि इस स्कीम के प्रचालन हेतु केन्द्रीय मंत्रालय है, इस स्कीम की प्रगति की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। आवश्यकता होने पर दोष-निवारक उपाय अपनाए जाते हैं। अपेक्षा की जाती है कि इस अवधि के दौरान यह स्कीम लगभग 26,500 परिवारों को शामिल करेगी।

4.267 पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विकास योजना हेतु एक केंद्र के गठन के लिए परियोजना रिपोर्ट के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने एक कोर दल भी गठित किया।

XXVIII. राज्य योजना प्रभाग

वार्षिक योजना 1988-89

4.268 वर्ष 1988-89 हेतु राज्यों व संघ राज्यों के लिए पहले अनुमोदित 20412.50 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय को बहुत से राज्यों में सूखे, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न संसाधन संबंधी कठिनाईयों के कारण संशोधित कर 18625.29 करोड़ रुपये कर दिया गया।

वार्षिक योजना 1989-90

4.269 वार्षिक योजना 1989-90 के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों हेतु मूलत: 22343.90 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय अनुमोदित किया गया। यह पर्वतीय क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्र, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता, एन. ई. सी. को उपलब्ध कराए गए परिव्ययों के अतिरिक्त है।

4.270 प्राथमिकता क्षेत्रों में निवेश को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों, विशिष्ट बड़ी सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं, लघु सिंचाई, समादेश

क्षेत्र विकास और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के लिए परिव्यय निर्धारित किए गए हैं। केंद्रीय सहायता निर्धारित क्षेत्रों के हेतु व्यय की बढ़ोत्तरी से भी संबंधित है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त तिमाही विवरणियों के माध्यम से व्यय प्रगति को मॉनिटर करने के लिए प्रयास भी किए गए।

4.271 प्रारंभिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्राम-स्वास्थ्य, ग्रामीण जल-आपूर्ति, ग्राम सफाई, ग्राम-सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण घरेलू कुकिंग ऊर्जा, (ग्रामीण कोयला-ईंधन संयंत्र और उन्नत चूल्हा का प्रतिष्ठापन) ग्राम-आवास, शहर की गंदी बस्तियों के पर्यावरण में सुधार, पोषण व जन वितरण प्रणाली को शामिल करने वाले न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों को 2,600 करोड़ रुपयें की अपेक्षा कुछ ज्यादा परिव्यय आवंटित किया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत, ग्रामीण जल-आपूर्ति व प्रारंभिक शिक्षा के लिए बहुत-सा परिव्यय आवंटित किया गया।

4.272 संघ-राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए वित्त प्रबंध करने की मुख्य जिम्मेदारी केंद्र की है। इसके अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा राज्य अपने कमजोर संसाधन के आधार के कारण केंद्रीय सहायता के आवंटन हेतु विशेष श्रेणी के राज्यों में माने जाते हैं। इन सभी विशेष श्रेणी के राज्यों की वार्षिक योजना 1989-90 के लगभग 90 प्रतिशत के लिए केन्द्रीय सहायता मिलेगी।

वार्षिक योजना 1990-90

4.273 आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990-95 के संदर्भ में वार्षिक योजना 1990-91 के लिए प्रस्तावों का प्रतिपादन करने के लिए राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए। अन्य मामलों में मार्गदर्शी सिद्धांत शेष बची परियोजनाओं/कार्यक्रमों/योजनाओं को पूर्ण करने, उपलब्ध निवेश निधियों का अत्यंत उत्पादक प्रयोग करने, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति के संबंध में और क्षेत्रों, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जल-आपूर्ति, सफाई-व्यवस्था, रोजगार उत्पादन को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने तथा उन्नत उत्पादकता आदि के विकास कार्यक्रमों पर ध्यान आकर्षित करने पर बल देते हैं।

अनुसंधान-अध्ययन:

4.274 केरल में छठीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के संबंध में वित्तीय प्रबंधन व अनुसंधान संस्थान, मद्रास कर सौंपा गया गहन अध्ययन पूरा किया गया और उसकी रिपोर्ट जुलाई, 1989 में योजना आयोग को प्रस्तुत की गई। योजना आयोग में इस रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है। नीति अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली को सौंपा गया बिहार से संबंधित इसी तरह का अध्ययन अभी पूरा किया जाना है।

XXIX. जन-साधन अनुसंधान संस्थान (आई ए एम आर)

4.275 जन-साधन अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, जो योजना आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय है, को उसके अनुसंधान और अन्य गतिविधियों के लिए मार्च, 1990 के अंत तक 81.60 लाख रुपये सहायता-अनुदान दिया गया जबकि 1988-89 में 73 लाख रुपये सहायता-अनुदान दिया गया था। सहायता अनुदान शीर्ष के अधीन वर्ष 1989-90 के लिए बजट में जन-साधन अनुसंधान संस्थान हेतु कुल प्रावधान 81.70 लाख रुपये रखा गया है।

XXX. पुस्तकालय व प्रलेखीकरण केन्द्र :

4.276 योजना आयोग का पुस्तकालय, योजना आयोग के स्टाफ के सभी सदस्यों तथा कार्यक्रम का मूल्यांकन करने वाले संगठनों को और योजना आयोग में कार्यरत रा० सू० वि० केंद्र के स्टाफ के सदस्यों को संदर्भ सेवा व परिदाय सुविधाएं प्रदान कर रहा है। यह भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्रों के अधिकांश सभी पुस्तकालयों के साथ अंतर पुस्तकालय ऋण कार्यक्रम में भी लगा हुआ है। अन्य विभागों/संस्थानों के पदाधिकारियों और अनुसंधान करने वाले विद्यार्थियों को परामर्श सुविधाएं और संदर्भ सेवा प्रदान की जाती रही है। इस पुस्तकालय ने अपने परिचालन रिकॉर्डों को कम्प्यूटरीकृत किया है और यह चरण-वार अपनी सभी गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत करने के संबंध में कार्य कर रहा है। आयोग द्वारा गठित किए गए कार्य दल की सिफारिशों पर, योजना आयोग की ओर से या इस के द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से पुस्तकालय के भीतर एक प्रलेखीकरण केंद्र गठित किया गया है।

4.277 अप्रैल-दिसंबर 1989 की अवधि के दौरान, अंग्रेजी की 912 व हिन्दी की 711 पुस्तकें/प्रकाशन संग्रह में छोड़े गए। मार्च, 1990 के अंत तक अंग्रेजी की 800 से भी ज्यादा पुस्तकें और हिन्दी की 400 से भी ज्यादा पुस्तकें जोड़े जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त 441 पत्रिकाएं भी पुस्तकालय में प्राप्त की गई।

4.278 यह पुस्तकालय अपने दो प्रकाशन निकाल रहा है जैसे (i) डी ओ सी प्लान: पुस्तकालय में प्राप्त किए गए जर्नलों के लिए गए चुने हुए लेखों की पाक्षित सूची (ii) नई पुस्तकें पुस्तकालय में शामिल की गई पुस्तकों की पाक्षिक सूची।

4.279 राजभाषा विभाग के दिनांक 19.6.74 की परिपत्र सं. 11020/21/73-रा. भा. में शामिल किए गए प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, इस पुस्तकालय ने रिपोर्ट अवधि के दौरान हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर 26 प्रतिशत और अंग्रेजी पुस्तकों की खरीद 74 प्रतिशत राशि खर्च की।

XXX. हिन्दी अनुभाग

हिन्दी का प्रयोग

4.280 राजभाषा नीति के अनुसरण में, योजना आयोग में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित प्रगति की पुनरीक्षा जारी रही और उसके प्रगामी प्रयोग के संबंध में कदम उठाये गए। योजना आयोग की हिन्दी सलाहकार समिति की तीन बैठकें और राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें बुलाई गई और इन बैठकों में लिए गए निर्णय को यथासंभव कार्यान्वित किया गया। इन बैठकों के अतिरिक्त, विभिन्न संभागों/अनुभागों द्वारा प्रस्तुत की गई तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा सचिव स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों में भी जारी रही।

4.281 विभिन्न संभागों को हिन्दी में अपना कार्य करने में प्रोत्साहित करने हेतु एक चन शील्ड योजना शुरू की गई।

4.282 योजना आयोग में 1.9.1989 से 15.9.1989 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी में ज्यादा से ज्यादा कार्य करने के अवसर पर योजना मंत्री द्वारा की गई अपील के अलावा, आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाये गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों से अवगत

योजना आयोग के सदस्य डा. जे. डी. सेठी, योजना आयोग खेलकूद व सांस्कृतिक क्लब के दिनांक 28.3.1990 को हुए इकतीसवें वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की 50 मीटर दौड़ के लिए मास्टर देवेश ठाकुर को पुरस्कार देते हुए।

कराने के लिए एक परिपत्र भी जारी किया गया। इस पखवाड़े के दौरान, हिन्दी टिप्पण व प्रारूपण, हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि में प्रतियोगिताएं, हिन्दी पुस्तकों का प्रदर्शन, हिन्दी कार्यशाला और यांत्रिक सहायक उपकरणों में हिन्दी के प्रयोग का प्रदर्शन आयोजित किया गया। पखवाड़े के अंत में, पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया।

4.283 संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाने के लिए व्यापक योजना प्रतिपादित करने के उद्देश्य से, आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990—95) के प्रतिपादन के संदर्भ में गठित राजभाषा पर कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

4.284 "नियोजित विकास में राजभाषा का महत्व" पर अखिल भारतीय स्तर पर संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें राजभाषा पर कार्य दल के सदस्यों, योजना मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों और कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के योजना सचिवों ने भाग लिया।

4.285 योजना आयोग में प्रयोग किए जाने वाले योजना के संबंधित शब्दों का संकलन तैयार करने के लिए योजना मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की पारिभाषित शब्द से संबंधित उप समिति गठित की गई।

4.286 योजना आयोग द्वारा शुरू की गई कौटिल्य पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 1989-90 के लिए प्राप्त की गई प्रविष्टियों पर इस उद्देश्य के लिए गठित मूल्यांकन समिति के द्वारा विचार किया जा रहा है।

4.287 योजना आयोग के हिन्दी अनुभाग को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया में, सहायक निदेशक (रा.भा.) का एक पद सृजित किया गया।

XXXII. योजना आयोग का क्लब

कल्याण गतिविधियां

4.288 आयोग के स्टाफ के सदस्यों के बीच विभिन्न गतिविधियों तथा मनोरंजन व सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया।

4.289 इस क्लब ने दिनांक 28 मार्च, 1990 को मावलंकर ओडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम व वार्षिक दिवस (पुरस्कार वितरण) समारोह आयोजित किए। डॉ० जे० डी० सेठी, सदस्य, योजना आयोग ने इस अवसर पर पुरस्कार वितरित किए।

XL. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

4.290 राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र इस समय देश में केन्द्र सरकार के विभागों, राज्य सरकार के विभागों और जिला प्रशासन को कम्पयूटर आधारित सूचना-विज्ञान सेवाएं प्रदान कर रहा है। जिलों और राज्य सरकार के विभागों के मध्य तथा राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार के मध्य सूचना के द्रुत प्रवाह के लिए जिलों, राज्य सरकार के विभागों को जोड़ने वाला "निकनेट" नामक एक कम्प्यूटर संचार नेटवर्क प्रतिष्ठापित किया गया है। नेटवर्क को उपग्रह के माध्यम से जोड़ा गया है। दिल्ली, भुवनेश्वर, पुणे और हैदराबाद में बनाए

गए चार सुपर कम्प्यूटर नेटवर्क के चार क्षेत्रीय केन्द्र नोडीय केन्द्र हैं। प्रदेशिक राजधानियों में संस्थापित रा० सू० वि० केन्द्र राज्य केन्द्रों में सुपर मिनी कम्प्यूटर (एन डी-550 या समकक्ष) है जबकि जिलों में चार टर्मिनल वाले सुपर ए टी कम्प्यूटर है।

4.291 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र दिल्ली में स्थापित किए गए निकनेट के मास्टर अर्थ-स्टेशन को 660 माइक्रो अर्थ-स्टेशनों को समाहित करने के लिए प्रोन्नत किया गया है। निकनेट की उच्चतर क्षमता प्राप्त करने के लिए एक नया पैकेट (स्विच) पी ए सी टुर्बो-25) भी लगाया गया है। इसे 24 घंटे आधार पर चलाया जा रहा है और इसकी अति उच्च स्तर की सेवा क्षमता की प्रस्थिति (99.99 प्रतिशत) बनाई रखी गई है। इसे बंबई स्थित विदेश संचार निगम गेटवे स्विच से जोड़ा गया है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय आंकड़ा आधारों तक पहुंचा जा सके। निकनेट पर उपलब्ध मुख्य नेटवर्क सेवाओं में इलेक्ट्रॉनिक्स डाक और वितरित आंकड़ा आधार शामिल है।

केन्द्रीय सरकार का सूचना-विज्ञान

4.292 डॉटा संग्रहण, संगठन, प्रक्रमण और इसकी प्रत्यक्ष पहुंच क्षमता के संबंध में कम्प्यूटर संबंधी जागृति फैलाने और प्रणाली पहुंच को उन्नत करने के लिए रा० सू० वि० केन्द्र के प्रयत्नों के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा निर्णय लेने में मदद, नियोजन और परियोजना की निगरानी के लिए सूचना प्रणालियों का उपयोग किया गया है। लगभग 300 आँकड़ा आधार पहले से ही विकसित व कार्यान्वित किए गए हैं। केन्द्र सरकार के सूचना-विज्ञान को 9 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: शीर्ष संगठन, कृषि व जल, उद्योग, सेवा क्षेत्र, ऊर्जा, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, वित्त व वाणिज्य, मानव संसाधन और सुरक्षा।

4.293 राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र सरकार के विभागों को सतत और अधिकाधिक आधार पर सूचना-विज्ञान सहायता प्रदान कर रहा है। कुछ मुख्य सूचना-प्रणालिया यहां दी गई हैं:

4.294 मनुष्य निर्मित रेशा उद्योग पर सूचना प्रणाली बिजलीकरघा के लिए धागों की उपलब्धता और धागों व वस्त्र उत्पादन के संबंध में सूचना प्रदान करती है। विदेश मंत्रालय के लिए विकसित पारपत्र नियंत्रण प्रणाली की पूरी तरह से जांच की गई और उसे कार्यान्वित भी किया जा रहा है। 47 प्रकार के खनिजों से संबंधित 8,732 से अधिक संग्रहों पर आंकड़ों की शामिल करने वाले राष्ट्रीय खनिज आंकड़ा आधार का प्रयोग खान विभाग द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। प्रतिरक्षण पर प्रौद्योगिकी मिशन के अधीन कम्प्यूटरीकृत सूचना-प्रणाली से बी सी जी, डी पी टी, खसरा, टीका आदि के निष्पादन की निगरानी करने में सहायता मिली है। यह प्रणाली प्रत्यक्ष जांच व सूचना के सचित्र प्रदर्शन में मदद देती है।

4.295 ऊर्वरक सूचना प्रणाली स्टॉक की उपलब्धता पर साप्ताहिक सूचना प्रदान कर रही है और देश में ऊर्वरकों के वितरण-नियोजन में सहायता भी प्रदान कर रही है। आठवीं योजना अवधि और इसके परे की अवधि के लिए ऊर्वरकों की मांग के संवितरण के लिए एक सुनिश्चित मॉडल भी विकसित किया गया है। आयात व निर्यात सूचना प्रणाली दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास व कोचीन बंदरगाहों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करती है। इस प्रणाली के लिए विकसित सोफ्टवेयर अन्योन्यात्मक जांच संबंधी सुविधा प्रदान करता है। चालू वर्ष के दौरान, दिल्ली के सभी वेतन व लेखा कार्यालयों को बाउचर (प्रमाणक) स्तर के कम्प्यूटरीकरण के लिए शामिल किया जा रहा है।

4.296 डी सी एस एस आई हेतु देश में लघु उद्योगों की राष्ट्रीय गणना पर कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली के विकास का कार्य एन आई सी द्वारा हाथ में लिया गया है। डी सी एस एस आई द्वारा समेकित देश के सभी

(इनकी संख्या 10 लाख है) एस एस आई यूनिटों से संबंधित आंकड़ों के संसाधन को इसमें शामिल किया गया है। प्रणाली के अध्ययन की विस्तृत रिपोर्ट जिसमें मूल्य तथा स्त्रोत संबंधी विश्लेषण शामिल हैं पर भी कार्य होने जा रहा है।

4.297 सेलेक्शन ग्रेड परीक्षाओं के परिणामों के विश्लेषण, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के कार्यालय हेतु अवशिष्ट निरीक्षण रिपोर्टों/लेखा परीक्षा के पैराओं तथा निरीक्षण कार्यक्रमों पर कप्यूटरीकृत प्रणाली का एन आई सी ने विकास किया है तथा इस पर कार्य संपन्न हो रहा है।

4.298 उपर्युक्त प्रणालियों के अलावा, अनेक सरकारी विमानों में सामान्य साफ्टवेयर पैकेजों को भी एन आई सी कार्यान्वित कर रहा है ये हैं: डाक व फाइल मानीटरिंग प्रणाली, संसद में पूछताछ सूचना प्रणाली, विदेश प्रतिनियुक्त सूचना प्रणाली, बजट व व्यय मानीटरिंग प्रणाली, वेतन-पत्रक पेकेज, आर्थिक सूचना प्रणाली, अनुसूचित जाति/जन जाति के पदों की भर्ती तथा फाईलिंग का मानीटरिंग, कार्यालय व अनुरक्षण संबंधी गतिविधियों के मानीटरिंग की प्रणाली, परियोजना मानीटरिंग प्रणाली तथा कार्य संबंधी योजना के मानीटरिंग की प्रणाली।

राज्य सरकारों के सूचना-विज्ञान तथा डिसनिक कार्यक्रम

4.299 राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र की सुविधाओं के प्रतिष्ठापन एवं उपयोग के लिए अधिकांशत: सभी राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों को रा सू वि केन्द्र (एन आई सी) ने समाहृत कर लिया है। 440 जिलों में से 400 से भी अधिक जिलों को एन आई सी ने कम्प्यूटर आधारित सेवाएं प्रदान की हैं। इनमें दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र तथा बीहड़ क्षेत्र जैसे लद्दाख व जम्मू काश्मीर भी शामिल हैं। इस प्रगति से राज्य सरकार के विभागों को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों तथा सामाजिक विकास को नियमित आधार पर मानीटरिंग करने में निकनेट के प्रयोग से सहायता मिली है। इन क्षेत्रों में कुछेक हैं—20 सूत्री कार्यक्रम का मानीटरिंग, खाद्य व सिविल आपूर्ति, थोक/खुदरा सामग्री के मूल्य, राजस्व का संग्रहण आदि।

4.300 एन आई सी द्वारा विकसित 27 क्षेत्रों से संबंधित सामान्य डिसनिक पैकजों को कई जिलों में अब कार्यान्वित किया जा रहा है जिससे राज्य सरकार के विभागों तथा केंद्र सरकार को शीघ्र ही सूचना उपलब्ध हो जाती है। खजाने का कम्प्यूटरीकरण एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम है। इसका कार्यान्वयन महाराष्ट्र के सभी जिलों में किया जा रहा है और वहां से प्रायोगिक अनुभव प्राप्त कर इसे अन्य राज्यों में भी तदानुसार कार्यान्वित किया जायेगा। हिमाचल प्रदेश में भी खजाने का कंप्यूटरीकरण महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर शुरू हुआ है जहां केन्द्रीय खजाना की संपूर्ण गतिविधियां कम्प्यटूरीकृत हैं। रोजगार सूचना प्रणाली महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी बंगाल तथा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप में कार्यान्वित हैं।

4.301 कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणालियों पर जागृति पैदा करने के लिए नियमित-रूप से कार्यशालायें/संगोष्ठियां आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं में, यथोचित कंप्यटरीकरण द्वारा समय पर विश्वस्त सूचना की उपलब्धि पर प्रकाश डाला गया। इस प्रयास के संपोषण में एन आई सी ने "डिसनिक हाइलाइट्स" पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। डिसनिक हैंडबुक नामक एक विस्तृत दस्तावेज जो कि एन आई सी द्वारा विकसित विभिन्न पैकजों के इस्तेमाल हेतु डिसनिक प्रयोक्ताओं को इसके प्रयोग के बारे में बताता है को भी प्रकाशित किया गया। उद्योग, कृषि, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य तथा एन सी आर एम एस से संबंधित डिसिनक पैकेजों की रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई। कम्प्यूटरीकरण के लिए विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित आकंड़ों के संग्रहण के लिए एन आई सी ने विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में डिसनिक प्रोफार्म मुद्रित किए हैं।

विशेष परियोजनाएं

दूर-सूचना-विज्ञान विकास कार्यक्रम

4.302 टेक्स्ट आधारित सूचना के प्रक्रमण तथा संचरण हेतु प्रविधियों के विकास से संबंधित यह एक यूएन डी पी की सहायता प्राप्त परियोजना है। इसे दूरदर्शन के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। पहले से ही दूरदर्शन पर विद्यमान टेलिटेक्स्ट सूचना को वायुयानों की विलम्ब से उड़ानों की सूचना को शामिल कर आगे बढ़ा दिया गया है। एन आई सी ने कम मूल्य की टेलिटेक्स्ट घोषणा प्रणाली का विकास किया है जिसमें टेलिटेक्स्ट घोषणा नियंत्रक तथा पृष्ठ निर्माण टर्मिनल समाहित हैं। इससे दूरदर्शन को अन्य नगरों में टेलिटेक्स्ट सेवाएं मुहैया करने में मदद मिलेगी। एक टेलिटेक्स्ट गेटवे का विकास किया गया है जो कि आकशीय टेलिटेक्स्ट पृष्ठों को आकृष्ट कर लेता है। यह सूचना निकनेट पर उपलब्ध है और मांग पर इसे किसी भी कम्प्यूटर नेटवर्क पर उपलब्ध किया जा सकता है। पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी तथा मध्य रेलवे के आरक्षण/ प्रगति की स्थिति के प्रदर्शन हेतु बंद परिपथ टेलिटेक्स्ट प्रणाली का अभिकल्पन तथा व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है।

कम्प्यूटर आधारित अभिकल्पन कार्यक्रम

4.303 विभिन्न सरकारी संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों को कम्प्यूटर पर आधारित अभिकल्पन के क्षेत्र में एन आई सी प्रशिक्षण तथा साफ्टवेयर सहायता सुविधा प्रदान कर रहा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ठोस मोडयूलर ग्राफिक सुविधा का प्रयोग करते हुए सी-डॉट द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज निर्मित किया गया। इसके अतिरिकत, समीक्षाधीन अवधि में जो अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी की गई, वे हैं: आर० सी० विशिष्टियों वाली कोयला वाशरी बिल्डिग, विद्युतीय ओवरहोड चलती-फिरती क्रेन, एक बोरिंग मशीन का अर्धीय कॉलम तथा एक बोरिंग मशीन के अर्धीय कॉलम के पैटर्न के लिए माडलिंग।

निकनेट परियोजना का निगरानी कार्यक्रम

4.304 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परियोजना निगरानी समितियों को सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं की प्रगति की नियमित आधार पर निगरानी रखने में समर्थ बनाने हेतु परियोजना निगरानी सुविधा उपलब्ध कराना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। इससे सरकार को बृहत परियोजनाओं (100 करोड़ रुपये व अधिक लागत वाली) की प्रभावी निगरानी करने के संबंध में देरी को कम करने व उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में मदद मिलती है। इस परियोजना के अंतर्गत रा० सू० वि० केंद्र पहले से ही सेल, एम डी पी सी और एफ सी आई को निकनेट सुविधा उपलब्ध करा रहा है। बृहत राष्ट्रीय परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों तक भी इस सुविधा का विस्तार किया जा रहा है।

सामान्य सूचना-सेवा टर्मिनल

4.305 रा० सू० वि० केंद्र ने सामान्य सूचना सेवा टर्मिनल (जिस्ट) विकसित किया है। इस प्रणाली का उद्देश्य भारत, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, अवसंरचना व सेवा संबंधी क्रियाकलापों व निकनेट

सुविधाओं का प्रयोग करते हुए जांच प्रणाली के माध्यम से अन्य सांख्यिकी व गैर सांख्यिकी सूचनाओं के संबंध में सरकारी विभागों और जनता को सामान्य सूचना उपलब्ध करना है। वर्तमान में शिक्षा, परिवहन, अस्पताल, गाइड, उद्योग व व्यापार गाइड, भारतीय सांख्यिकी गाइड, डैल, भारतीय अर्थव्यवस्था जिला सांख्यिकीय प्रोफाइल, अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक आंकड़ें जैसी वृहद स्तर की तथा रेलवे समय सारणी आदि जैसी सामान्य सांख्यिकीय सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मौजूदा सूचना भंडार मे लगभग चार अरब चिन्ह हैं। और इसे सरकारी सचिवालयों, राज्य विधान सभाओं, संसद आदि जैसे सुविधाजनक स्थानों पर स्थित व निकनेट के जुड़े विशेष रूप से निर्मित जिस्ट टर्मिनल बूथों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

संसाधन व सहायता दल

4.306 पिछले अनुच्छेदों में वर्णित क्रियाकलापों की प्रगति की रा० सू० वि० केन्द्र मुख्यालय में गठित संसाधन व सहायता दलों के द्वारा संपूरित किया जाता है। ये साफ्टवेयर उपकरणों का विकास, हार्डवेयर का रखरखाव आदि जैसे विशिष्ट कार्य क्लाप करते हैं। ये दल हैं नेटवर्क संचार दल, लघु प्रणाली इंजनियरी सहायता दल, स्थलीय डाटा संचार दल, वृहत प्रणाली इंजीनियरी सहायता दल, मॉडलिग व प्रचालन अनुसंधान दल, डिसनिक सॉफ्टवेयर दल।

प्रशिक्षण प्रभाग

4.307 राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र विविध स्तरों पर सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इस तरह से बनाया गया है कि सभी स्तरों पर अधिकारियों की आवश्यकता को प्रभावी-रूप से पूरा किया जा सके। रा० सू० वि० केन्द्र प्रशिक्षण कार्यक्रम की एक प्रमुख विशिष्टता यह है कि वे कार्यक्रम रा० सू० वि० केन्द्र द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए विकसित की जा रही प्रबंध सूचना प्रणालियों के विकास व कार्यान्वयन से जुडे हैं।

4.308 इन कार्यक्रमों के अंतर्गत रा० सू० वि० केंद्र कम्प्यूटर सहायक प्रशिक्षण जैसी आधुनिक प्रशिक्षण प्रविधियों का इस्तेमाल करता है। 1989-90 के दौरान रा० सू० वि० केन्द्र ने विविध स्तरों पर 5400 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। इसमें कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनिवार्य पाठ्यक्रमों के भाग के रूप में प्रायोजित लगभग 325 आई ए एस अधिकारी शामिल हैं।

अध्याय-5

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के कार्य

5.1 कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन का मुख्य कार्य मूल्यांकन अध्ययन करना है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं (i) निश्चित उद्देश्यों व लक्ष्यों के प्रति कार्यक्रमों के परिणामों का मूल्यांकन (ii) लाभभोगियों पर उनके प्रभाव का मापन (iii) समुदाय की समाजिक आर्थिक संरचना पर प्रभाव (iv) अपनाई गई प्रक्रिया और प्रशासनिक संरचना की उपयुक्तता का मूल्यांकन (v) लक्षित दल को सेवा प्रदान करना। इसके अतिरिक्त यद्यपि अभी तक सीमित रूप में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन दो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य भी कर रहा है जैसे (क) राज्य मूल्यांकन संगठनों को तकनीकी सूचना व मार्गदर्शन प्रदान करना। (ख) राज्य मूल्यांकन के कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

वर्ष 1989-90 के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधियां

5.2 चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की मुख्य गतिविधियां निम्नानुसार रही हैं:—

(i) निम्नलिखित कार्यक्रमों पर मूल्यांकन रिपोर्ट निकाली गई:-

(क) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम
(ख) गांवों की महिलाओं पर लाभ-उन्मुख कार्यक्रमों की अभिगम्यता व उनका प्रभाव
(ग) ग्रामीण श्रमिकों के लिए आवास स्थलों व निर्माण सहायता का प्रावधान।

(ii) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम पर प्रारूप रिपोर्ट संशोधित की गई। इस रिपोर्ट के वर्ष के अंत तक प्रकाशित होने की संभावना है।

(iii) शुष्क भूमि कृषि कार्यक्रम की रिपोर्ट का प्रारूप पूरा किया गया। इस रिपोर्ट के वर्ष के अंत तक अंतिम रूप देने व इसे प्रकाशित करने की भी संभावना है।

(iv) राजस्थान व उत्तर प्रदेश के लिए राष्ट्रीय खेलकूद अनुशिक्षण (कोचिंग) योजना के मूल्यांकन पर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा था।

(v) जिला उद्योग केन्द्रों के क्षेत्रीय कार्य का अध्ययन हर पहलू से पूरा किया गया। प्रेक्षण के विभिन्न यंत्रों पर आंकड़ों का प्रक्रमण व विश्लेषण चल रहा था। प्रारंभिक रिपोर्ट का प्रारूप शुरू किया गया। रिपोर्ट के मुख्य भाग का प्रारूपण वर्ष के अंत तक पूरा किए जाने की संभावना है।

(vi) मरुभूमि विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन पर राज्य व जिला स्तर पर सूचना की संवीक्षा,

नियम-पुस्तक के सारणीकरण व विश्लेषण का कार्य पूरा किया गया। प्रारंभिक रिपोर्ट का प्रारुपण शुरू किया गया। इस रिपोर्ट को मार्च, 1990 तक अंतिम रूप दिया जायेगा।

(vii) शेष दो राज्यों उड़ीसा और तमिलनाडु के संबंध में रोजगार जनन कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन को तीव्रता से करने पर क्षेत्रीय कार्य पूरा किया गया और उसकी रिपोर्ट तैयार की गई।

(viii) सूखा-ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन पर गहन टिप्पणी, जिसमें उसका क्षेत्र, उद्देश्य आदि और मूल्यांकन अध्ययन की कार्यप्रणाली व उद्देश्य दिए गए हों, तैयार की गई और उस पर इस उद्देश्य के लिए गठित की गई सलाहकार दल की बैठक में चर्चा की गई। प्रेक्षण के सभी यंत्रों, निर्देशक तथ्यों, संकेत (कोडिंग) अनुदेशों आदि की संरचना शुरू की गई। प्रेक्षण के सभी यंत्रों की संरचना, उनका पूर्व-परीक्षण व उनको अन्तिम-रूप मार्च, 1990 तक दिया जायेगा।

(ix) अनुसूचित जाति विकास निगम का नया अखिल भारतीय मूल्यांकन अध्ययन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। पृष्ठभूमि संबंधी सामग्री विभिन्न स्रोतों से संग्रहीत की गई और पृष्ठभूमि टिप्पणी की तैयारी शुरू की गई। पृष्ठभूमि संबंधी टिप्पणी को अंतिम रूप देना, प्रेक्षण यंत्रों और निर्देशक तथ्यों को तैयार करना और अभिकल्पन आदि के अध्ययन को अंतिम रूप देने के लिए सलाहकार दल का गठन वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान शुरू किया जायेगा।

(x) चार राज्यों गुजरात, कर्नाटक , उड़ीसा व उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना पर तीव्र अध्ययन आयोजित किया गया। क्षेत्रीय-कार्य पूरा किया गया और उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

अध्याय-6

अनुदान-सहायता

6.1 वर्ष 1989-90 के दौरान सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान एकक द्वारा योजना तैयार करने और उसके कार्यान्वयन से संबंधित अनुसंधान अध्ययनों के लिए दिसम्बर, 1989 के अंत तक 22.42 लाख रुपए की राशि अनुदान सहायता के रूप में दी गई। इसमें से 10.31 लाख रुपए चार संस्थानों को अर्थात् इंस्टिट्यूट आफ इकोनामिक्स ग्रोथ, दिल्ली अर्थशास्त्र विभाग, बंबई विश्वविद्यालय, नैशनल इंस्टिट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी, नई दिल्ली तथा गोखले इंस्टिट्यूट आफ पालिटिक्स एंड इकोनोमिक्स, पुणे को ब्लॉक अनुदान पद्धति के अंतर्गत दिए गए।

6.2 चालू तथा नए अध्ययनों को शुरू करने, संगोष्ठियों/सम्मेलन आयोजित करने तथा योजना आयोग की अनुसंधान सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित रिपोर्टों के प्रकाशन के लिए विभिन्न अनुसंधान संस्थानों को परियोजना पद्धति के अंतर्गत 12.11 लाख रुपए की राशि दी गई।

6.3 जिन अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों को चालू वर्ष के दौरान अनुदान की राशि वितरित की गई, उनकी सूची अनुबंध-1 पर दी गई है।

6.4 आयोजित अनुसंधान अध्ययनों और सम्मेलनों/संगोष्ठियों को सूची अनुबंध-2 पर है।

6.5 पूरे किए गए अध्ययनों की सूची अनुबंध-3 पर दी गई है।

अनुसंधान संस्थाओं/विश्वविद्यालयों की सूची जिन्हें 1989-90 के दौरान दिसम्बर, 1990 तक अनुदान सहायता दी गयी

क्रम सं	विषय	संस्थान/विश्वविद्यालय	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	आयोजना और विकास के संबंध में अनुसंधान केन्द्रों को व्यक्तिक अनुदान		
1.	अर्थशास्त्र विभाग बम्बई विश्वविद्यालय, बंबई		1,70,800
2.	आर्थिक संवृद्धि संस्थान, दिल्ली		5,10,546
3.	गोखले आर्थिक एवं राजनैतिक संस्थान, पुणे		1,50,000
4.	राष्ट्रीय लोकवित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली।		2,00,000
(ख)	सेमीनार/सम्मेलन		
5.	30 वां वार्षिक सम्मेलन– भारतीय अर्थशास्त्र समिति, पटना		22,500
6.	"राष्ट्रीय सेमीनार" भारत में समकालीन जनजातीय अर्थ-व्यवस्था	जिज्ञासु जनजातीय अनु-संधान केन्द्र, दिल्ली।	18,000
7.	पं. नेहरू, योजना आयोग और भारत में नियोजित आर्थिक विकास पर सेमिनार	भारतीय समाजवादी अध्ययन केन्द्र, गाजियाबाद	13,500
8.	वैकल्पिक विकास कार्यनीति पर कार्यशाला	एम.ए. सिंगामा, श्रीनिवासन फाउंडेशन, बंगलौर	9,000
9.	शहरीकरण, गंदी बस्तियों में वृद्धि सामाजिक संघर्ष और पर्यावरण जोखिम पर राष्ट्रीय सेमीनार	जोशी, अधिकारी सामाजिक अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली	1,500
10.	आर्थिक विकास मुद्दे और बंधन पर राष्ट्रीय सेमिनार	विश्लेषणात्मक और व्ययहारिक अर्थशास्त्र विभाग, उत्कल।	18,000
11.	बंगलौर शहर के लिए नियोजित "मध्यम अवधि विकास" पर सेमिनार	एशियन अर्बन डेवलपमेंट इंस्टीच्यूट, बंगलौर	22,500
12.	समाज विज्ञानों में सहकारिता पर सेमीनार और पंचायती राज के अनुभव पर सेमिनार	भारतीय सामाजिक विज्ञान संगठन संस्थान, नई दिल्ली।	36,000
13.	24 वां भारतीय इकोनोमेट्रिक सम्मेलन	इंडियन इकनोमैट्रिक सोसायटी नई दिल्ली	2,000
14.	पंचायती राज और विकेन्द्रीकृत योजना संचार की भूमिका पर राष्ट्रीय परिसंवाद	क्षेत्र विकास और कार्य अनुसंधान अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली	18,000
15.	सामाजिक तंत्र और खाद्य संकट पर प्रथम अफ्रीकी एशियाई, अध्ययन संबंधी सेमिनार	राहत प्रशासन अध्ययन केन्द्र नई दिल्ली।	2,000

क्रम सं	विषय	संस्थान/विश्वविद्यालय	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	वैज्ञानिकों और तकनीकीयों और समाज विज्ञानियों का प्रथम संयुक्त सेमीनार	भारतीय समाज विज्ञान संस्थान संघ, नई दिल्ली	5,000
17.	स्वर्ण जयन्ती सम्मेलन दिसम्बर 1989 कृषि, जल प्रबंधन और कृषि प्रसंस्करण में विदेशी व्यापार	भारतीय कृषि अर्थशास्त्र समिति, बम्बई।	45,000
18.	भारतीय विकासात्मक आयामों में उपभोक्ता संरक्षण जानकारी विनिमय संबंधी आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार फरवरी 23-26, 1989	सोसायटी फॉर सिविल राइट, नई दिल्ली	2,500
19.	"पूर्वोत्तर भारत को सन् 2000 के लिए तैयार करने से सम्बद्ध सेमीनार	सेंटरफार इनक्रीमेंट एंड डेवलपमेंट रिसर्च (सीईडीआर) इम्फाल	27,000
20.	72 वां वार्षिक सम्मेलन दिसम्बर 30, 1989, जनवरी 1,1990	इंडियन इकोनोमिक एसो-सिएशन, त्रिवेन्द्रम	36,000
(च)	अनुसंधान अध्ययन		
21.	राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन उद्योग की वित्तीय और प्रचलानात्मक व्यवहार्यता	उस्मानिया विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय	24,000
22.	विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में खेत की फसलों के लिए उर्वरक प्रतिक्रिया अनुपात	कृषि और ग्रामीण विकास अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली	70,000
23.	केरल के औद्योगिक विकास के कुछ पक्षों बोध और सूचना प्रणाली के संबंध में जांच,	इण्डस्ट्रीज रिसर्च एंड सर्विसिज कोचीन।	75,000
24.	शिशु मृत्युदर और परिवार नियोजन अपनाने के संबंध में एकीकृत बाल विकास स्कीम का प्रभाव चुनिंदा क्षेत्र में गैर-एकीकृत बाल विकास ब्लाकों के साथ तुलना।	प्रादेशिक विकास अध्ययन केन्द्र, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	90,000
25.	गुजरात (जिला बालसद) और महाराष्ट्र (जिला-धुले) में जनजातीय सहकारिता महिलाओं की सृजन करने के प्रयास के रूप में भूमिका	जिज्ञासु जनजातीय अनुसंधान नई दिल्ली	8,000
26.	शहरी गरीबी उन्मूलन	राष्ट्रीय मानव व्यवस्थापन और पर्यावरण केन्द्र, भोपाल	36,750
27.	आंध्र प्रदेश में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक अध्ययन-इन कार्यक्रमों की गुणवत्ता को सुधारने के सुझाव	राष्ट्रीय विकास अकादमी हैदराबाद	4,800

क्रम सं	विषय	संस्थान/विश्वविद्यालय	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
28.	शहरी समुदायों के लिए पी.एफ. पहलुओं का रखरखाव इंजीनियरी तथा मानकी-करण का मूल्यांकन अध्ययन	समाज विकास परिसद्	1,00,000
29.	पूर्वी भारत में ऊर्जा वानिकी, स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित अध्ययनों का मूल्यांकन	सीआरईएसएसआईडीए कलकत्ता	21,000
30.	"पूर्वी भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का मूल्यांकन	सीआईईएसएमआईडीए कलकत्ता	21,000
31.	भारत में प्राचीन (दीवारयुक्त) शहर-हैदराबाद—एक अध्ययन	हैदराबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद	23,323
32.	भारत के मूल आवश्यकता मॉडल का 1970 आधार से 1984 आधार में अद्यतन तथ अन्य उपभोक्ता से सम्बद्ध सुधारो पर अनुसंधान अध्ययन	सिस्टम रिसर्च इंस्टीच्यूट पुणे	40,000
33.	शहरी सेवाओं का परिदान वैकल्पिक संस्थागत व्यवस्थाओं पर एक अध्ययन	राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान नई दिल्ली	75,000
34.	भारत में परियोजना कमान क्षेत्र (सीएएस) में सिंचित क्षेत्रों के संबंध में अध्ययनों का एक विवेचनात्मक पुनरीक्षण	सरदार पटेल विश्वविद्यालय वल्लभ विद्यानगर	20,000
35.	गुजरात में इलैक्ट्रानिक उद्योग को प्रौद्योगिकी उन्मुख उद्योग अध्ययन की समस्याओं" पर एक अनुसंधान अध्ययन।	सरदार पटेल आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद	20,000
36.	लघु सिंचाई क्षमता के विकास में एकीकृत क्रेडिट संघ और संस्थागत वित्त की भूमिका	अनुसंधान योजना और कार्य केन्द्र, नई दिल्ली।	80,000
37.	सिंचाई की लागत और उत्पादकता एक दीर्घावधि परियोजना संबंधी अध्ययन	मद्रास विकास अध्ययन संस्थान, मद्रास	40,000
38.	"आवर्ती" और अनावर्ती को योजनाओं के लिए सिंचाई कटा सहित एक केन्द्र सूक्ष्म-कम-वैश्विक वरीयता मॉडल तैयार करने के संबंध में अनुसंधान	कमान अध्ययन और सिंचाई प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर	23,100
39.	मध्याह्न भोजन की लागत प्रभावशीलता प्रोत्साहन कार्यक्रमों का गहन अध्ययन जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा अवस्था (6 से 11 आयु वर्ग) में विद्यार्थियों के नामांकन उपस्थिति और उनके स्कूल में रहने पर विशेष ध्यान दिया गया है।	डा. जाकिर हुसैन शैक्षिक अध्ययन केन्द्र, जवाहर लाल नेहरू विश्व-विद्यालय, नई दिल्ली	35,000

क्रम सं	विषय	संस्थान/विश्वविद्यालय	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
40.	मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में जल विभाजन क्षेत्र प्रबंधन और सिंचाई उपयोग के संदर्भ में लम्बे समय से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अध्ययन	एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इंडिया, हैदराबाद।	80,000
41.	"भारतीय कृषि विकास पेटर्न– एक जिला स्तरीय अध्ययन" नामक अध्ययन रिपोर्ट के लिए प्रकाशन अनुदान	औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली।	32,133
42.	आय, और धन पत्रिका खंड-10 संख्या-2 के प्रकाशनार्थ सहायता अनुदान	भारतीय राष्ट्रीय आय और धन अनुसंधान संघ, नई दिल्ली।	13,513

अनुसंधान सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित अनुसंधान अध्ययनों तथा सम्मेलनों/संगोष्ठियों की सूची

1, अनुसंधान अध्ययन

1. अण्डरस्टैडिंग इन्फारमेलिज्स, केरल औद्योगिक कुछ पक्षों की जांच, उद्योग अनुसंधान और सेवाएं कोचीन।
2. भारतीय बेसिक मॉडल का 1970 आधार से 1984 आधार में अद्यतन तथा अन्य उपभोक्ता संबंधित सुधारों पर अध्ययन।
3. "सूखा एवं विकास" संबंधी अध्ययन-डा. पी. आर. दुभाषी, पुणे।
4. प्रौद्योगिकी उन्मुख उद्योग की समस्याएं–गुजरात में इलैक्ट्रानिकी उद्योग अध्ययन संबंधी अध्ययन सरकार पटेल आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद।
5. सिंचाई की लागत और उत्पादकता एक दीर्घावधिक परियोजना पर अध्ययन मद्रास विकास संस्थान अध्ययन, मद्रास।
6. "आयोजना और प्रबन्धन" जिला स्तर पर विकास परियोजना की संबंधी अनुसंधान अध्ययन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इंडिया, हैदराबाद।
7. लीप फार्वर्ड हेतु बंगाल में कृषि कार्यनीति संबंधी अध्ययन, आर्थिक मूल्यांकन अध्ययन केन्द्र, कलकत्ता।
8. प्रो. जी.एस. भल्ला और डा. डी. एस. त्यागी द्वारा पैटर्न इन इंडियन एग्रीकलचरल डेवलपमेंट" नामक अध्ययन रिपोर्ट के लिए अनुमोदित प्रकाशन अनुदान औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली।

अनुमोदित संगोष्ठियां/सम्मेलन

1. राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण के संवर्धन में विकास और आधुनिकीकरण की भूमिका पर संगोष्ठी, डा. जाकिर हुसैन शैक्षिक और सांस्कृतिक फाउंडेशन, नई दिल्ली।
2. "भारत में उपभोक्ता संरक्षण विकास आयाम–जानकारी विनियम संबंधी आवश्यकताओं पर संगोष्ठी, नागरिक अधिकार सोसायटी, नई दिल्ली।
3. भारत में समकालीन जनजातीय अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिज्ञास् जनजातीय अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली।
4. पंडित नेहरू, योजना आयोग और भारत में नियोजित आर्थिक विकास पर संगोष्ठी भारतीय समाजवाद अध्ययन केन्द्र, गाजियाबाद।
5. वैकल्पिक विकास कार्य नीति पर कार्यशाला, एम.ए. सिंगम्मा, श्रीनिवासन फांउंडेशन, बंगलौर।
6. बंगलौर शहर के लिए मध्ययम अवधि विकास योजना पर संगोष्ठी शहरी विकास संस्थान, बंगलौर।
7. आर्थिक विकास पर राष्ट्रीय संगोष्ठी मुद्दे और कठिनाइयां, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर।
8. भारत में गैर-कृषि रोजगार पर संगोष्ठी–गुजरात क्षेत्र आयोजना संस्थान, गोटा (अहमदबाद)।
9. समाज विज्ञानों में सहयोग और पंचायती राज के अनुभव पर संगोष्ठी भारतीय समाज विज्ञान संस्थान संघ, नई दिल्ली।

10. "पंचायती राज और विकेन्द्रीकृत योजना–संचार की भूमिका पर राष्ट्रीय परिसंवाद, क्षेत्र विकास और कार्य अनुसंधान अध्ययन केन्द्र (सीएडीएआरएस), नई दिल्ली।
11. कृषि, जल प्रबंधन और कृषि प्रसंस्करण में विदेश व्यापार पर सम्मेलन, स्वर्ण जयन्ती सम्मेलन-दिसम्बर, 1989 कृषि अर्थशास्त्र का भारतीय समाज, बम्बई।
12. "उत्तरपूर्वी भारत में 2,000 ईसवीं की तैयारी पर संगोष्ठी पर्यावरण और विकास अनुसंधान केन्द्र (सीईडीआर) इम्फाल।
13. विकास अर्थव्यवस्था, आदि की समस्याओं पर संगोष्ठी–वार्षिक सम्मेलन–भारतीय आर्थिक संघ, त्रिवेन्द्रम।
14. विकासशील देशों में मानव बंदोबस्त के संबंध में पांचवी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस–भारतीय आर्थिक बंदोबस्त, कलकत्ता।
15. लोक अर्थशास्त्र में अंतराष्ट्रीय संगोष्ठी, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली।
16. आठवीं पंचवर्षीय योजना और संबंधित मामले पर संगोष्ठी, भारतीय इकोनोमेट्रिक समिति का वार्षिक सम्मेलन, नई दिल्ली।

वर्ष 1989-90 के दौरान पूरे किये गये अध्ययनों तथा प्राप्त हुए प्रारूप रिपोर्टों की सूची

1. झाड़ूकशों की उन्मुक्ति, प्रशिक्षण और पूनर्वास के संदर्भ में अल्प लागत स्वच्छता योजना का मूल्यांकन–सामाजिक विकास परिषद्, नई दिल्ली।
2. पर्वतीय क्षेत्रों में वनरोपण कार्यनीति-टिहरी गढ़वाल में भागीरथी जलग्रहण का अध्ययन–राष्ट्रीय मानव बंदोबस्त और पर्यावरण केन्द्र भोपाल
3. उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों (वाराणसी प्रखंड) ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन–भारतीय विकास अध्ययन और अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद।
4. फीड़, खाद्यान्नों में बीच तथा हानि दरों का अध्ययन टैक्नो इकोनोमिक रिसर्च इंस्टीच्यूट, नई दिल्ली।
5. भारतीय पशुधन संसाधनों के लिए विकास और वैकल्पिक आयोजना कार्यनीति–इंस्टीच्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ, दिल्ली।
6. "भारतीय कृषि विकास स्वरूप" विषयक पुस्तक का प्रकाशन–प्रो. जी. एस. भल्ला और डी. एस. त्यागी, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली।

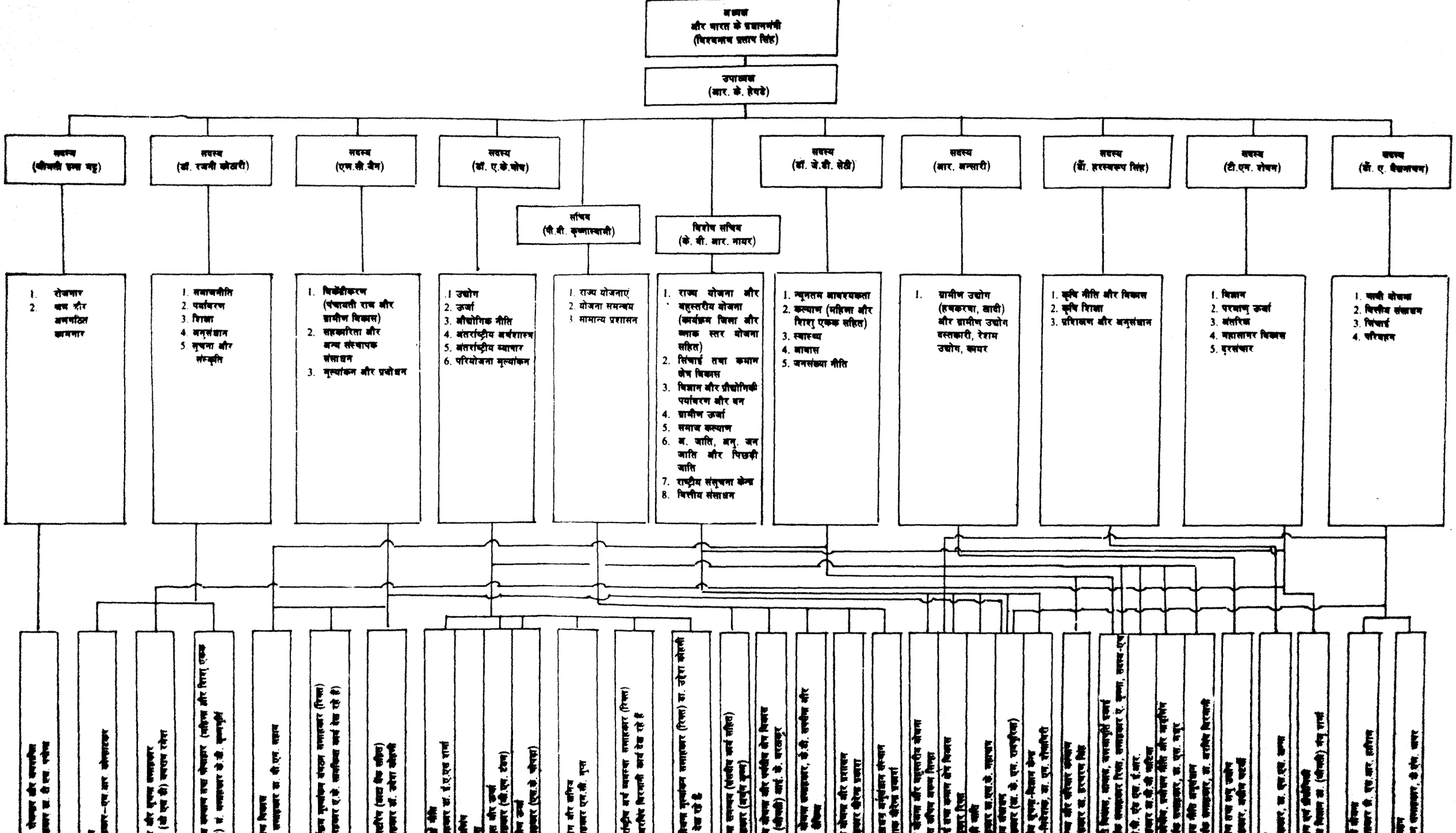

अध्यक्ष
और भारत के प्रधानमंत्री
(विश्वनाथ प्रताप सिंह)
उपाध्यक्ष
(आर. के. हेगड़े)
सदस्य
(श्रीमती इला भट्ट)
सदस्य
(डॉ. रजनी कोठारी)
सदस्य
(एल.सी. जैन)
सदस्य
(डॉ. ए.के. घोष)
सचिव
(पी.वी. कृष्णास्वामी)
विशेष सचिव
(के. वी. आर. नायर)
सदस्य
(डॉ. जे.डी. सेठी)
सदस्य
(आर. अन्सारी)
सदस्य
(डॉ. हरस्वरूप सिंह)
सदस्य
(टी.एन. शेषन)
सदस्य
(डॉ. ए. वैद्यनाथन)
1. रोजगार
2. श्रम और असंगठित कामगार
1. समाजनीति
2. पर्यावरण
3. शिक्षा
4. अनुसंधान
5. सूचना और संस्कृति
1. विकेंद्रीकरण (पंचायती राज और ग्रामीण विकास)
2. सहकारिता और अन्य संस्थापक संसाधन
3. मूल्यांकन और प्रबोधन
1 उद्योग
2. ऊर्जा
3. औद्योगिक नीति
4. अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र
5. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
6. परियोजना मूल्यांकन
1. राज्य योजनाएं
2. योजना समन्वय
3. सामान्य प्रशासन
1. राज्य योजना और बहुस्तरीय योजना (कार्यक्रम जिला और ब्लाक स्तर योजना सहित)
2. सिंचाई तथा कमान क्षेत्र विकास
3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण और वन
4. ग्रामीण ऊर्जा
5. समाज कल्याण
6. अ. जाति, अनु. जन जाति और पिछड़ी जाति
7. राष्ट्रीय संसूचना केन्द्र
8. वित्तीय संसाधन
1. न्यूनतम आवश्यकता
2. कल्याण (महिला और शिशु एकक सहित)
3. स्वास्थ्य
4. आवास
5. जनसंख्या नीति
1. ग्रामीण उद्योग (हथकरघा, खादी) और ग्रामीण उद्योग दस्तकारी, रेशम उद्योग, कायर
1. कृषि नीति और विकास
2. कृषि शिक्षा
3. प्रशिक्षण और अनुसंधान
1. विज्ञान
2. परमाणु ऊर्जा
3. अंतरिक्ष
4. महासागर विकास
5. दूरसंचार
1. भावी योजना
2. वित्तीय संसाधन
3. सिंचाई
4. परिवहन